वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

एनएचपीसी

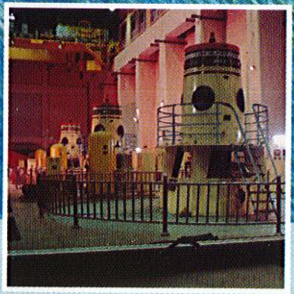
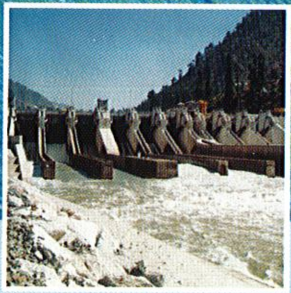
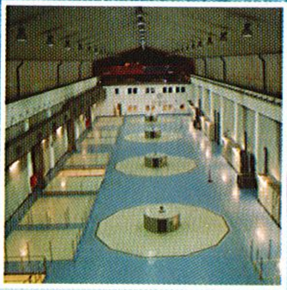
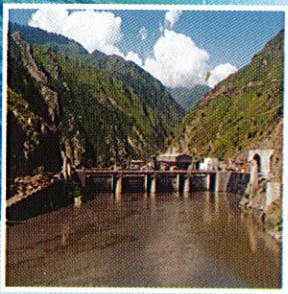

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

280 मेगावाट धौलीगंगा पावर स्टेशन (उत्तरांचल)-बांध का दृश्य

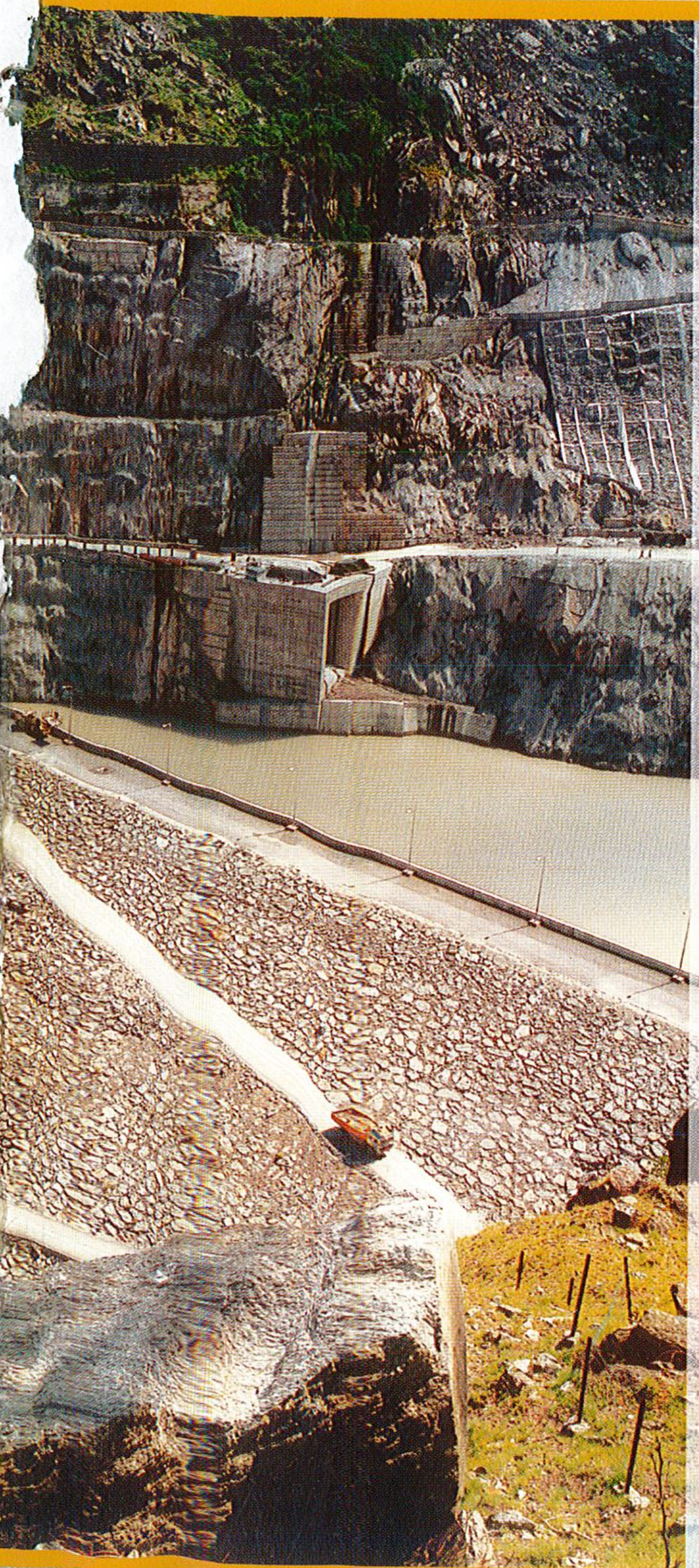

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का दृष्टिकोण व लक्ष्य	-	2
निदेशक मंडल	-	5
कारपोरेट रूपरेखा	-	6
महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)	-	8
अध्यक्षीय वक्तव्य	-	11
निदेशकों की रिपोर्ट	-	15
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	27
वार्षिक लेखे	-	34

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	-	75
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	-	80
वार्षिक लेखे	-	90

निगम का

दृष्टिकोण

सुदृढ़ पर्यावरणीय संचेतना के साथ जल विद्युत तथा जल संसाधनों का निरंतर विकास करने वाला विश्व स्तरीय, बहुविद्य एवं राष्ट्रव्यापी संगठन बनना।

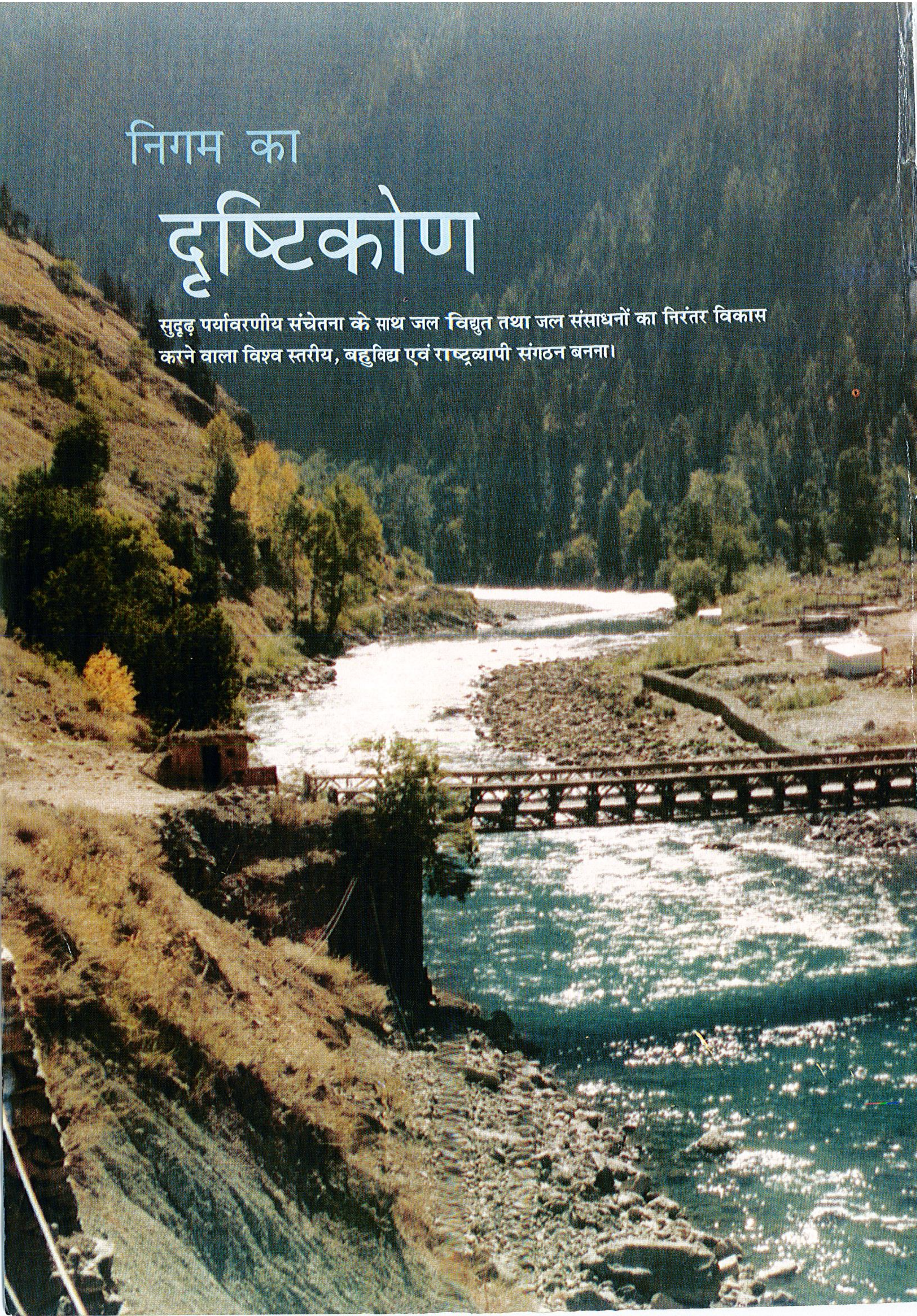

निगम का

लक्ष्य

- जल विद्युत एवं विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचलान कम लागत, पर्यावरण हितैषी एवं सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी को निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा विविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नए अनुसंधान व विकास के माध्यम से आधुनिकतम तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा मजबूत निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य-आधारित प्रबंधन करना।
- आंतरिक निधि जुटाने तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम संपत्ति की व्यवस्था करना।

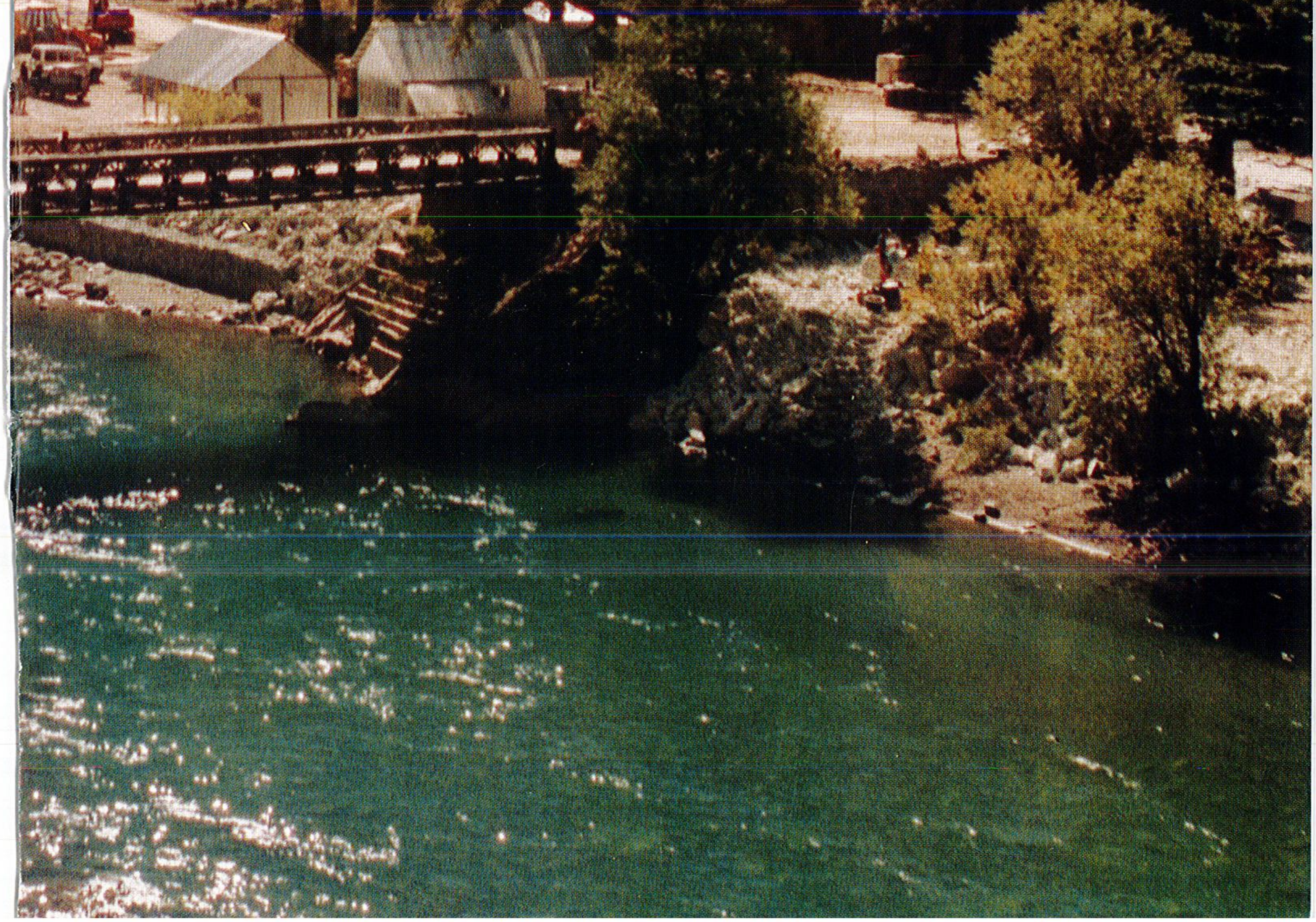

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल

28.07.2006 को

श्री एस.के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस.के. चतुर्वेदी
निदेशक (कार्मिक)

श्री एस.पी. सेन
निदेशक (तकनीकी)

श्री गुरुदयाल सिंह
सदस्य (हाइड्रो), सीईए

श्री अनिल कुमार कुट्टी
संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक
वत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
एफ-14, शिवम हाउस, अमर चैम्बर्स,
अपार्टमेंट नं.17 कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

शाखा लेखापरीक्षक
ओ.पी. गर्ग एण्ड कम्पनी
40ए/डी, गांधी नगर,
जम्मू-180004

ए.आर. मैती एण्ड कंपनी
इण्डिया स्टीम शिप हाउस,
21 ओल्ड कोर्ट, हाउस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001
पश्चिम बंगाल

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
4648/21 सेधुमल बिल्डिंग, 21, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
देना बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.
ड्यूश बैंक लि.
यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ भूटान
केनरा बैंक
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आई.डी.बी.आई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : एनएचपीसी, ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2005-06	2004-05	2003-04
बिक्री	**	1614.11	1449.98	1276.09
विविध आय	@	359.55	393.80	551.69
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	$	1454.71	1438.86	1477.37
ब्याज एवं मूल्यह्रास के बाद लाभ		812.16	777.53	643.48
ब्याज, मूल्यह्रास व कर के बाद लाभ		742.75	684.58	621.38
लाभांश		223.00	140.00	120.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचयी)		4709.89	4168.49	3594.27
कारपोरेशन के स्वामित्व में क्या है				
सकल नियत परिसंपत्तियां		12755.52	10876.28	10342.71
मूल्यह्रास		2527.83	2148.20	1882.95
शुद्ध नियत परिसंपत्तियां		**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**
चालू पूंजीगत कार्य		8844.19	8787.19	6975.83
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		778.95	770.14	805.55
निवेश		3832.81	3769.43	3660.87
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		-225.34	138.69	107.76
बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		24.55	1.18	0.71
		23664.15	**22194.71**	**20010.48**
कारपोरेशन द्वारा क्या देय है				
शुद्ध मूल्य				
- अंश पूंजी		10576.09	9933.27	8629.03
- आरक्षित		4709.89	4168.49	3594.27
आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा		1030.18	1071.15	939.40
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम प्राप्त आय				
उधार		7166.69	7021.80	6847.78
		23482.85	**22194.71**	**20010.48**

प्रचालन कार्यनिष्पादन	2005-2006	2004-2005	2003-2004
उत्पादन (मि. यू.)	12567	11286	11046
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)	98.16	95.30	96.82
बिक्री (करोड़ रुपए)	1614.11	1449.98	1276.09
जनशक्ति (संख्या)	13118	13470	13648

** बिक्री प्रभार समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात शुद्ध है
@ संविदाओं के प्रति प्राप्ति शामिल है
$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात

(करोड़ रुपए)

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40	993.00	534.40
302.96	330.40	575.70	202.60	39.10	4.40	21.70
1153.39	1183.50	1209.70	1070.70	999.20	849.10	481.10
555.00	513.10	484.20	401.20	305.30	299.40	106.70
510.50	470.90	443.40	401.20	305.30	299.40	106.70
75.00	50.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60	634.50
8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40	6903.60	3893.80
1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10	598.60	622.80
6608.76	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**
7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00	2073.10	4895.70
621.74	525.50	613.00	511.50	322.80	332.00	116.70
2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80	1252.50	486.80
1.20	2.00	9.80	1.90	0.40	1.70	5.00
18615.13	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**
7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00	3393.00	2917.40
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60	634.50
801.06	648.40	519.90	386.10	245.50	130.50	-
7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70	5492.20	5223.30
18615.13	**15809.80**	**13490.30**	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**

2002-2003	2001-2002	2000-2001	1999-2000	1998-1999	1997-1998	1996-1997
9863	8912	8774	8691	9917	8816	5614
96.62	96.86	92.09	91.05	88.39	83.00	83.25
1172.23	1221.00	1179.90	1075.70	1194.40	993.00	534.40
13017	13054	11850	12150	11860	11799	12119

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

वित्तीय			2005-06	2004-05	2003-04
क	ऊर्जा की बिक्री	$	1661.99	1581.73	1414.43
ख	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम		47.88	131.75	138.34
ग	अन्य आय (निर्माण व परामर्श शुल्क की प्राप्ति सहित)	#	359.55	393.80	551.69
घ	**कुल आय (क) - (ख) + (ग)**		**1973.66**	**1843.78**	**1827.78**
ङ	उत्पादन एवं अन्य व्यय (संविदा एवं परामर्शी प्राप्ति शामिल है)		518.95	404.92	350.41
च	**सकल मार्जिन (घ)-(ड)**		**1454.71**	**1438.86**	**1477.37**
छ	मूल्यह्रास		269.57	248.97	208.14
ज	**सकल लाभ (च)-(छ)**		**1185.14**	**1189.89**	**1269.23**
झ	ब्याज एवं वित्त प्रभार		372.98	412.36	625.75
ञ	**शुद्ध लाभ (ज)-(झ)**		**812.16**	**777.53**	**643.48**
ट	कर		69.41	92.95	22.10
ठ	**कर पश्चात शुद्ध लाभ (ञ)-(ट)**		**742.75**	**684.58**	**621.38**
ड	**सृजित आंतरिक संसाधन (छ)+(ठ)+(ख)**		**1060.20**	**1065.30**	**967.86**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	15000.00
ण	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	**	10576.09	9933.27	8629.03
त	आरक्षित एवं अधिशेष		4709.89	4168.49	3594.27
थ	ऋण निधि		7166.69	7021.80	6847.78
द	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम प्राप्त आय (ककघ)		1030.18	1071.15	939.40
ध	सकल नियत परिसम्पत्तियां		12755.52	10876.28	10342.71
न	मूल्यह्रास		2527.83	2148.20	1882.95
प	**शुद्ध नियत परिसम्पत्तियां (ध)-(न)**		**10227.69**	**8728.08**	**8459.76**
फ	चालू पूंजीगत कार्य		8844.19	8787.19	6975.83
ब	निर्माण भंडार एवं अग्रिम		778.95	770.14	805.55
भ	निवेश		3832.81	3769.43	3660.87
म	कार्यकारी पूंजी		-225.34	138.69	107.76
य	बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		24.55	1.18	0.71
कक	**सकल नियोजित पूंजी (प)+(फ)+(ब)+(भ)+(म)**		**23458.30**	**22193.53**	**20009.77**
कख	**शुद्ध मूल्य (ण)+(त)-(य)**		**15261.43**	**14100.58**	**12222.59**
कग	पावर स्टेशनों में माल सूचीयों की खपत		12.02	7.73	2.67
कघ	**मूल्यवर्धन (क)-(ख)-(कग)**		**1602.09**	**1442.25**	**1273.42**

$ प्रभार समायोजन, व्हीलिंग प्रभार और संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान सहित।
** अंश जमा और इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि शामिल है।
# संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल हैं।

	अनुपात	2005-06	2004-05	2003-04
1	नियोजित संकल पूंजी पर आय (ज)/(कक)	5.05%	5.36%	6.34%
2	शुद्ध मूल्य पर आय (ठ)/(कख)	4.87%	4.85%	5.08%
3	नियोजित सकल पूंजी में शुद्ध बिक्री (क)-(ख)/(कक)	6.88%	6.53%	6.38%
4	शुद्ध बिक्री में मूल्यवर्धन (क घ)/(क)-(ख)	99.26%	99.47%	99.79%
5	इक्विटी में ऋण का अनुपात (थ)/(ण)+(त)+(द)	0.44	0.46	0.52
6	शुद्ध बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/(क)-(ख)	46.02%	47.21%	48.69%

(करोड़ रुपए)

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
1324.86	1349.60	1313.70	1216.30	1309.40	1123.50	534.40
152.63	128.60	133.80	140.60	115.00	130.50	0.00
302.96	330.40	575.70	202.60	39.10	4.40	21.70
1475.19	**1551.40**	**1755.60**	**1278.30**	**1233.50**	**997.40**	**556.10**
321.80	367.90	545.90	207.60	234.30	148.30	75.00
1153.39	**1183.50**	**1209.70**	**1070.70**	**999.20**	**849.10**	**481.10**
140.36	231.60	238.70	219.80	215.20	114.00	111.10
1013.03	**951.90**	**971.00**	**850.90**	**784.00**	**735.10**	**370.00**
458.03	438.80	486.80	449.70	478.70	435.70	263.30
555.00	**513.10**	**484.20**	**401.20**	**305.30**	**299.40**	**106.70**
44.50	42.20	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
510.50	**470.90**	**443.40**	**401.20**	**305.30**	**299.40**	**106.70**
803.49	**831.10**	**815.90**	**761.60**	**635.50**	**543.90**	**217.80**
10000.00	7000.00	7000.00	5000.00	5000.00	3500.00	3500.00
7240.61	6345.70	5188.20	4446.20	3825.00	3393.00	2917.40
3065.70	2598.50	2139.10	1690.60	1272.10	948.60	634.50
7507.76	6217.20	5643.10	5583.70	5307.70	5492.20	5223.30
801.06	648.40	519.90	386.10	245.50	130.50	0.00
8280.95	8113.50	7892.70	7752.70	7090.40	6903.60	3893.80
1672.19	1526.70	1280.10	1029.00	811.10	598.60	622.80
6608.76	**6586.80**	**6612.60**	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**
7078.00	5218.30	3710.80	2768.60	2576.00	2073.10	4895.70
621.74	525.50	613.00	511.50	322.80	332.00	116.70
2415.66	1965.00	679.90	0.00	0.00	0.00	0.00
1889.77	1512.20	1864.20	2100.90	1471.80	1252.50	486.80
1.20	2.00	9.80	1.90	0.40	1.70	5.00
18613.93	**15807.80**	**13480.50**	**12104.70**	**10649.90**	**9962.60**	**8770.20**
10305.11	**8942.20**	**7317.50**	**6134.90**	**5096.70**	**4339.90**	**3546.90**
2.65	6.90	7.10	6.00	13.30	6.00	4.80
1169.58	**1214.10**	**1172.80**	**1069.70**	**1181.10**	**987.00**	**529.60**

2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
5.44%	6.02%	7.20%	7.03%	7.36%	7.38%	4.22%
4.95%	5.27%	6.06%	6.54%	5.99%	6.90%	3.01%
6.30%	7.72%	8.75%	8.89%	11.22%	9.97%	6.09%
99.77%	99.43%	99.40%	99.44%	98.89%	99.40%	99.10%
0.68	0.65	0.72	0.86	0.99	1.23	1.47
43.55%	38.57%	37.58%	37.30%	25.56%	30.15%	19.97%

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर)-बांध

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके निगम की 30वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है । वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित लेखे पहले से ही आपके पास विचार तथा अंगीकरण के लिए हैं, आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा गया समझता हूँ ।

निगम ने वर्ष के दौरान प्रचालनात्मक तथा वित्तीय दोनों पक्षों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन किया । सबसे पहले तो इसने उत्तरांचल में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट) प्रारम्भ की

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री तथा श्री एन.डी.तिवारी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति, 280 मेगावाट धौलीगंगा पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर

जिससे वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर में प्रारम्भ हुआ । यह इस तथ्य के मद्देनजर एक बड़ी उपलब्धि है कि इसके निष्पादन के दौरान सामने आई भू-वैज्ञानिक बाध्यताओं के कारण ले आउट में मुख्य परिवर्तन आवश्यक हो गए थे। इस परियोजना को 08.04.2006 को माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे द्वारा एक भव्य समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया था । मैं इस उपलब्धि पर सभी कार्मिकों, विशेषकर धौलीगंगा में तैनात कार्मिकों को, बधाई देता हूँ ।

प्रचालनात्मक रूप से निगम ने पिछले वर्षो के दौरान हुए कार्य निष्पादन में सुधार किया है । निगम ने वर्ष के दौरान 12567 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जो कि पिछले वर्ष के दौरान के उत्पादन में 11.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इसके अधिकांश विद्युत स्टेशनों ने अपने उत्पादन लक्ष्यों से अधिक उत्पादन किया है और 98.16 प्रतिशत का एक रिकार्ड क्षमता सूचकांक प्राप्त किया है ।

आपके निगम ने वर्ष के दौरान 1713.79 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया और 742.75 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया है । आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष घोषित किए गए 140 करोड़ रुपए के कुल लाभांश की तुलना में 64 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित 223 करोड़ रुपए के लाभांश की संस्तुति की है । घोषित किया गया लाभांश निगम के शुद्ध लाभ का 30 प्रतिशत है और यह अभी तक घोषित किया गया सबसे अधिक लाभांश है ।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने लाभग्राहियों को बेची गई ऊर्जा के लिए 1911.30 करोड़ रुपए के मूलधन को प्राप्त किया । बिक्री उगाहियों का वसूल किया जाना बिलिंग के 97 प्रतिशत से अधिक था, जो कि विद्युत मंत्रालय द्वारा समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक था । वर्ष के दौरान 33.38 करोड़ रुपए की देयताओं का एकमुश्त निपटान एनएचपीसी के पक्ष में जारी किए गए बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ था । निगम ने बकाया

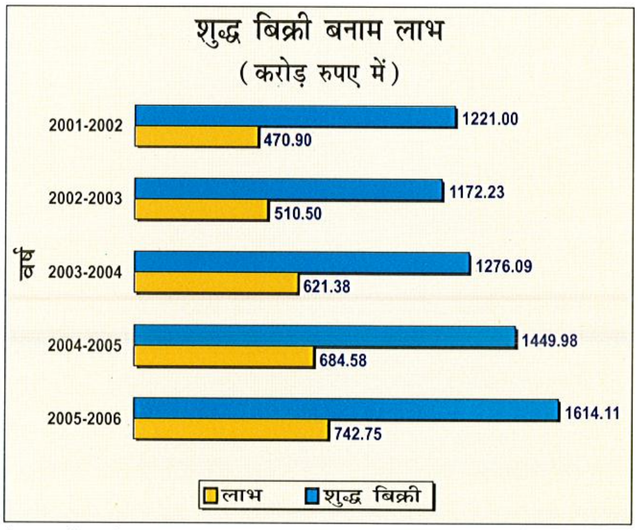

देयताओं के प्रतिभूतिकरण के प्रति पहले प्राप्त बॉण्ड पर 249.47 करोड़ रुपए की ब्याज आय भी अर्जित की है

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की प्रगति संतोषजनक रही है । दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट) और तीस्ता-V जल विद्युत परियोजना (510 मेगावाट) पूर्णता के निकट हैं और इन्हें क्रमश: नवम्बर, 2006 तथा फरवरी, 2007 के दौरान संचालित कर दिया जाना है। अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं पर भी कार्य की प्रगति संतोषजनक है ।

390 मेगावाट दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - बांध

वर्ष के दौरान सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में उड़ी-II (240 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश में चमेरा-III(231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश में पार्बती-III (520 मेगावाट) और पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम-IV (160 मेगावाट) को निवेश स्वीकृति प्रदान की है । इन सभी परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं ।

एफआर/डीपीआर को तैयार करने हेतु सर्वेक्षण तथा जाँच कार्य में काफी तेजी बनी रही क्योंकि एनएचपीसी ने 6085 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ 8 परियोजनाओं हेतु डीपीआर को अंतिम रूप दिया और उन्हें तकनीकी- आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किया था।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि 1630 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 5 नई परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य सौंपें जाने के साथ आपके निगम की व्यापार योजनाओं को काफी बल मिला है। इसमें उत्तरांचल सरकार की 3 परियोजनाएं अर्थात 240 मेगावाट चुंगर चल (उत्तरांचल), 630 मेगावाट गरबा तवाघाट (उत्तरांचल), 55 मेगावाट करमोली लुमटी तुली (उत्तरांचल) और सिक्किम सरकार की 2 परियोजनाएं अर्थात 495 मेगावाट की तीस्ता चरण-IV और 210 मेगावाट की लाचेंन जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में एनएचपीसी ने 195 मेगावाट कोटली भेल-1**ए**, 320 मेगावाट कोटली भेल-1बी और 530 मेगावाट कोटली भेल-II परियोजनाओं के निर्माण हेतु उत्तरांचल सरकार से क्रियान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं । यह जल विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए निगम की क्षमता पर राज्यों द्वारा जताए गए विश्वास को स्पष्ट दर्शाता है ।

श्री पवन चामलिंग, माननीय मुख्यमंत्री, सिक्किम के साथ अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी तथा वरिष्ठ अधिकारी, दो नई परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर

भारत सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के माध्यम से 2009 तक ''सभी गांवों को विद्युत'' और ''सभी के लिए विद्युत'' के उददेश्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है।

इस व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य के साथ जुड़ना आपके निगम का सौभाग्य है और इसे पांच राज्यों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ तथा उड़ीसा में कार्य सौंपा गया है । एक अन्य क्षेत्र जहाँ आपका निगम अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे रहा है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण है, जिसके माध्यम से भारत सरकार देश के गांवों को मुख्यधारा में लाने पर विचार कर रही है। एनएचपीसी बिहार में ग्रामीण सड़कों का तेजी से निर्माण कर रही है ।

मुझे यह भी सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2004-05 के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की तुलना में निगम के

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी तथा श्री आर.वी.शाही, सचिव (विद्युत) वर्ष 2006-07 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दस्तावेजों का हस्तांतरण करते हुए

कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' आंका गया है । यह लगातार 11वां वर्ष है कि एनएचपीसी को इसके कार्यनिष्पादन के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है । यह एनएचपीसी के सभी कार्मिकों द्वारा एक टीम के रूप में मिलजुल कर किए गए कठिन परिश्रम का परिणाम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम भविष्य में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। आपके निगम को इंडियन इंस्टीटयूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई द्वारा इसकी वित्तीय तथा प्रचालनात्मक शक्ति के लिए प्रतिष्ठित 'एंटरप्राइस एक्सीलेंस अवार्ड 2004-05' से नवाजा गया है ।

किसी भी विकासात्मक परियोजना को पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि परियोजना के आस-पास के क्षेत्र इस विकास का लाभ न उठाएं । एक कारपोरेट नागरिक के रूप में आपका निगम अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से भली भाँति परिचित है और इसने हमारे परियोजनाओं के निकटवर्ती

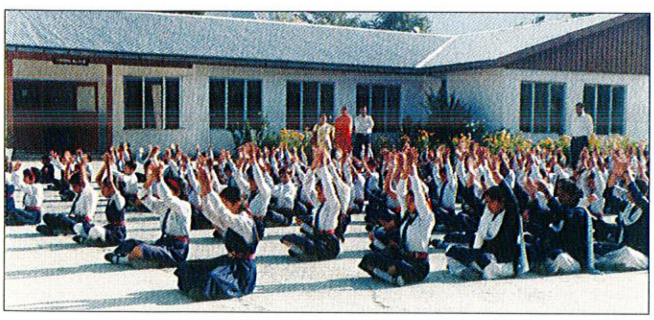

केन्द्रीय विद्यालय, उड़ी पावर स्टेशन के विद्यार्थी परिसर में प्रात: व्यायाम करते हुए

क्षेत्रों में विकासात्मक कार्य प्रारम्भ करने के लिए एक व्यापक नीतिगत दिशा-निदेंश बनाए हैं । आपके निगम द्वारा सामुदायिक विकास पहल के कार्यों में शामिल हैं - हर्बल पार्क का निर्माण, वनीकरण, जलग्राहृय क्षेत्र सुधार (सीएटी), मछली पालन का प्रबंधन, चिकित्सा/टीकाकरण शिविरों का आयोजन, शिक्षा सुविधा, निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास, खेल-कूद/मेले आयोजित करना आदि । आपके निगम ने भूकंप प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर में डीजी सैट, दवाइयां, चिकित्सा उपचार, कपड़े, आश्रय आदि मुहैया करवाकर राहत कार्य किए हैं। कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है ।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी संयुक्त उद्यम कम्पनी 'नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड' भी हमारे मूल्यों में भागीदार है। एनएचडीसी द्वारा इन्दिरा सागर परियोजना को शीघ्रता से संचालित किया गया और मुझे यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे ने 02.06.2006 को 1000 मेगावाट इंदिरा सागर विद्युत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया । इस परियोजना ने वर्ष के दौरान तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर 2573.36 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती और जनता को विद्युत कटौती

श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री के साथ माननीय मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान एवं श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी 1000 मेगावाट इंदिरासागर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने के अवसर पर

से राहत प्रदान की। ओंकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट) पर भी प्रगति अत्यधिक संतोषजनक है और इसके अक्तूबर, 2007 में प्रारम्भ होने की आशा है जो कि फरवरी, 2008 की इसकी लक्षित तिथि से पहले है। पूर्ण होने पर यह परियोजना 1166 मिलियन यूनिट का वार्षिक उत्पादन करेगी ।

एनएचडीसी की सफलता से उत्साहित होकर अरूणाचल प्रदेश सरकार ने एनएचपीसी तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के मध्य बनाई जाने वाली एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के माध्यम से दिबांग जल विद्युत परियोजना (3000 मेगावाट) को निष्पादित करने की अपनी इच्छा दर्शाई है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अन्य राज्यों से भी विचार-विमर्श की प्रक्रिया चल रही है ।

मुझे यह सूचित करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि शाही भूटान सरकार ने एनएचपीसी तथा शाही भूटान सरकार के मध्य एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से मांगडेचू हेतु डीपीआर तैयार करने के कार्य को सौंपे जाने और 2 परियोजनाओं नामत: पुनातसांगचू (870 मेगावाट) और मांगडेचू (672 मेगावाट) के निर्माण के कार्य को आवंटित किए जाने की अपनी मंशा दर्शाई है।

आपके निगम ने अन्य विद्युत क्षेत्र कंपनियों की भागीदारी के साथ केवल जल विद्युत परामर्श हेतु सहायक कम्पनी की स्थापना का प्रस्ताव रखा है । वर्ष के दौरान निगम को 65.26 करोड़ रुपए के परामर्शी कार्य प्राप्त हुए हैं ।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी ईआरपी पहल 'प्रोजेक्ट किरण' का शुभारम्भ करते हुए

वर्ष के दौरान निगम ने पी5 अर्थात कार्य निष्पादन, अग्रणी, भागीदार, लोगों के प्रति संवदेनाशीलता और सकारात्मक रुख, के अंतर्गत संगठन संस्कृति की अवधारणा को अंतिम रूप दिया । निगम ने 'प्रोजेक्ट किरण' के नाम से उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) को भी प्रारम्भ किया है ।

मानव संसाधन किसी भी निगम की सबसे बड़ी परिसंपत्ति है और कम्पनी के समग्र उद्देश्यों के प्रति प्रतिभा का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हमारे कर्मचारियों की क्षमताओं को उभारने के लिए कई नूतन योजनाएं/नीतियां प्रारम्भ की गई हैं।

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी, श्री विलासराव देशमुख, माननीय मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र से एनएचपीसी को प्रदत्त विजिटेक्स इंटरनेशनल कॉरपोरेट अवार्ड 'क्लीन टेकनोलॉजी विभूषण' प्राप्त करते हुए

यह सूचित करना गर्व का विषय है कि निगम में औद्योगिक संबंधों का वातावरण सौहाद्रपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहा और वर्ष के दौरान किसी भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई थी । आपका

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी, श्री आर.वी.शाही, सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय से एनएचपीसी को प्रदत्त 'एनटीपीसी राजभाषा शील्ड' प्राप्त करते हुए

निगम कार्यालयीन व्यवहार में राष्ट्रभाषा के उपयोग को अत्यधिक महत्व देता है और विभिन्न नूतन योजनाओं के माध्यम से इसके प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है । मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि एनएचपीसी को राजभाषा के कार्यान्वयन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एनटीपीसी शील्ड से नवाजा गया है अर्थात 2004-05 के दौरान प्रथम स्थान और 2001-02 के दौरान द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

मैं इस अवसर का उपयोग, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता तथा समर्थन हेतु, उन्हें बोर्ड का धन्यवाद देने के लिए करता हूँ । मैं वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, योजना आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग आदि और विद्युत बोर्डों/निगमों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनके समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों का उनके द्वारा एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने और उनकी सतत वित्तीय सहायता हेतु हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

मैं, बोर्ड के सभी निदेशकों की ओर से अपने कार्मिकों को वर्ष के दौरान संपूर्ण समर्पण, प्रतिबद्धता, सहयोग और उत्कृष्ट चहुंमुखी कार्य- निष्पादन के लिए धन्यवाद देता हूं ।

एस. के. गर्ग

(एस.के.गर्ग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 28.07.2006
स्थान : फरीदाबाद

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड

हमें 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु अपने निगम की कार्य-निष्पादन पर 30वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखापरीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखे की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है ।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

हमारा कार्य-निष्पादन एक विकास की प्रवृत्ति दर्शाता है और हम उस पथ पर निरंतर अग्रसर हैं । वर्ष के दौरान निगम का कुल बिक्री कारोबार पिछले वर्ष के 1668.27 करोड़ रुपए की तुलना में 1713.79 करोड़ रुपए हो गया । कर पश्चात शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 684.58 करोड़ रुपए से बढ़कर 742.75 करोड़ रुपए हो गया जो 8.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । बिक्री आय की वसूली बिलिंग के 97 प्रतिशत से अधिक थी जोकि विद्युत मंत्रालय के समझौता ज्ञापन में निर्धारित किए गए लक्ष्य से अधिक था । 30 सितम्बर, 2001 को बिहार तथा झारखण्ड राज्य के प्रति 33.38 करोड़ रुपए की बकाया राशि को वर्ष के दौरान प्रतिभूतिकरण के माध्यम से प्राप्त किया गया । हमारे निगम में बकाया देयों के प्रतिभूतिकरण के प्रति पहले जारी किए गए बॉण्ड पर ब्याज आय के रूप में 249.47 करोड़ रुपए अर्जित किए ।

31 मार्च, 2006 को वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार निम्नानुसार है -

सारणी - 1
वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2005-2006	2004-2005
विद्युत की बिक्री	1713.79	1668.27
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	1373.55	1355.64
मूल्यह्रास	269.57	248.97
मूल्यह्रास के पश्चात और ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	1103.98	1106.67
ब्याज लागत	291.82	329.14
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	812.16	777.53
कर	69.41	92.95
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	742.75	684.58
पहले के वर्षों के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	2369.02	1753.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	3111.77	2437.58
विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	64.00	60.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश कर	159.00	80.00
निगमित लाभांश कर	31.28	19.21
लाभ से आरक्षित में विनियोजन	27.75	—
बॉण्ड रिडम्पशन आरक्षित हेतु पश्च लेखन	—	90.65
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित शेष लाभ	2829.74	2369.02

2. विद्युत उत्पादन

वर्ष के दौरान उत्तरांचल में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (280 मेगावाट) की सभी इकाइयों को चालू कर दिया गया था और पावर स्टेशन ने मार्च, 2006 तक 315.46 मिलियन यूनिट (एम.यू) का उत्पादन किया था । इस परियोजना को 8 अप्रैल, 2006 को माननीय विद्युत मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था । वर्ष के दौरान कुल उत्पादन 12567. 15 एम.यू. था जोकि 98.16 प्रतिशत क्षमता सूचकांक के साथ पिछले वर्ष की तुलना में 11.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । हमारे अधिकांश पावर स्टेशनों ने अपने उत्पादन, लक्ष्यों से अधिक को प्राप्त किया है जिसमे सलाल पावर स्टेशन ने 3480.86 एम.यू. का उत्पादन करके अपने प्रारम्भ से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन किया।

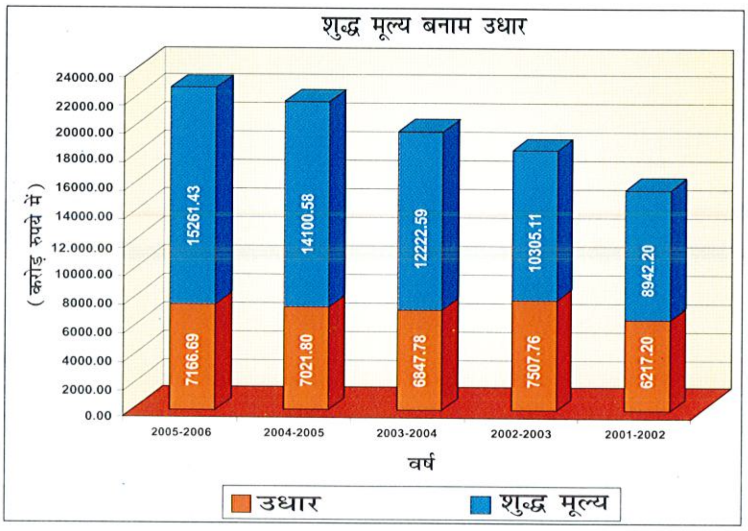

विस्तृत परियोजना-वार उत्पादन का सार निम्नानुसार है -

पावर स्टेशन वार वार्षिक उत्पादन

सारणी - 2

पावर स्टेशन	* लक्षित उत्पादन (एम.यू.) 2005-06	वास्तविक उत्पादन(एम.यू.) 2005-06	वास्तविक उत्पादन(एम.यू.) 2004-05	लक्षित सीआई (%) 2005-06	वास्तविक सीआई(%) 2005-06
बैरास्यूल 180 मे.वा.	779.00	790.99	689.68	92.33	95.21
लोकतक 90 मे.वा	448.00	586.11	629.67	92.33	91.98
सलाल 690 मे.वा.	3082.00	3480.86	3443.28	98.31	100.00
टनकपुर 94.20 मे.वा.	452.00	483.25	495.17	98.17	94.25
चमेरा-I 540 मे.वा.	1665.00	2343.17	2104.69	93.70	98.63
उड़ी 480 मे.वा.	2587.00	2724.82	2206.65	98.22	100.00
रंगित 60 मे.वा.	339.00	352.04	369.73	93.33	94.00
चमेरा-II 300 मे.वा.	1500.00	1490.46	1347.56	92.88	96.11
धौलीगंगा 280 मे.वा.	1080.00	315.46		85.00	98.20
दुलहस्ती 390 मे.वा.	412.00	—		85.00	—
कुल	**12344.00**	**12567.15**	**11286.43**	**94.10**	**98.16**

*** भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में ''बहुत अच्छी'' रेटिंग हेतु लक्ष्य**

3. प्रस्तावित लाभांश

हमने 64 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित वर्ष 2005-06 हेतु 223 करोड़ रुपए (लाभांश कर के अतिरिक्त) के एकमुश्त लाभांश देने की सिफारिश की है जोकि निगम के निवल लाभ का 30 प्रतिशत है ।

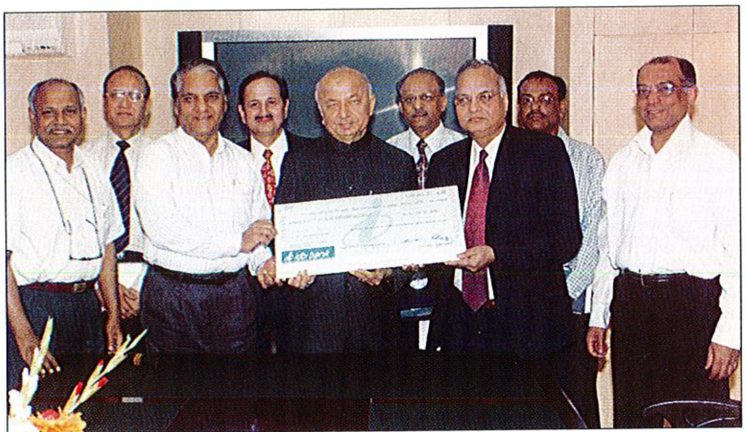

श्री एस.के.गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी श्री सुशीलकुमार शिंदे, माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री को लाभांश चैक प्रदान करते हुए

4. पूंजीगत ढांचा

निगम ने वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति को 789.66 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर जारी किए। 31 मार्च, 2006 को निगम की कुल प्रदत्त पूंजी 10,215.28 करोड़ रुपए थी ।

5. ऋण रेटिंग

मैसर्स फिच रेटिंग्स ने निगम को 'एएए' की दीर्घावधि राष्ट्रीय रेटिंग की पुन: पुष्टि की है । इसी प्रकार, निगम को विदेशी मुद्रा ऋण हेतु दो रेटिंग ऐजेंसी फिच रेटिंग तथा स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर द्वारा ''बीबी+'' की रेटिंग की पुन: पुष्टि की गई है ।

6. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

निगम की 10 विद्युत परियोजनाएं नामत: दुलहस्ती (390 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर; तीस्ता चरण-V (510 मेगावाट), सिक्किम; पार्बती-II (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश; सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश; सेवा-II (120 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर; तीस्ता लो डैम चरण-III (132 मेगावाट), पश्चिम बंगाल; उड़ी-II (240 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर; चमेरा चरण-III (231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश; पार्बती-III (520 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश तथा तीस्ता लो डैम चरण-IV (160 मेगावाट) सिक्किम निर्माणाधीन हैं।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

एचआरटी के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं । जून, 2006 तक एचआरटी लाइनिंग का 99.11 प्रतिशत पूरा हो चुका था । परियोजना को नवम्बर, 2006 में पूर्ण किए जाने की आशा है ।

तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-V (510 मेगावाट), सिक्किम

विद्युत गृह, केबल टनल, बस डक्ट, वातायन टनल तथा टेलरेस टनल के सभी प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं । हेडरेस टनल के सभी मुखों का उपरी उत्खनन कार्य पूरे हो चुके हैं। एचआरटी की बेंचिंग तथा खुली लाइनिंग, बांध में कंकरीट लगाने और 3 उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के कार्य की प्रगति संतोषजनक है । परियोजना को फरवरी, 2007 तक पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-।।

(800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

एचआरटी तथा विद्युत गृह हेतु उत्खनन किया जा रहा है । बांध स्थल पर उत्खनन पूर्ण होने के पश्चात कंकरीट लगाने का कार्य प्रगति पर है । ई एण्ड एम/एचएम घटकों की आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है । इन्कलाइन्ड प्रेशर शॉफ्ट (बांए सिरे) की बोरिंग पूर्ण हो चुकी है । 1546 मीटर की लम्बाई और 4.88 मीटर के उत्खनित व्यास वाली यह विश्व की पहली इन्कलाइन्ड प्रेशर शॉफ्ट है जिसे डबल शील्ड टनल बोरिंग मशीन के साथ और बाद में सेगमेंटल प्री कास्ट कंकरीट लाइनिंग के साथ स्थापित किया गया है ।

510 मेगावाट तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-V (सिक्किम) निर्माणाधीन बांध

सुबानसिरी लोअर (2000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश

अपवर्तन टनल, प्रेशर शॉफ्ट के एडिट्स, सर्ज शॉफ्ट तथा विद्युत गृह जैसे विभिन्न ढांचों हेतु उत्खनन कार्य प्रगति पर है । यह आशा है कि नदी का अपवर्तन अक्तूबर, 2007 तक कर लिया जाएगा।

सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-।। (120 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

विभिन्न ढांचों हेतु उत्खनन कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है और बांध की कंकरीटिंग प्रगति पर है । परियोजना के मई, 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना चरण-।।। (132 मेगावाट), पश्चिम बंगाल

तीस्ता नदी के चरण-। तथा चरण-।। के अपवर्तन को प्राप्त कर लिया गया है । विभिन्न ढांचों हेतु उत्खनन तथा कंकरीटिंग कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। परियोजना का मार्च, 2008 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

उड़ी जल विद्युत परियोजना चरण-।। (240 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर

भारत सरकार ने अपना निवेश अनुमोदन 01.09.2005 को प्रदान किया है। प्रमुख सिविल कार्यों हेतु संविदाएं दी जा चुकी हैं । भूमि को अधिगृहीत किया जा रहा है तथा विभिन्न सिविल ढांचों हेतु उत्खनन प्रारम्भ हो चुका है। एडिट । हेतु उत्खनन पूरा हो चुका है और एचआरटी उत्खनन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-।।। (231 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

अगस्त, 2010 की पूर्णता की तिथि के साथ भारत सरकार ने अपना निवेश अनुमोदन 01.09.2005 को प्रदान किया है । सिविल कार्यों के पैकेज हेतु संविदाएं दी जा चुकी हैं और उपकरणों को जुटाए जाने का कार्य प्रगति पर है । विभिन्न स्थलों पर कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है ।

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-।।। (520 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

भारत सरकार ने अपना अनुमोदन 09.11.2005 को प्रदान किया है । प्रमुख सिविल कार्यों हेतु संविदाएं दी जा चुकी हैं और कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है । एडिट । हेतु उत्खनन पूरा हो चुका है और एचआरटी उत्खनन प्रारम्भ किया जा चुका है।

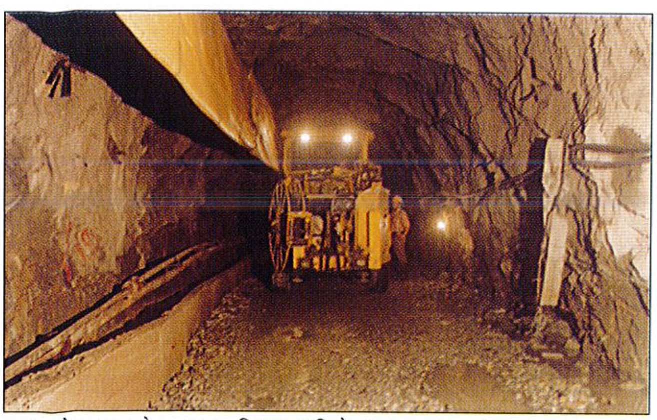

120 मेगावाट सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-II (जम्मू व कश्मीर) निर्माणाधीन सुरंग

132 मेगावाट तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना चरण-III (पश्चिम बंगाल)-निर्माणाधीन बैराज का अपस्ट्रीम दृश्य

तीस्ता लो डैम चरण-IV (160 मेगावाट), सिक्किम

सितम्बर, 2009 में चालू किए जाने के साथ भारत सरकार ने अपना अनुमोदन 30.09.2005 को प्रदान किया है । सिविल कार्य पैकेज दिया जा चुका है और संविदाकर्ता ने संसाधनों को जुटाना प्रारम्भ कर दिया है । वन स्वीकृति अप्रैल, 2006 में प्राप्त हुई थी । चरण-। अपवर्तन चैनल हेतु उत्खनन प्रारम्भ किया जा चुका है ।

सिप्पी (4 मेगावाट) और कम्बांग (6 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश

एनएचपीसी ने अरूणाचल प्रदेश में जमा कार्य पर सिप्पी (4 मेगावाट) और कम्बांग (6 मेगावाट) परियोजनाओं को लिया है । कम्बांग जल विद्युत परियोजना हेतु सिविल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं उत्पादन इकाइयों की जाँच तथा उन्हें चालू किया जाना प्रगति पर है । सिप्पी जल विद्युत परियोजना का सिविल कार्य लगभग समापन पर है । ई एण्ड एम कार्य प्रगति पर हैं ।

7. नई योजनाएं

सरकार की स्वीकृति, टीईसी/टीईए की प्रतीक्षा कर रही और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सर्वेक्षण व अन्वेषण के अंतर्गत नई योजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है -

क. सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाएं

1. **निम्मो बाजगो (45 मेगावाट) तथा चुटक (44 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर** — परियोजनाओं को सिन्धु जल समझौते तथा रक्षा के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त हो चुका है । जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने अनापत्ति जारी की है क्योंकि किसी वन भूमि की आवश्यकता नही है । सम्पूर्ण विद्युत हेतु पीडीडी, जम्मू एवं कश्मीर के साथ विद्युत क्रय पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं । सीसीईए ने 02.06.2006 को हुई अपनी बैठक में इन परियोजनाओं के निष्पादन को अनुमोदित किया है । तथापि, स्वीकृति-पत्र अभी जारी किया जाना है ।

2. **किशनगंगा (330 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर** — परियोजना को सिन्धु जल सन्धि तथा रक्षा के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है और पर्यावरण एवं वन स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है, तथापि, पीआईबी/सीसीईए का अनुमोदन प्रतीक्षित है । इस परियोजना हेतु पीपीए पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं ।

ख. टीईसी/टीईए की प्रतीक्षा कर रही परियोजनाएं

1. **दिबांग (3000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश** — परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और सीईए/सीडब्ल्यूसी/जीएसआई के अभिमतों का उत्तर दिया जा रहा है। पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन दिए जा चुके हैं ।

2. **सियोम (1000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश** — सीईए ने एनएचपीसी को परियोजना की टीईसी दिए जाने से पूर्व अरूणाचल प्रदेश सरकार की सहमति लेने को कहा है । इसी बीच अरूणाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के निष्पादन हेतु मैसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी ने इस मुददे को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है ।

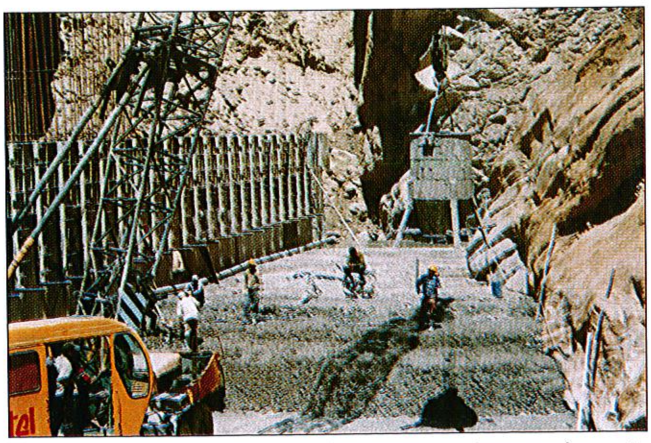

800 मेगावाट पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-II (हिमाचल प्रदेश)-बांध स्थल पर कार्य प्रगति पर

520 मेगावाट पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-III (हिमाचल प्रदेश)-मुख्य पहुंच सुरंग कार्य प्रगति पर

3. **पकल दुल (1000 मेगावाट) जम्मू तथा कश्मीर**

इस परियोजना को सिन्धु जल सन्धि के अंतर्गत एमओडब्ल्यूआर द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है और सीईए द्वारा तकनीकी/आर्थिक स्वीकृति को अंतिम रूप दिया जा चुका है । इस पर पत्र जारी किया जा रहा है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नैशनल पार्क (केएचएएनपी) से बाहर के क्षेत्र हेतु वन मंजूरी प्रदान की जा चुकी है । केएचएएनपी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विआरक्षण हेतु प्रस्ताव पर एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा उनकी 08.06.06 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी ।

4. **बाव चरण-II (20 मेगावाट), महाराष्ट्र**

परियोजना व्यवहार्य न होने के कारण सीईए द्वारा डीपीआर को लौटा दिया गया है । इसके मद्देनजर एनएचपीसी ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) से पीपीए में सहमत निबंधन तथा शर्तों और प्रशुल्क पर परियोजना से 100 प्रतिशत विद्युत के क्रय की उनकी इच्छुकता के संबंध में पुन: पुष्टि मांगी है ।

5. **कोटली भेल चरण-Iए (195 मेगावाट) और Iबी (320 मेगावाट), उत्तरांचल**

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एनएचपीसी तथा उत्तरांचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर दिनांक 08.06.2006 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । डीपीआर सीईए को प्रस्तुत की गई है तथा ईआईए/ईएमपी अध्ययनों के कार्यो को दिया जा चुका है और कोटली भेल-I ए की मसौदा रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है ।

6. **कोटली भेल चरण-II (530 मेगावाट), उत्तरांचल**

परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एनएचपीसी तथा उत्तरांचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर दिनांक 08.06.2006 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं । तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए डीपीआर, सीईए को प्रस्तुत की गई है तथा ईआईए/ईएमपी के कार्यो को दिया जा चुका है ।

7. **लखवार व्यासी (420 मेगावाट), उत्तरांचल**

डीपीआर सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत की जा चुकी है । ईआईए तथा ईएमपी अध्ययनों के कार्य को दिया जा चुका है । दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आदि से क्रमश: पेयजल तथा सिंचाई घटक की लागत को बांटे जाने के संबंध में सहमति प्रतीक्षित है ।

ग डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

1. **बरसर (1020 मेगावाट), जम्मू एवं कश्मीर**

इस परियोजना को केएचएएनपी से बाहर के क्षेत्र हेतु वन मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। केएचएएनपी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के विआरक्षण हेतु प्रस्ताव पर एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति द्वारा उनकी 08.06.2006 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी। ईआईए/ईएमपी के कार्य को दिया जा चुका है ।

2. **सियांग लोअर (2000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

डीपीआर को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य लगभग पूरा हो चुका है । तथापि, अरूणाचल प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के निष्पादन हेतु मैसर्स जे.पी एसोसिएटस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । एनएचपीसी ने मुद्दे को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ उठाया है ।

3. **सुबानसिरी अपर (2000 मेगावाट) तथा सुबानसिरी मिडिल (1600 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एनएचपीसी को डीपीआर तैयार करने और आवश्यक संरचनात्मक कार्य, सर्वेक्षण तथा अन्वेषण करने का परामर्श दिया है । डीपीआर तैयार किए जाने को रोक दिया गया है क्योंकि चरण-II की स्थल मंजूरी हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव सुबानसिरी लोअर परियोजना के मामले में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की इस सिफारिश के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि भविष्य में सुबानसिरी नदी के अपस्ट्रीम में किसी बांध का निर्माण नहीं होगा । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II स्थल मंजूरी अभी तक प्रदान नहीं की गई है।

4. **सियांग अपर/ इंटरमीडिएट (11000 मेगावाट), अरूणाचल प्रदेश**

स्थापित क्षमता को अंतिम रूप दिए जाने के लिए मध्यवर्ती स्थल पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। स्थानीय निवासियों तथा प्रशासन द्वारा विरोध के कारण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य भण्डारण योजना पर आपत्ति कर रहा है।

नए कार्य

उत्तरांचल सरकार तथा सिक्किम सरकार ने एनएचपीसी को निष्पादन हेतु 1630 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 5 परियोजनाएं आवंटित की हैं । ये हैं -

1. 240 मेगावाट चुंगर चल (उत्तरांचल)
2. 630 मेगावाट गरबा तवाघाट (उत्तरांचल)
3. 55 मेगावाट करमोली लूमटी टूल्ली (उत्तरांचल)
4. 495 मेगावाट तीस्ता चरण-IV (सिक्किम)
5. 210 मेगावाट लाचेन (सिक्किम)

8. परामर्शी सेवाएं

वर्ष के दौरान 65.26 करोड़ रुपए के परामर्शी कार्य और कुल 15.04 करोड़ रुपए के भुगतान प्राप्त हुए । निगम में भारत तथा विदेश में जल विद्युत के क्षेत्र में संयुक्त रूप से परामर्शी सेवाएं मुहैया कराने के लिए मॉण्टगोमैरी वाटसन हार्जा अमेरिकास कारपोरेशन, इंटरनेशनल एनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सेज ग्रुप के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएचपीसी एक "परामर्शदाता" के रूप में विश्व बैंक (डब्ल्यूबी), एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक (एएफडीबी) और कुवैत फण्ड फॉर अरब इकोनॉमिक डेवलपमेंट (केएफएईडी), कुवैत में भी पंजीकृत है।

ग्रामीण सड़क परियोजना

एनएचपीसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण का कार्य लिया है । 14.7.2006 के अनुसार 214.4 करोड़ रुपए की लागत के साथ 533 किलोमीटर की 75 सड़कों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है । 136 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 343 किलोमीटर की कुल लम्बाई वाली 43 सड़कों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है और इसके दिसम्बर, 2006 के अंत तक पूरा होने की संभावना है । 190 किलोमीटर कवर करने वाली 16 सड़कों के कार्य को दिए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) परियोजनाएं

एनएचपीसी ने राज्य सरकारों की ओर से आरई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आर ई सी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । निगम पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले, बिहार तथा उड़ीसा प्रत्येक में 6 जिलों और छत्तीसगढ़ तथा जम्मू कश्मीर प्रत्येक में 7 जिलों में आरई परियोजना कार्यान्वयन कर रहा है ।

पुरूलिया जिले में 10 जुलाई, 2006 तक 141 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और बीपीएल घरों को कनेक्शन सहित अन्य गांवों में कार्य प्रगति पर है । पश्चिम बंगाल तथा बिहार में गहन विद्युतीकरण हेतु अनुपूरक डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन है । बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में आरई कार्यों हेतु संविदाएं मई, 2006 में दी जा चुकी हैं । अन्य जिलों हेतु संविदाओं को दिए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है । छत्तीसगढ़ में सभी 7 जिलों, जम्मू एवं कश्मीर में 5 जिलों और उड़ीसा में 2 जिलों हेतु डीपीआर आरईसी को प्रस्तुत की जा चुकी है और शेष हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।

9. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार

वर्ष के दौरान इंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर समाधान प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए एक प्रमुख पहल की गई थी । एक प्रतिष्ठित परामर्शी संगठन को परामर्शदाता के रूप में नियोजित किया गया है और परियोजना का नाम 'प्रोजेक्ट किरण' रखा गया है ।

ईआरपी समाधान कार्य की गुणवत्ता, लाभप्रदत्ता तथा कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रमुख व्यापार प्रक्रियाओं को प्रवाही तथा इलैक्ट्रोनिक रूप से जोड़ेंगे ।

10. मानव संसाधन विकास

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति होते हैं और उनके मध्य सृजनात्मकता, नूतन पहल और कार्य-निष्पादन श्रेष्ठता को विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण आवश्यक है । वर्ष के दौरान सृजनात्मकता तथा नूतन पहल को प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत करने के लिए कार्य स्थल पर सृजनात्मकता तथा नूतन पहल को बाहर लाने के लिए एक योजना प्रारम्भ की गई थी । निजी कम्पनियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों के मध्य अत्यधिक दक्ष प्रबंधकों तथा अच्छे तकनीशियनों का एक पूल विकसित करने पर बल दिया जा रहा है । शक्तियों तथा कमजोरियों, भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं और निगम हेतु एक उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे के विकास की पहचान के लिए एक प्रमुख रि-इंजीनियरिंग तथा रि-स्ट्रक्चरिंग क्रिया प्रारम्भ की जा रही है । इसके अतिरिक्त, विभिन्न अन्य एचआर हस्तक्षेप अर्थात संगठन वातावरण सर्वेक्षण, दक्षता मैपिंग क्रिया को कर्मचारियों के संतुष्टि स्तर का पता लगाने तथा बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण हेतु प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है और कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्वयं सहायता समूह, संगठनात्मक कैरियर निर्माण, संगठनात्मक विकास, उत्पादकता में वृद्धि, कार्यात्मक/तकनीकी उन्नयन और सूचना प्रौद्योगिकी कौशल उन्नयन किया जा रहा है । वर्ष 2005-06 के दौरान हमने 616 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिसमें विभिन्न स्तरों के 6449 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए थे ।

11. औद्योगिक संबंध तथा कर्मचारी कल्याण

कर्मचारी तथा नियोक्ता के मध्य औद्योगिक संबंध सौहाद्रपूर्ण तथा शान्तिपूर्ण रहे थे । हड़ताल/तालाबंदी के कारण किसी श्रम दिवसों की हानि नहीं हुई थी । कर्मचारी कल्याण क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया गया था ।

12. सतर्कता क्रियाकलाप

एनएचपीसी का सतर्कता प्रभाग संगठन में विभिन्न प्रक्रियाविधियों और भारत सरकार तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों का पालन करते हुए तन्त्र में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है । सतर्कता प्रभाग ने अपने आंतरिक विधियों को मानकीकृत तथा प्रलेखित किया है और सतर्कता कार्यों हेतु आईएसओ-9001:2000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणीकरण प्राप्त किया है, जिसका जनवरी, 2005 से 3 वर्षों के अवधि के लिए नवीकरण किया गया है ।

7 नवम्बर 2005 को एनएचपीसी दिवस के अवसर पर सतर्कता पुस्तिका 'चेतना 2005' का विमोचन

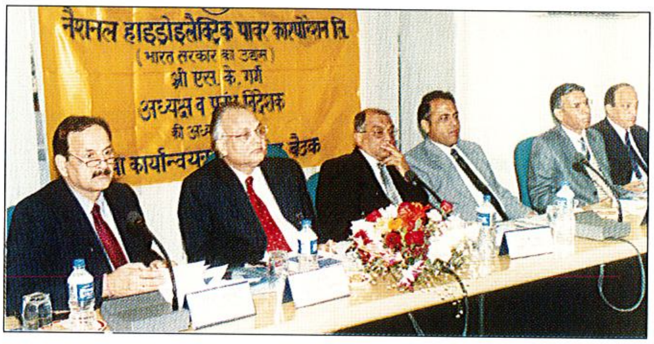

श्री एस. के. गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी, निदेशक (कार्मिक), निदेशक (तकनीकी) एवं मुख्य सर्तकता अधिकारी के साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में

13. राजभाषा कार्यान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया । निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई थी और राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की गई थी । 1 सितम्बर से 14 सितम्बर के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना/ कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था । प्रतियोगिताएं, हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़े जोश के साथ आयोजित किया गया था । इंटरनेट पर राजभाषा पोर्टल और इंटरकॉम पर वाइस-मेल को हिन्दी में प्रारम्भ किया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति ने तीस्ता लो डैम परियोजना और रंगित पावर स्टेशन का निरीक्षण किया और संबंधित परियोजना तथा पावर स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की । निगम को इसके सराहनीय प्रयासों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वैजयन्ती शील्ड (द्वितीय पुरस्कार) से नवाजा गया था । एनएचपीसी को भारतीय भाषा एवं संस्कृति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा पांडिचेरी में आयोजित 9वीं अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी में राजभाषा नवरत्न पुरस्कार दिया गया था ।

14. कारपोरेट संचार

कारपोरेट संचार किसी संगठन की छवि को संप्रेषित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । एनएचपीसी की उपलब्धियों को प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से समूचे देश में उचित रूप से प्रचारित किया गया था । निगम ने विभिन्न राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रदर्शनियों जैसे कि प्रगति मैदान नई दिल्ली मे "भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2005" मुम्बई में "पावर इंडिया 2005", "देहरादून में "डेस्टिनेशन उत्तरांचल" में भाग लिया था । भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला- 2005 में एनएचपीसी के पैवेलियन को थीम प्रस्तुत करने में विशेष प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पदक दिया गया था ।

श्री एस. के. चतुर्वेदी, निदेशक (कार्मिक) तथा श्री उपेन्द्र चोपड़ा,महाप्रबंधक (मा. सं एवं का. संचार) आई आई टी एफ 2005 में सर्वोत्कृष्ट पैवेलियन के लिए एनएचपीसी को प्रद त्त स्वर्ण पदक एवं प्रमाण-पत्र श्री ई.वी.के.एस. एलागोवन, माननीय केन्द्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग से प्राप्त करते हुए

''एनएचपीसी न्यूज'' आंतरिक संचार के लिए एक प्रभावी माध्यम बना हुआ है। कर्मचारियों तक सूचना के शीघ्र प्रसार के लिए ''फ्रॉम सीएमडी डेस्क'' शीर्षक वाली एक मासिक विज्ञप्ति प्रारम्भ की गई थी ।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण वर्ष 2005 को मनाने के एक भाग के रूप में एनएचपीसी ने 5 राज्यों नामत: जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों हेतु चित्रकला प्रतियोगिता का संयोजन किया ।

15. सामाजिक उत्तरदायित्व

सामुदायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और नैतिक व्यवहार के प्रति एनएचपीसी ने अपनी सतत प्रतिबद्धता के प्रति आंतरिक तथा बाहरी व्यक्तियों और समग्र समाज के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान दिया है । सीएसआर पहलू निगम के लक्ष्य कथन में भी प्रतिध्वनित होता है जो "परियोजनाओं का एक लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक-आर्थिक प्रतिउत्तर तरीके से निष्पादन तथा प्रचालन करना है ।" इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पावर स्टेशनों पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) पहल नामक एक योजना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है । एनएचपीसी ने पावर स्टेशनों तथा निर्माण परियोजनाओं में तथा उसके आस-पास रह रहे व्यक्तियों के लिए कई सीएसआर-सीडी पहलें की हैं । अच्छे निगमित नागरिक के रूप में एनएचपीसी द्वारा कवर किए गए प्रमुख क्षेत्र बाह्य पहुंच, अपहोल्डिंग, सह-भागिता, संतुलन लाना आदि है और इसने विभिन्न सामुदायिक विकास पहलें अर्थात हर्बल पार्क बनाना, वनीकरण, कैचमेंट क्षेत्र उपचार (सीएटी), मछली पालन का प्रबंधन तथा चिकित्सा /टीकाकरण शिविर आयोजित करना, शिक्षा सुविधा, परिधीय विकास, खेल/मेले आयोजित करना आदि की हैं । वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भूकंप पीड़ित क्षेत्रों में डीजी सैट, दवाइयां, चिकित्सा उपचार, कपड़े, आश्रय आदि मुहैया करवाकर बड़े पैमाने पर राहत कार्य किया । इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी कर्मचारियों ने भी अपना एक दिन का वेतन जिसकी राशि 68,93,827/- रुपए थी, का योगदान प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया ।

16. सहायक निगम

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है । इसकी दो परियोजनाएं हैं नामत:

इन्दिरा सागर परियोजना (1000 मेगावाट)

इन्दिरा सागर परियोजना ने 2573.45 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया और मध्य प्रदेश राज्य को सस्ती दर पर विद्युत मुहैया कराई जो राज्य को बाहरी बचत में परिणत हुआ ।

ओंकारेश्वर परियोजना (520 मेगावाट)

65 मेगावाट प्रत्येक की 8 इकाइयों के साथ 520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना को वर्ष में 1166 मिलियन यूनिट का उत्पादन करने के लिए बनाया गया है । भारत सरकार ने एनएचडीसी द्वारा फरवरी, 2008 तक परियोजना के निष्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है । तथापि, परियोजना स्थल पर कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से आगे है । इसने मार्च, 2006 माह में 1.294 लाख घनमीटर की अधिकतम कंकरीटिंग का रिकार्ड दर्ज किया । यह आशा है कि यह परियोजना 4 वर्ष से भी कम में अर्थात अक्तूबर, 2007 तक पूरी हो जाएगी ।

17. निगमित अभिशासन (कारपोरेट गवर्नेंस)

हमारा निगम इस बात पर दृढ़ विश्वास करता है कि अच्छा निगमित शासन व्यवहार एक श्रेष्ठ निगम बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह उद्यम तथा समग्र रूप से देश के लिए सम्पत्ति के सृजन हेतु प्रचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली विकसित करने और व्यापार उद्यम की दक्षता में सुधार करने पर बल देता है । लेखा परीक्षा समिति सभी वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व नियमित रूप से उनकी समीक्षा करती है तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मानिटरिंग करती है।

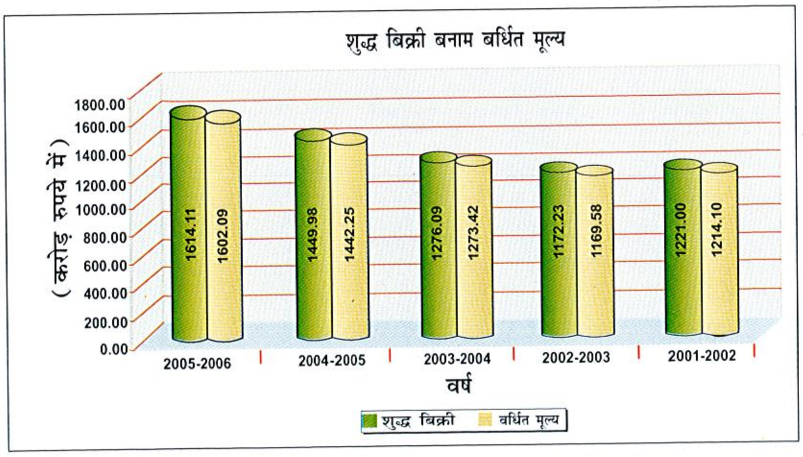

निगम के लेखे को; बोर्ड द्वारा रिकार्ड में लिए जाने के पश्चात नियमित रूप से राष्ट्रीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित किया जाता रहा है। इन्हें समग्र जनता की जानकारी के लिए संचार के अन्य साधनों के साथ-साथ निगम की वेबसाइट पर भी डाला जाता है । निगम कानूनी प्रावधानों, नियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ हस्ताक्षरित सूचीकरण करार के प्रावधानों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान देता है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान पूंजीगत बाजार से संबंधित किसी मामले में नैशनल स्टॉक एक्सचेंज/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है/किसी प्रकार की आलोचना नहीं की गई है ।

18. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005, 12 अक्तूबर, 2005 से प्रभावी हुआ । अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न दस्तावेजों/रिकार्डो को रखा और कम्पनी सचिव को निगम का जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किया गया है। सूचना पर समूचे राष्ट्र की पहुंच को समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक पावर स्टेशन /परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/ इकाई हेतु भी सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए थे ।

19. अनु.जा./अनु.जन.जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

निगम सेवा में अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन करता है ।

20. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है । भारत सरकार के निदेशों के अनुसार इनके लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाता है ।

21. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

सूचना इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है ।

22. कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य है।

23. लेखा परीक्षक

वर्ष 2005-06 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स बत्रा सप्रा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर.मैती एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, कोलकाता और मैसर्स ओ. पी. गर्ग एण्ड कम्पनी, जम्मू को निगम के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था ।

राजस्व 2005-06 का विश्लेषण

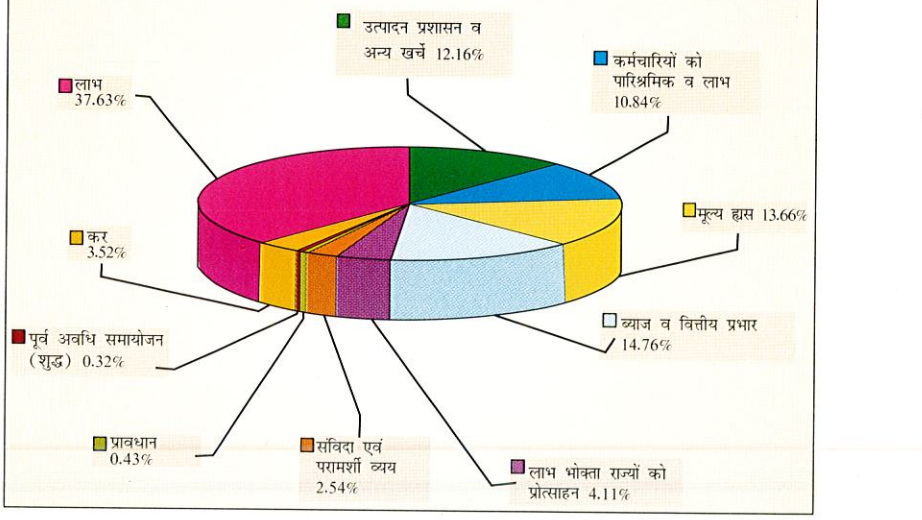

24. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची-21 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख है जोकि स्वत: स्पष्ट हैं । लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके उत्तर **अनुबंध-II** में दिए गए हैं । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर रिपोर्ट के **अनुबंध-III** में संलग्न हैं।

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लेखे की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

25. सहायक निगम के लेखे

हमारे निगम की एक अनुषंगी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत विवरण सहित संलग्न हैं।

26. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अंतर्गत यथापेक्षित निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि –

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लेखाकरण के लिए लागू मानकों का अनुपालन किया गया है और यदि कोई वास्तविक विचलन हुआ तो उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं तथा अनुमान लगाए हैं जो कि तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि हेतु कम्पनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं;

(iii) निदेशकों ने अपनी पूर्ण जानकारी तथा योग्यता के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डो के अनुरक्षण पर उचित तथा पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे निरंतर संबंध आधार पर तैयार किए हैं।

27. निदेशक मंडल

श्री ए.के.गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजना), जिनके पास अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी था, 30.9.2005 को अपनी अधिवर्षिता की आयु पर बोर्ड में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हो गए ।

आभार

निदेशक मण्डल भारत सरकार, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालय तथा विभागों/बोर्डों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं तथा साथ ही भारतीय निवेशकों का भी निगम को निरन्तर सहायता देने, उस पर अपना भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी है ।

निदेशक मण्डल विद्युत लेने वाले उपभोक्ता राज्यों और परामर्शी कार्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करता है। बोर्ड, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयासों हेतु विशेष आभार व्यक्त करता है ।

निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी है । इसके साथ ही निदेशक मंडल एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है जिनके उत्साह, समर्पण तथा सहयोग से संतोषजनक कार्य-निष्पादन की प्राप्ति संभव हुई है । बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे ।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

एस. के. गर्ग

(एस.के.गर्ग)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.07.2006
स्थान : फरीदाबाद

कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन पर निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

क. ऊर्जा संरक्षण

क) किए गए और किए जा रहे ऊर्जा उपाय –

कार्य-निष्पादन के आंकलन तथा इसे ईष्टतम करने के उद्देश्य से सलाल पावर स्टेशन की सभी 6 इकाइयों की ऊर्जा संपरीक्षा की गई थी । इन परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है और उन्हें उचित समय पर कार्यान्वित किया जाएगा । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान लोकतक तथा टनकपुर पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा की जाएगी ।

(ख) ऊर्जा के उपभोग में कमी करने हेतु क्रियान्वित किये जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो ।

परीक्षणों के परिणामों के आधार पर विभिन्न पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में स्थित विभिन्न उपकरणों पर उनकी आवश्यकता के अनुसार आधुनिक पेट्रोलियम ईंधन बचत प्रोद्योगिकी (फिच फ्यूल कैटालिस्ट) के उपयोग की सिफारिश की गई है ।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में उल्लिखित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा उपभोग में कमी और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर परिणामस्वरूप प्रभाव ।

कमतर कार्य-निष्पादन वाले औजारों/उपकरणों को ऊर्जा दक्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इन्हें वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान एक चरणबद्ध रूप में स्थापित किया जाएगा ।

घ) तत्संबंधी अनुबंध के फार्म-क के अनुसार कुल ऊर्जा उपभोग और उत्पादन की प्रति यूनिट पर ऊर्जा उपभोग ।

एनएचपीसी इस अनुसूची में वर्णित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(ङ) तकनीक समावेशन हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न फार्म-बी में दिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(च) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल, उत्पाद तथा सेवाओं हेतु नए बाजारों का विकास, और निर्यात योजनाएं ।

एनएचपीसी की कोई निर्यात योजना नहीं हैं ।

(छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त तथा अर्जित

करोड़ रुपए में

	विवरण	2005-2006	2004-05
1.	सीआईएफ आधार पर आयातित		
	संयंत्र तथा मशीनरी और कलपुर्जों का मूल्य	2.27	20.22
2.	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	(i) जानकारियां	1.19	0.28
	(ii) ब्याज	108.47	116.75
	(iii) अन्य विविध	335.24	311.37
3.	प्रचालन इकाइयों में उपभोग किए		
	गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
	आयातित	5.12 (35 %)	5.38 (77 %)
	देशीय	9.54 (65 %)	1.60 (23 %)
4.	आय (नकद आधार पर)		
(i)	ब्याज आय	–	–
(ii)	अन्य	–	–

फार्म - बी

विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें निगम द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) किया जा रहा है-

- जल विद्युत उत्पादक घटकों के सेवाकाल में सुधार हेतु तापीय स्प्रे कोटिंग- सलाल तथा बैरास्यूल पावर स्टेशनों पर परीक्षण किए गए हैं।
- एनएचपीसी परियोजनाओं हेतु सीडीएम लाभ ।
- ईंधन बचाने वाली प्रौद्योगिकी - परियोजनाओं पर परीक्षण किए गए हैं ।
- भू-तापीय ऊर्जा का विकास ।
- नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना अर्थात एनएचपीसी परियोजनाओं/संस्थापनाओं पर सौर ऊर्जा ।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ**

- एनएचपीसी स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजनाओं के तौर पर जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में सक्रिय रूप से नियोजित है। वर्तमान में सीडीएम लाभ प्राप्त किए जाने के लिए निम्मो बाजगो, चुटक तथा कोटली भेल-। ए परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।
- एनएचपीसी ने नवीनतम ईंधन बचाने वाली प्रौद्योगिकी (फिच फ्यूल कैटलिस्ट) को अपनाने के लिए क्षेत्र परीक्षण किए हैं। क्षेत्र परीक्षणों ने उत्साहजनक परिणाम तथा ईंधन में बचत दर्शाई है।
- पूगा में भू-तापीय परियोजना के विकास हेतु प्रारम्भिक रिपोर्ट जनवरी, 2006 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी जिसके बाद मार्च, 2006 में पूगा में भू-तापीय परियोजना के ढांचे पर एनएचपीसी की टिप्पणियां/अभिमत प्रस्तुत किए गए थे ।
- हरित विद्युत को बढ़ावा देने के लिए निम्मो बाजगो जल विद्युत परियोजना पर सौर ऊर्जा को अपनाने हेतु एक पायलट परियोजना प्रारम्भ की जा रही है और इसके 2006-2007 में चालू होने की आशा है ।

3. **2006-2007 के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना**

उपर्युक्त वर्णित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के वर्ष 2006-07 में भी जारी रखने की योजना है ।

- हाइड्रोजनरेटर के टरबाइन हेतु गाद प्रतिरोधी पदार्थ के विकास हेतु राष्ट्रीय आर एण्ड डी योजना को आर एण्ड डी पर स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था । एनएचपीसी के अंश को सीपीआरआई को निर्मुक्त कर दिया गया है, एनएमएल इस अनुसंधान परियोजना हेतु नोडल एजेंसी है । पूर्णता हेतु निर्धारित कार्यक्रम 3 वर्ष है ।
- नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से उपयोग को बढ़ावा देना अर्थात एनएचपीसी आवासीय परिसर, फरीदाबाद में सड़क की रोशनी हेतु सौर ऊर्जा आदि ।
- लोकतक तथा टनकपुर पावर स्टेशनों की ऊर्जा संपरीक्षा ।
- सीएफडी प्रयोगशाला की स्थापना ।

4. **अनुसंधान एवं विकास पर व्यय**

2005-06 तक कुल - 672.19 लाख रुपए व्यय किया गया, जिसमें मई 1997 से भू-तापीय ऊर्जा के विकास पर खर्च हुए 146.39 लाख रुपए भी शामिल हैं ।

प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग और नवीनीकरण

1. **प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग और नवीनीकरण के लिए किए गए प्रयासों की संक्षेप में जानकारी -**

जल के भीतर रहने वाले टरबाइन घटकों हेतु हार्ड कोटिंग के क्षेत्र में विशेषीकृत संगठनों के साथ विभिन्न प्रयोगात्मक अध्ययन/परीक्षण किए गए ताकि गाद से कटाव के प्रति उनके कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा सके और सम्भावित हल के रूप में तापीय स्प्रे तकनीकों की पहचान की जा सके ।

2. **उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि निम्नानुसार हैं -**

हार्ड कोटिंग एक जारी प्रक्रिया है और इससे लाभ हाइड्रो टरबाइन के जल के भीतर वाले घटकों हेतु लाभकारी होने वाले अन्तिम कोटिंग पदार्थ को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही प्राप्त होंगे । एचवीओएफ प्रक्रिया के साथ टंग्स्टन कार्बाइड कोबाल्ट कोटिंग ने उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं ।

3. **पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी -**

एनएचपीसी को गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा देश में भू-तापीय विद्युत के विकास के लिए 'नोडल एजेंसी' के रूप में नामित किया गया है । भारत में विभिन्न भूतापीय क्षेत्रों के क्रमिक अध्ययनों को पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता के माध्यम से कराया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में तकनोलॉजी का अंतरण केवल तभी होगा जब गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनइएस) अथवा विद्युत मंत्रालय पूगा/तत्तापानी में भू-तापीय परियोजना के स्थापन को मंजूरी देगा तथा इसे एनएचपीसी को सौंपेगा ।

(नोट - उपर्युक्त जानकारी केवल आर एण्ड डी समूह के संबंध मे है।)

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1. हमने **नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2006 के संलग्न समेकित तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।	
2. हमने साधारणत: भारत में प्रचलित लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित हैं कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार उपलब्ध कराती है।	
3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार यथापेक्षित भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 जिसे कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) संशोधन आदेश, 2004 (जिसे एतदपश्चात आदेश कहा गया है) के साथ पढ़ा जाता है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।	
4. ऊपर पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के क्रम में हम आगे सूचित करते हैं कि:-	
(क) **स्व-बीमा आरक्षित के खाते की प्रविष्टि, एक नामितिक प्रविष्टि होने के कारण, लाभ तथा हानि विनियोजन लेखे के बजाए लाभ तथा हानि लेखे में 53.18 करोड़ रुपए के डेबिट से उस सीमा तक शुद्ध लाभ को कम आंकने में परिणत हुआ है।**	लेखांकन प्रक्रिया, जिसका नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है, लेखांकन नीति संख्या 12 के अनुसार है । इस संबंध में वर्ष 1997-98 हेतु निगम के वार्षिक लेखे पर तात्कालिक सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणी पर नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जोकि निम्नानुसार है -

अपेक्षाएं	सी एण्ड एजी की टिप्पणी
लेखांकन नीति संख्या 10 **(अब लेखांकन नीति संख्या 12)** लाभ में से विनियोजन करने के बजाय लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित करके स्व-बीमा आरक्षित का सृजन ।	सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपेक्षाओं संबंधी टिप्पणी सही नहीं है क्योंकि स्व-बीमा आरक्षित का सृजन ओ एण्ड एम परियोजनाओं में असंभावित हानियों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है ।

उक्त स्थिति की निगम के वर्ष 2001-02 के लेखे पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की ऐसी ही अपेक्षाओं संबंधी टिप्पणी पर सीएजी की टिप्पणी संख्या 9 द्वारा पुन: पुष्टि की गई थी ।

5. ऊपर पैराग्राफ 4 में हमारी रिपोर्ट के अध्यधीन, हमारा कहना है कि:-

i) हमने वह सब सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ii) लेखापरीक्षकों में कार्य का आवंटन पत्र संख्या सीए. वी/सीओवाई/केन्द्र सरकार एनएचपीसी (4)/79 दिनांक 22.08.2005, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा एनएचपीसी को सम्बोधित है, में निहित निदेश का अनुसरण करते हुए किया गया है;

iii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उपयुक्त लेखाबहियों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया गया है जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है। शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट(टें) हमें अग्रेषित की गई हैं तथा उन पर समुचित कार्रवाई की गई है;

iv) इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण लेखाबहियों से तथा शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियों से मेल खाते हैं;

v) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों में लागू सीमा तक समनुरूप हैं;

vi) **संस्था के अंतर्नियमों की संशोधित खण्ड 33 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए, इसका अनुपालन अपेक्षित है।**

vii) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ सं. 08/05/2001-सीएल-वी के तहत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1) (छ) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होंगे;

(viii) हमारी राय मे तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे जो उनके साथ की टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:-

(क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में,

(ख) लाभ एवं हानि लेखे के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में, तथा

(ग) कैश फ्लो विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के बारे में।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स्

(ए.एल. बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार सत्यापन की आवृत्ति युक्तिसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान वास्तविक सत्यापन की गई नियत परिसंपत्तियों के मामले में बही रिकार्डों की तुलना में कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू कंपनी आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करना इस कारण से प्रभावित नहीं होता है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भण्डार की वस्तुसूची, कलपुर्जों, इस्पात तथा सीमेंट सिवाय उसके जो संविदाकर्ताओं के पास अथवा पारगमन में है, का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ऐसे सत्यापन की आवधिकता युक्तिसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं युक्तिसंगत एवं पर्याप्त हैं।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी वस्तुसूची के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक स्टॉकों तथा वस्तुसूची के अभिलेखों के बीच सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई।

(iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखा परीक्षा कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं लिए हैं/दिए हैं। इसको देखते हुए खण्ड (iii) के उप खण्ड (ख), (ग) और (घ) लागू नहीं होते।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर के तहत आने वाली पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसको देखते हुए खण्ड (iii) के उप खण्ड (ङ) (च) और (छ) लागू नहीं होते।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वस्तुसूची क्रय, नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में, विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं।

(v) (क) ऐसी कोई संविदा या लेनदेन नहीं है जिसके लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।

(ख) आदेश के पैरा 4 के उप पैरा (v) के उप खण्ड (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी के साथ पाँच लाख रुपए से अधिक मूल्य का लेनदेन नहीं किया गया है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई धनराशि स्वीकार नहीं की है।

हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, कंपनी के व्यवसाय के आकार व प्रकार के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था है।

(viii) हमने कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों का मोटे तौर पर पुनरीक्षण किया है तथा हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखे तथा रिकार्ड बनाए गए हैं तथा अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने इस उद्देश्य से कि वे सही अथवा पूर्ण हैं इन रिकार्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं जिन्हें नियमित रूप से प्राधिकारियों के पास जमा कराना होता है, उन्हें सामान्यत: उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा देती है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2006 को ऊपर वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकार्डो के अनुसार बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क, संपत्तिकर, सेवाकर, उत्पाद, शुल्क, उपकर के संबंध में किसी विवाद के कारण जमा न कराई गई राशि 116.48 करोड़ रुपए है।

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानियां नहीं हैं। कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष तथा इस वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष के दौरान कोई नकद हानियां नहीं हुई हैं।

(xi) रिकार्डो के प्रमाणीकरण के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था/बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयताओं की पुनर्अदायगी में चूक नहीं की है।

(xii) हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों और डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों को दृष्टिबंधक रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

(xiii) कंपनी एक चिट फंड या निधि अथवा कोई परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। अत: कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार नहीं कर रही है। इसलिए यह धारा xiv इस पर लागू नहीं होती।

(xv) कंपनी ने बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन पत्र की समग्र परीक्षा के आधार पर मियादी ऋणों का इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए ये लिए गए थे।

(xvii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र परीक्षा के आधार पर, हमें संबंधित सूचना उपलब्ध कराई गई और जैसा कि प्रबंधन ने प्रस्तुत किया, वर्ष के दौरान कोई अल्पावधि निधि नहीं जुटाई गई है।

(xviii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किए हैं और इसलिए उस संबंध में प्रतिभूति अथवा प्रभार बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निगमों द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए सार्वजनिक निगमों द्वारा जुटायी गई राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(xxi) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उसके साथ कोई धोखाधड़ी जानकारी में नहीं आई है या सूचित की गई है।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स्

(ए.एल. बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन
(जम्मू व कश्मीर)-पावर हाउस

वार्षिक लेखे

31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2006			31 मार्च, 2005		
निधियों के स्रोत							
क. अंशधारकों की निधि							
i) हिस्सा पूंजी	1		10215.28			9425.62	
ii) हिस्सा पूंजी जमाराशि			20.38			158.89	
iii) इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			340.43			348.76	
iv) आरक्षित एवं अधिशेष	2		4709.89	15285.98		4168.49	14101.76
ख. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		3973.50			4004.26	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		3193.19	7166.69		3017.54	7021.80
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम रूप में प्राप्त आय				1030.18			1071.15
घ. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थतिग कर देयताएं			1601.38			1413.48	
घटाएं : वसूली योग्य आस्थगित कर			1601.38	-		1413.48	-
जोड़				23482.85			22194.71
निधियों का अनुप्रयोग							
क. नियत पूंजी व्यय							
i) नियत परिसम्पत्तियां	5						
ए) सकल ब्लॉक		12755.52			10876.28		
घटाएं : मूल्यह्रास		2527.83			2148.20		
बी) शुद्ध ब्लॉक			10227.69			8728.08	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		8844.19			8787.19	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		778.95	19850.83		770.14	18285.41
ख. निवेश	8			3832.81			3769.43
ग. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		146.82			154.50		
ii) मालसूची		51.80			49.52		
iii) चालू संविदा कार्य		93.17			42.87		
iv) विविध देनदार		161.56			450.87		
v) नकद एवं बैंक शेष		542.20			311.68		
vi) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		92.87			164.87		
vii) ऋण एवं अग्रिम		309.00	1397.42		290.34	1464.65	
घटाएं : चालू देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		700.79			652.60		
ii) प्रावधान		921.97	1622.76		673.36	1325.96	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				(225.34)			138.69
घ. विविध व्यय							
(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)	11			24.55			1.18
जोड़				23482.85			22194.71
लेखाकरण नीतिया	23						
लेखा टिप्पणियां	24						

अनुसूची 1 से 24 तक लेखों का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

एस.पी.सेन
निदेशक (तकनीकी)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची		31 मार्च, 2006			31 मार्च, 2005	
आय							
i) बिक्री	12		1713.79			1668.27	
घटाएं : टैरिफ समायोजन			51.80			86.54	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी	12 क		47.88	1614.11		131.75	1449.98
ii) संविदाएं व परामर्श आय	13			48.81			22.61
iii) पावर बांड पर ब्याज				227.91			215.14
iv) दीर्घवधि अग्रिम पर बयाज				21.56			26.96
v) अन्य आय	14			61.27			129.09
कुल आय				**1973.66**			**1843.78**
व्यय							
i) उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय	15			240.00			155.16
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	16			214.02			200.65
iii) मूल्यह्रास	17			269.57			248.97
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	18			291.82			329.14
v) प्रावधान	19			8.45			25.58
vi) संविदा व परामर्शी व्यय	20			50.09			18.18
vii) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				81.16			83.22
viii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	21			6.39			5.35
कुल व्यय				**1161.50**			**1066.25**
कर से पूर्व लाभ				**812.16**			**777.53**
कराधान के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			47.52			55.98	
ii) पूर्व वर्षों से संबद्ध समायोजन			16.14			36.97	
iii) अनुषंगी हित लाभकर			5.75			-	
iv) आस्थगित कर		187.90			34.32		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		187.90	-	69.41	34.32	-	92.95
कर पश्चात लाभ				**742.75**			**684.58**
पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया शेष				2369.02			1753.00
अप्रयोज्य लाभ				**3111.77**			**2437.58**
विनियोजन							
i) अंतरिम लाभांश				64.00			60.00
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				159.00			80.00
iii) कारपोरेट लाभांश कर				31.28			19.21
iv) लाभ से आरक्षित में विनियोजन				27.75			-
v) बांड शोधन आरक्षित निधि से वापस लिखी गयी राशि				-			90.65
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष				**2829.74**			**2369.02**
प्रति शेयर आय (ईक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000 रु0 प्रत्येक)							
मूल				**75.05**			**77.08**
परिवर्तित				**72.53**			**74.17**

लेखा नीतियां	23
लेखों पर टिप्पणियां	24

अनुसूची 1 से 24 तक लेखों का अभिन्न अंग है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

एस.पी.सेन
निदेशक (तकनीकी)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

अनुसूची - 1 शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
क. प्राधिकृत		
प्राधिकृत पूंजी: 1000/- रुपए प्रत्येक के 150,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 150,000,000)	15000.00	15000.00
ख. निर्गमित		
निर्गमित पूंजी: 1000 रुपए प्रत्येक के 102,152,820 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 94,256,197)	10215.28	9425.62
ग. अभिदत व प्रदत		
1000/- रुपए प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 102,152,820 इक्विटी शेयर (पिदले वर्ष 94,256,197) (इनमें से 6,29,529 शेयर भारत सरकार के साथ करार के अनुसरण मे नकद से अन्यथा प्रतिफल हेतु आवंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर को नकदी के अलावा आंशिक प्रतिफल के लिए आवंटित किया गया है।)	10215.28	9,425.62
जोड़	**10215.28**	**9,425.62**

अनुसूची - 2 आरक्षित व अधिशेष

(करोड़ रुपए)

		अद्य शेष 01.04.05		वर्धन		कटौती/ समायोजन		अन्तिम शेष 31.03.06
पूंजी आरक्षित		0.06		-		-		0.06
बांड शोधन आरक्षित		174.75		27.75		-		202.50
सामान्य आरक्षित		1,320.00		-		-		1,320.00
लाभ व हानि लेखा		2,369.02		742.75		282.03		2,829.74
स्वबीमा आरक्षित	304.88		53.19		0.09		357.98	
घटाएं: दावों पर प्रतिपूर्ति योग्य	0.22	304.66	0.17	53.02	-	0.09	0.39	357.59
जोड़		**4,168.49**		**823.52**		**282.12**		**4,709.89**

अनुसूची - 3 ऋण निधि - संरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
क. बांड		
बांड/डिबेंचर संरक्षित	1000.00	1028.00
ख. सावधिक ऋण		
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण - भारतीय मुद्रा - संरक्षित	2973.50	2976.26
कुल (परिशिष्ट देखें)	**3973.50**	**4004.26**

ऋण निधि - संरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
I. बांड (अपरिवर्तनीय एवं असंचयी)				
बांड एम सीरीज *4 व 7				
(प्राइवेट प्लेसमेंट)				
(07.01.2007 को सममूल्य पर रिडम्पशन 100000/- रुपए प्रत्येक के 9.55% 5 वर्षीय बांड)	430.00		430.00	
(एक वर्ष में रिडम्पशन के लिए देय 430 करोड)				
बांड एन सीरिज *7				
6.50% 32 माह के बांड, एक करोड़ रु. प्रत्येक रिडम्पशन पर जो 15.11.2003 से 5 समान छमाही किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।	-		28.00	
बांड ओ सीरिज *2	570.00	1000.00	570.00	1028.00
(10 अलग-अलग हस्तांतरीय रिडम्पशन मूल हिस्सों वाले प्रतिदेय 10 करोड़ रुपए प्रत्येक के 7.7% पर 15 वर्षीय बांड तथा प्रत्येक अलग-अलग हस्तांतरणीय रिडम्पशन मूल हिस्सा जिसमें बांड के अंकित मूल्य का 1/10वां मूल्य शामिल है।)				
(शीघ्रतम रिडम्पशन 31.03.2009 को।)				
(एक वर्ष में रिडम्पशन के लिए देय शून्य रुपए)				
कुल बांड (क)		1000.00		1028.00
II. सावधिक ऋण				
बैंक ऑफ इंडिया *1	-		50.00	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) (6.2.06 को चुकता किया)				
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1	50.00		50.00	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)				
(02.11.2007 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)				
केनरा बैंक *1	-		60.00	
(27.3.06 को चुकता किया)				
केनरा बैंक *1	-		100.00	
(14.3.06 को चुकता किया)				
केनरा बैंक *1	85.00	-	85.00	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)				
(31.1.2009 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)				
इंडियन ओवरसीज बैंक *1	50.00		50.00	
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)				
(06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)				
इंडियन बैंक *1	-		100.00	
(19.12.05 को चुकता किया)				

अनुसूची - 3 का परिशिष्ट

ऋण निधियां - संरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
भारतीय जीवन बीमा निगम *1	-	150.00
(15.9.05 को चुकता किया)		
पंजाब नैशनल बैंक *1	50.00	50.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(01.10.08 को प्रतिदेय)		
पंजाब नैशनल बैंक *1	50.00	50.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(03.12.08 को प्रतिदेय)		
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1	40.00	40.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 40 करोड रुपए)		
(09.1.07 को प्रतिदेय)		
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1	-	13.33
(22.12.05 को चुकता किया)		
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1	-	50.00
(7.10.05 को चुकता किया)		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1	-	48.00
(7.10.05 को चुकता किया)		
केनरा बैंक *2	-	21.43
(25.3.06 को चुकता किया)		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *2	200.00	400.00
(एक वर्ष में रिडम्पशन के लिए देय 200 करोड़ रुपए)		
बैंक ऑफ इंडिया *3	100.00	100.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 5 करोड़ रुपए)		
(24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *3	80.00	90.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रुपए)		
(5 करोड़ रुपए की 20 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड *3	100.00	100.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 7.14 करोड़ रुपए)		
(13.02.2007 से 14 समान छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
पंजाब एण्ड सिंध बैंक *3	100.00	100.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 5 करोड़ रुपए)		
(24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
पंजाब नैशनल बैंक *3	127.50	142.50
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 15 करोड़ रुपए)		
(26.10.2004 से 10 वर्षों में 20 छमाही किस्तों के रुप में पुनर्अदायगी की जानी है)		

ऋण निधियां - संरक्षित

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *3	50.00	50.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 3.57 करोड़ रुपए)		
(30.01.2007 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *3	50.00	50.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 3.57 करोड़ रुपए)		
(07.01.2007 से 7 वर्षों में 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया *3	150.00	150.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रुपए)		
(18.09.2006 से 14 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
केनरा बैंक *5	50.00	50.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड *6	862.00	232.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
केनरा बैंक * 2	200.00	200.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(9.11.07 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)		
सिंडिकेट बैंक *2	183.00	183.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(23.02.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)		
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स *2	200.00	200.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(1.4.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)		
ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स *2	100.00	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(27.12.11 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)		
भारतीय जीवन बीमा निगम *8	96.00	11.00
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(30.04.12 से 12 वर्षों में 24 छमाही किस्तों में प्रतिदेय)		
कुल संरक्षित ऋण (ख)	2973.50	2976.26
जोड़	3973.50	4004.26

टिप्पणी :

*(1) कॉरपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन चरण-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।

*(2) कॉरपोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन की बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामचिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(3) कॉरपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन -II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(4) कंपनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पवर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंकरों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋणों और भंडारों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(5) कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*(6) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(7) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

*(8) निगम के अरूणाचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना और सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों को 21.02.2005 को बंधक तथा तीस्ता लो डैम III की अचल परिसम्पतियों के रेहन द्वारा संरक्षित किया गया।

अनुसूची - 4 ऋण निधि - असंरक्षित

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
क. सावधिक ऋण			
i)	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण - भारतीय मुद्रा-असंरक्षित	100.00	100.00
ii)	बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण - विदेशी मुद्रा-असंरक्षित	3,093.19	2,917.54
	जोड़ (देखें परिशिष्ट)	**3,193.19**	**3,017.54**

ऋण निधियां - असंरक्षित

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण-भारतीय मुद्रा				
i) **इंडियन बैंक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए) (28.2.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय)		100.00		100.00
बैंको/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण-विदेशी मुद्रा				
i) **एबसेक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	-		107.30	
ii) **नार्डिक इनवेस्टमेंट बैंक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 22.60 करोड़ रुपए)	113.00		132.94	
iii) **क्रेडिट कमर्शियल डीई फ्रांस** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 92.53 करोड़ रुपए)	416.36		528.79	
iv) **एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 53.89 करोड़ रुपए)	503.89		513.30	
v) **जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-I** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 9.29 करोड रुपए)	185.79		204.10	
vi) **जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-II** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	624.72		669.60	
vii) **जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-III** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	402.59		290.06	
viii) **डयूश बैंक एवं अन्य** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	642.05		251.96	
ix) **ईसीबी-बारक्लेज़ एवं एससीबी** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)	204.79	3,093.19	219.49	2,917.54
जोड़		**3,193.19**		**3,017.54**

अनुसूची - 5 अचल परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए)

	कुल ब्लॉक				मल्य ह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.04.2005	सवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.032006	01.04.2005 तक	वर्ष के लिए	समा-योजन	31.03.2006 तक	31.03.2006	31.03.2005
फ्रीहोल्ड भूमि	154.89	29.89	0.16	184.62	-	-	-	-	184.62	154.89
लीजहोल्ड भूमि	31.94	6.03	0.29	37.68	2.26	0.44	(0.29)	2.41	35.27	29.68
अवर्गीकृत भूमि/उपयोग अधिकार	443.77	16.03	0.81	458.99	7.72	0.86	-	8.58	450.41	436.05
भवन	1,003.44	209.79	17.49	1,195.74	234.98	32.51	(6.89)	260.60	935.14	768.46
सड़कें व पुल	191.33	72.31	1.84	261.80	31.22	5.23	(0.19)	36.26	225.54	160.11
रेलवे साइडिंग्स	5.43	9.10	-	14.53	0.05	0.26	-	0.31	14.22	5.38
हाइड्रोलिक वर्क्स/बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग	5,818.35	1,434.37	227.58	7,025.14	1,078.37	145.09	6.79	1,230.25	5,794.89	4,739.98
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	2,847.24	422.34	136.25	3,133.33	620.75	88.00	86.29	795.04	2,338.29	2,226.49
संयंत्र व मशीनरी - सब स्टेशन	65.16	15.40	0.46	80.10	28.34	3.18	(0.40)	31.12	48.98	36.82
संयंत्र व मशीनरी - पारेषण लाइनें	29.05	11.42	0.54	39.93	13.98	1.78	(0.52)	15.24	24.69	15.07
संयंत्र व मशीनरी - अन्य	10.48	10.62	0.79	20.31	5.45	0.79	0.46	6.70	13.61	5.03
निर्माण संयंत्र	77.40	7.47	10.02	74.85	33.51	6.51	(3.91)	36.11	38.74	43.89
जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकास/मल निकासी	9.19	6.05	0.07	15.17	1.24	0.26	(0.03)	1.47	13.70	7.95
विद्युत संस्थापन	1.70	0.66	-	2.36	0.19	0.13	0.01	0.33	2.03	1.51
वाहन	33.50	1.17	2.24	32.43	22.16	3.60	(2.04)	23.72	8.71	11.34
एयरक्राफ्ट/नौकाएं	1.12	0.09	0.01	1.20	0.59	0.18	0.01	0.78	0.42	0.53
फर्नीचर व फिक्सचर	25.84	3.69	0.62	28.91	7.47	1.79	(0.39)	8.87	20.04	18.37
कम्प्यूटर	30.10	5.07	2.83	32.34	20.98	4.50	(2.21)	23.27	9.07	9.12
संचार उपस्कर	19.33	2.38	1.00	20.71	7.88	2.49	(0.14)	10.23	10.48	11.45
कार्यालय उपस्कर	25.02	3.27	0.93	27.36	5.98	1.74	(0.64)	7.08	20.28	19.04
अनुसंधान व विकास	0.98	0.03	0.20	0.81	0.19	0.05	(0.02)	0.22	0.59	0.79
अमूर्त परिसम्पत्तियां	5.47	1.44	0.18	6.73	0.19	0.05	(0.04)	4.12	2.61	3.22
अन्य परिसम्पत्तियां	31.70	3.21	0.20	34.71	9.76	1.86	(0.08)	11.54	23.17	21.94
उन परिसम्पतियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं है	-	11.35	-	11.35	-	-	-	-	11.35	-
मामूली कीमत की अचल परिसम्पत्तियां > 750 और < 5000 रु0	12.88	2.32	1.61	13.59	12.88	2.27	(1.57)	13.58	0.01	-
अप्रचलित परिसंपत्तियां / अतिरिक्त परिसंपत्तियां	0.97	0.22	0.36	0.83	-	-	-	-	0.83	0.97
जोड़	**10,876.28**	**2,285.72**	**406.48**	**12,755.52**	**2,148.20**	**305.43**	**74.20**	**2,527.83**	**10,227.69**	**8,728.08**
पिछले वर्ष	10,342.71	598.85	65.28	10,876.28	1,882.28	279.65	(14.40)	2,148.20	8,728.08	8,459.76

(पिछली अवधि के 98.49 करोड़ रुपए के समायोजन सहित)

अनुसूची - 6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए)

	1.04.2005	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2006
i) भवन	563.88	374.52	(8.66)	196.78	732.96
ii) सड़कें और पुल	119.53	40.35	(21.32)	62.95	75.61
iii) रेलवे साइडिंग	9.22	1.99	-	0.84	10.37
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग	3,014.30	1,282.41	(226.34)	1,200.89	2,869.48
v) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	1,230.47	450.09	(101.02)	301.00	1,278.54
vi) संयंत्र व मशीनरी - सब स्टेशन	73.40	1.83	(52.70)	4.16	18.37
vii) संयंत्र व मशीनरी -पारेषण लाइनें	18.46	9.42	(0.13)	4.06	23.69
viii) संयंत्र व मशीनरी -अन्य	1.19	0.39	-	0.54	1.04
ix) निर्माण उपस्कर	0.04	2.36	-	2.40	-
x) जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकासी और मल निकासी	4.86	2.74	0.55	3.14	5.01
xi) उन परिसम्पतियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	0.08	7.13	5.07	5.35	6.93
xii) सर्वेक्षण अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	95.60	18.61	(9.76)	-	104.45
xiii) प्रतिपूरक वनरोपण पर खर्च	81.42	0.14	(81.05)	-	0.51
xiv) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	3,574.74	736.87*	(594.38)	-	3,717.23
जोड़	**8,787.19**	**2,928.85**	**(1,089.74)**	**1,782.11**	**8,844.19**
पिछले वर्ष	6975.83	2017.71	(90.95)	115.40	8787.19

*** अनुसूची 22 देखें - वर्ष में निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च**

अनुसूची – 7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

			31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
क.	**निर्माण भंडार**					
	i)	भंडार व कलपुर्जे				
		(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)	64.91		65.97	
	ii)	खुले यंत्र	0.13		0.19	
	iii)	कबाड़ माल सूची	-		0.07	
	iv)	पारगमन में निर्माण सामग्री/लंबित निरीक्षण	2.43		0.32	
	v)	ठेकेदार/निर्माता को जारी सामान	57.01		40.20	
		घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	13.28	111.20	13.18	93.57
ख.	**पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम**					
	i)	संरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)	152.94		147.40	
	ii)	असंरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)				
		– बैंक गारंटियों पर	407.38		471.75	
		– अन्य	107.43		57.42	
	iii)	असंरक्षित (संदेहास्पद माना जाने वाला)	0.02		0.02	
		घटाएं : (संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान)	0.02	667.75	0.02	676.57
		जोड़		**778.95**		**770.14**
	निर्माण भंडार के लिए प्रावधान					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार		13.18		11.67	
	वर्ष के दौरान संवर्धन		0.18		1.51	
	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि		0.08		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	
	अंतिम शेष			13.28		13.18
	संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान					
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार		0.02		-	
	वर्ष के दौरान संवर्धन		-		0.02	
	वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि		-		-	
	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-		-	
	अंतिम शेष			0.02		0.02

अनुसूची - 8 निवेश

(करोड़ रुपए)

	शेयर/बांड प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष (पिछले वर्ष)	शेयर/बांड प्रतिभूति के अनुसार अंकित मूल्य (रु. में)	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
दीर्घावधिक (ट्रेड - जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो)				
क. उद्धृत				
इक्विटी शेयर $				
पीटीसी इंडिया लि.	12000000 (12000000)	10	12.00	12.00
इंडियन ओवरसीज बैंक **(नॉन-ट्रेड)**	360800 (360800)	10	0.36	0.36
उप योग (क)			**12.36**	**12.36**
ख. अनुद्धृत				
a) इक्विटी शेयर सहायक कंपनियों में				
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (रु. शून्य की शेयर पूंजी जमा सहित) (पिछले वर्ष रु0 1384200,000)	10024200 (8340000)	1,000	1002.42	972.42
b) बांड $				
निम्नांकित सरकारों के 8.50% कर मुक्त राज्य सरकार विशेष बांड				
अरूणाचल प्रदेश	9720 (9720)	1,000	0.97	0.97
बिहार	190700 -	1,000	19.07	-
हरियाणा	5650000 (5650000)	1,000	565.00	565.00
हिमाचल प्रदेश	178680 (178680)	1,000	17.86	17.86
जम्मू एवं कश्मीर	7706960 (7706960)	1,000	770.70	770.70
झारखंड	143100 -	1,000	14.31	-
मेघालय	5320 (5320)	1,000	0.53	0.53
मिजोरम	32100 (32100)	1,000	3.21	3.21
नागालैंड	69200 (69200)	1,000	6.92	6.92
पंजाब	2228100 (2228100)	1,000	222.81	222.81
राजस्थान	569820 (569820)	1,000	56.98	56.98
सिकिक्म	23360 (23360)	1,000	2.34	2.34
त्रिपुरा	26680 (26680)	1,000	2.67	2.67
उत्तर प्रदेश	7868900 (7868900)	1,000	786.89	786.89
उत्तरांचल	874300 (874300)	1,000	87.43	87.43
पश्चिमी बंगाल	67220 (67220)	1,000	6.72	6.72

अनुसूची - 8 निवेश

(करोड़ रुपए)

	शेयर/बांड प्रतिभूति की संख्या चालू वर्ष (पिछले वर्ष)	शेयर/बांड प्रतिभूति के अनुसार अंकित मूल्य (रु. में)	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
ग. दीर्घावधिक अग्रिम				
दिल्ली ट्रान्सको लि.			253.62	253.62
	उप योग (ख)		**3820.45**	**3757.07**
	योग (क) + (ख)		**3832.81**	**3769.43**
$ डीमेंट रूप में				
उद्धृत निवेश				
(i) समेकित लागत			12.36	12.36
(ii) समेकित बाजार मूल्य				
- एनएसई उद्धृत			74.41	60.10
- बीएसई उद्धृत			74.36	60.46
अनुद्धृत निवेश				
समेकित लागत			3820.45	3757.07

अनुसूची - 9 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
क. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज		146.82		154.50
ख. वस्तुसूचियां				
(प्रवंधन द्वारा यथा ली गई, मूल्यांकित तथा प्रमाणित)				
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	51.37		45.31	
ii) खुले औजार	0.54		0.62	
iii) कबाड़ माल सूची	0.64		0.69	
iv) मार्गस्थ भंडार जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	1.03		0.38	
v) निर्माण स्थल का सामान	6.50		5.81	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	1.39		0.71	
घटाएं : अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान *	9.67		4.00	
कुल योग		51.80		49.52
ग. चालू कार्य				
i) चालू निर्माण कार्य (सेवार्थी की ओर से)	93.06		42.87	
ii) चालू परामर्शी कार्य (सेवार्थी की ओर से)	0.11	93.17	-	42.87
घ. विविध देनदार (असंरक्षित)				
i) छः माह से अधिक से देय ऋण				
- शोध्य समझे गए	134.57		228.42	
- संदिग्ध एवं प्रावधान युक्त	77.07		77.56	
ii) अन्य ऋण				
- शोध्य समझे गए [एनएचडीसी लिमिटेड से देय 0.13 करोड़ रुपए शामिल हैं (विगत वर्ष 0.78 करोड़ रुपए)]	26.99		222.45	
- संदिग्ध माने गए तथा प्रावधान युक्त	-		-	
	238.63		528.43	
घटाएं : संदिग्ध के लिए प्रावधान *	77.07		77.56	
कुल योग		161.56		450.87

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006			31 मार्च, 2005		
ङ. नकद एवं बैंक शेष						
i) हाथ में नकदी						
(20.45 करोड़ रुपए के चैक, ड्राफ्ट, स्टैम्पस सहित विगत वर्ष 182.92 करोड़)		20.82			184.07	
ii) बैंको में शेष						
• अनुसूचित बैंक						
- चालू खाते में		117.09			23.83	
- जमा खाते में		404.04			86.80	
• अन्य बैंकों के पास शेष						
- चालू खाते में						
भूटान बैंक, फुन्टाशेलिंग के पास		0.14			0.54	
डियूश बैंक, टोक्यो शाखा		0.11			16.44	
- जमा खाते में		-			-	
कुल योग			542.20			311.68
च. अन्य चालू परिसंपत्तियां						
i) जमाराशियों पर उपचित ब्याज		1.60			0.33	
ii) अन्य		58.70			131.34	
iii) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे		36.55			34.85	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *		3.98			1.65	
कुल योग			92.87			164.87
छ. ऋण एवं पेशगियां						
क) ऋण						
कर्मचारी (जमा पर प्रोद्भूत ब्याज)						
संरक्षित	93.12			84.12		
असंरक्षित (वसूली योग्य)	29.12			33.96		
ख) पेशगियां						
(नगद या इस प्रकार के या प्राप्त किए जानें वाले कीमत वसूल करने योग्य)						
i) सहायक कंपनियां						
असंरक्षित (वसूली योग्य)	2.92			–		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	–			0.86		
ii) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता						
संरक्षित	0.30			-		
असंरक्षित (वसूली योग्य):						
- बैंक गारंटी से सुरक्षित	7.87			4.97		
- अन्य	7.04			4.49		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	0.29			0.19		
iii) कर्मचारी						
असंरक्षित (वसूली योग्य समझे गए):	2.67			0.94		
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	-			0.21		
iv) अन्य अग्रिम						
असंरक्षित (वसूली योग्य समझे गए):	0.30			0.47		
घटाए : संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान *	0.44	143.19		0.19	130.02	
v) अन्य वसूली योग्य	31.85			42.11		
घटाएं : अन्य वसूली योग्य प्रावधान *	14.89	16.96		14.89	27.22	
ग) जमा						
अग्रिम आयकर		148.85			133.10	
कुल योग			309.00			290.34
कुल योग (क से छ)			**1397.42**			**1464.65**

जमा खाते (अल्पावधि) जिसमें शून्य रुपए शामिल हैं (पिछले वर्ष 2.07 करोड़ रुपए) वह "ग" श्रृंखला बांडों की अदावित रिडम्पशन राशि के कारण पीएनबी कैपिटल सर्विसेज लि. के नाम सी-श्रृंखला बॉंड की प्रति देय राशि है।

गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

		2005-06	2004-05
बैंक ऑफ भूटान			
i) चालू खाता			
डियूश बैंक, टोक्यो शाखा		0.54	0.54
ii) चालू खाता		100.52	105.13
निदेशकों से देय ऋण एवं अग्रिम के ब्यौरे			
i) वर्षांत में देय राशि		0.03	0.04
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष		0.06	0.16
उन कंपनियों द्वारा देय अग्रिम जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, उस कंपनी का निदेशक या सदस्य है, शून्य रुपए हैं (विगत वर्ष शून्य रुपए)			
सहायक कंपनी के पास वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे			
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड		2.99	3.30
प्रावधानों का ब्यौरा			
अप्रचलित भंडार एवं कल पुर्जों के लिए प्रावधान *			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	4.00		
वर्ष के दौरान संवर्धन	5.67		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		
अंतिम शेष		9.67	4.00
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान *			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	77.56		
वर्ष के दौरान संवर्धन	3.60		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2.97		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	1.17		
अंतिम शेष		77.07	77.56
अशोध्य एवं संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान *			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.65		
वर्ष के दौरान संवर्धन	2.33		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		
अंतिम शेष		3.98	1.65
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान *			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	0.19		
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.25		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		
अंतिम शेष		0.44	0.19
पीजीसीआईएल वसूली योग्य के लिए प्रावधान *			
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	14.89		
वर्ष के दौरान संवर्धन	-		
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		
अंतिम शेष		14.89	14.89

अनुसूची - 10 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
क. देयताएं				
i) विविध ऋणदाता				
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देयताएं (30 दिन से अधिक बकाया शून्य रुपए)	-		0.17	
ख) अन्य	292.08		289.10	
ii) जमा/एजेंसी की व्यय न की गई राशि	0.78		0.79	
iii) जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि	47.89		90.02	
iv) डिपाजिट वर्क्स पर अग्रिम	8.22		6.33	
घटाएं : डिपाजिट वर्क्स पर वसूली योग्य राशि	(7.02)		(4.71)	
v) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु अदेय ब्याज	73.47		72.89	
vi) परियोजना/कांट्रेक्टीज की लागत के प्रति अग्रिम	146.17		107.15	
vii) अन्य देयताएं	139.20		90.86	
कुल देयताएं (क)		**700.79**		**652.60**
ख. प्रावधान				
i) कराधान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	140.23		65.84	
वर्ष के दौरान वर्धन	69.41		92.95	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	69.14		18.56	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्त्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		140.50		140.23
ii) प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	80.00		60.00	
वर्ष के दौरान वर्धन	159.00		80.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	80.00		60.00	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-
अंतिम शेष		159.00		80.00
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	11.22		15.38	
वर्ष के दौरान वर्धन	22.30		11.22	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	11.22		15.38	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		22.30		11.22
iv) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	73.11		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		73.11		-
v) अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	7.36		7.17	
वर्ष के दौरान वर्धन	8.42		7.36	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.81		7.15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.45		0.02	
अंतिम शेष		8.52		7.36
vi) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	96.81		70.68	
वर्ष के दौरान वर्धन	40.46		39.85	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	14.63		13.72	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		122.64		96.81

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
vii) ग्रेज्यूटी के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	183.91		155.94	
वर्ष के दौरान वर्धन	38.19		43.21	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	5.89		15.24	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		216.21		183.91
viii) आरईएचएस के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	58.77		41.83	
वर्ष के दौरान वर्धन	22.77		17.42	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.31		0.48	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		81.23		58.77
ix) अन्य खर्चों के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	6.72		1.68	
वर्ष के दौरान वर्धन	6.49		6.72	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	6.39		1.68	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.09		-	
अंतिम शेष		6.73		6.72
x) आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1.80		1.80	
वर्ष के दौरान वर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.03		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		1.77		1.80
xi) टैरिफ समायोजन के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	86.54		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	51.80		86.54	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	68.45		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		69.89		86.54
xii) उत्पादकता आधारित समूह प्रोत्साहन योजना के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	20.07		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		20.07		-
कुल प्रावधान (ख)		**921.97**		**673.36**
कुल योग (क+ख)		**1622.76**		**1325.96**

अनुसूची - 11 विविध व्यय

(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
i) अन्य आस्थगित राजस्व व्यय		-		1.18
ii) समायोजन किए जाने वाले खर्च		24.55		-
iii) बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियाँ	3.71		3.47	
घटाएं : लंबित अन्वेषण से हानियों के लिए प्रावधान	3.71	-	3.47	-
कुल योग		24.55		1.18

अनुसूची - 12 बिक्री

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
विद्युत बिक्री	1718.83		1668.41	
घटाएं : संचालन से पूर्व उत्पादन या बिजली से प्राप्त आय (अनुसूची 221(i) में अतंरित)	5.04		0.14	
कुल लाभ और हानि खाते में लिया गया		**1713.79**		**1668.27**

अनुसूची - 12क मूल्यह्रास पर अग्रिम

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
वर्ष के दौरान	70.68		141.34	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्च लिखित	22.80		9.59	
लाभ व हानि खाते में लिया गया कुल जोड़		**47.88**		**131.75**

अनुसूची - 13 संविदा एवं परामर्शी आय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
संविदा आय	43.47	14.15
परामर्शी आय	5.34	8.46
लाभ व हानि खाते में लिया गया कुल जोड़	**48.81**	**22.61**

अनुसूची - 14 अन्य आय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
i)	अल्पावधि जमा से आय	18.87		2.70	
ii)	ऋण व अग्रिम पर ब्याज	51.77		57.17	
iii)	सहायक कंपनियों से लाभांश आय	3.47		1.22	
iv)	अन्य से लाभांश आय	1.00		1.04	
v)	देरी से भुगतान प्रभार	24.43		2.80	
vi)	परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	1.17		3.36	
vii)	पश्च लेखन अपेक्षित नहीं देयताएं / प्रावधान #	2.75		102.90	
viii)	स्क्रैप से आय	0.33		0.60	
ix)	सावधि ऋण और बचत बैंक पर ब्याज	0.45		-	
x)	सार्वजनिक जमा खाते पर ब्याज	-		4.81	
xi)	गारंटी शुल्क	-		3.31	
xii)	अन्य विविध आय	16.18		16.64	
xiii)	विनिमय दर अन्तर	28.31		13.22	
	कुल योग		148.73		209.77
	घटाएं: आईईडीसी में अन्तरित आय (अनुसूची 22ङ (ii) और 22झ (ii) से (vi) देखें)		86.78		79.59
	घटाएं: संविदा और परादर्शी खर्च में अन्तरित आय (देखें अनुसूची 20)		0.68		1.09
	लाभ व हानि में ली गई कुल राशि		61.27		129.09

 # देयताओं/प्रावधानों का विवरण जिनका पश्च लेखन अपेक्षित नहीं है

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
क) अशोध्य व संदिग्ध ऋण	1.17	6.23
ख) अशोध्य व संदिग्ध दावे	-	2.49
ग) भंडार व कलपुर्जों में कमी	-	0.01
घ) अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	0.45	0.02
ङ) लम्बित अन्वेषण हानियों के लिए प्रावधान	-	0.02
च) देयताएं पश्च लेखन अपेक्षित नहीं	1.13	94.13
कुल योग	2.75	102.90

अनुसूची - 15 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
i)	भण्डारों एवं कलपुर्जों की खपत		12.02		7.73
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	- भवन	14.94		11.97	
	- मशीनरी	45.20		27.29	
	- अन्य	30.45	90.59	28.83	68.09
iii)	किराया		23.48		24.73
iv)	दरें और कर		1.20		0.95
v)	बीमा		2.72		2.28
vi)	स्व:बीमा आरक्षित		53.19		48.80
vii)	सुरक्षा व्यय		41.20		37.31
viii)	विद्युत प्रभार		19.74		22.60
ix)	यात्रा एवं वाहन		15.61		15.48
x)	स्टाफ कार पर व्यय		9.58		7.47
xi)	टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें		7.62		6.28

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
xii)	विज्ञापन एवं प्रचार	4.32	4.96
xiii)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.45	0.35
xiv)	दान	0.01	1.00
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.42	4.81
xvi)	पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.55	0.21
xvii)	परामर्शी प्रभार - स्वदेश	3.02	2.21
xviii)	परामर्शी प्रभार - विदेश	0.38	0.22
xix)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्राह्य क्षेत्र सुधार पर खर्च	12.75	18.03
xx)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	13.67	17.26
xxi)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय	53.76	-
xxii)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.27	4.31
xxiii)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय	0.02	0.80
xxiv)	अशोध्य ऋण/अग्रिम/दावे पश्च लेखन	0.09	-
xxv)	भण्डार पश्च लेखन	0.15	1.25
xxvi)	अचल परिसम्पतियां - पश्च लेखन	0.31	0.03
xxvii)	मध्यस्थता/कोर्ट मामलों पर ब्याज	0.95	0.22
xxviii)	अन्य सामान्य व्यय	17.77	17.99
xxix)	विनिमय दर अंतर	0.66	0.35
xxx)	लेखा परीक्षा खर्च	0.63	0.45
xxxi)	अनुसंधान व विकास खर्च	0.37	-
	जोड़	**392.50**	**316.17**
	घटाएं : ईआईडीसी में अन्तरित खर्च (अनुसूची 22ख, 22ग व 22ङ(i) देखें)	147.55	156.98
	घटाएं: संविदा व परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)	4.95	4.03
	लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि	**240.00**	**155.16**

अनुसूची - 16 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	454.45	380.27
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि व पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	76.90	62.92
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	54.92	51.54
	जोड़	**586.27**	**494.73**
	घटाएं : ईआईडीसी में अन्तरित कर्मचारी खर्च (अनुसूची 22क देखें)	358.22	285.36
	घटाएं: संविदा व परामर्शी खर्च में अन्तरित कर्मचारी खर्च (अनुसूची 20 देखें)	14.03	8.72
	लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि	**214.02**	**200.65**

अनुसूची - 17 मूल्यह्रास

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	305.43	279.65
घटाएं : ईआईडीसी में अन्तरित खर्च (अनुसूची 22छ)	35.65	30.48
घटाएं: संविदा व परामर्शी खर्च (अनुसूची 20 देखें)	0.21	0.20
लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि	**269.57**	**248.97**

अनुसूची - 18 ब्याज एवं वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
i) निम्नांकित पर ब्याज				
क) बांड	92.44		80.58	
ख) विदेशी ऋण	108.47		113.64	
ग) सावधि ऋण	227.34		254.97	
घ) नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज/डब्ल्यूसीडीएल	0.02	428.27	5.05	454.24
ii) बांड निर्गम/सेवा व्यय		1.06		1.19
iii) ग्राहकों को छूट		31.26		30.06
iv) वचनबद्धता शुल्क		3.28		1.59
v) ऋणों पर गारंटी शुल्क		32.38		28.56
vi) बैंक प्रभार		0.82		0.27
vii) अन्य वित्त प्रभार		4.58		6.18
जोड़		**501.65**		**522.09**
घटाएं : आईईडीसी में अन्तरित खर्च (अनुसूची 22घ देखें)		208.27		192.94
घटाएं : संविदा व परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)		1.56		0.01
लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि		**291.82**		**329.14**

अनुसूची - 19 प्रावधान

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006	31 मार्च, 2005
i) अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण - प्रावधान मुक्त	3.60	0.25
ii) अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम/जमा-प्रावधान मुक्त	0.25	14.92
iii) संदेहास्पद दावे तथ अग्रिम - प्रावधान मुक्त	2.33	-
iv) भंडार व कल पुर्जों के मूल्य में कमी	5.77	5.19
v) वस्तुसूची में कमी - प्रावधान किया गया	0.08	0.01
vi) अचल परिसम्पतियाँ-बट्टे खाते डाली गई-के लिए प्रावधान	0.06	-
vii) अन्य	-	6.39
जोड़	**12.09**	**26.76**
घटाएं : आईईडीसी में अन्तरित खर्च (अनुसूची 22च देखें)	0.67	1.18
घटाएं : संविदा व परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)	2.97	-
लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि	**8.45**	**25.58**

अनुसूची - 20 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
i) प्रत्यक्ष व्यय		32.38		9.28
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	11.77		7.37	
- उपदान तथा भविष्य निधि पेंशन योजना में अंशदान	1.25		0.68	
- कर्मचारी कल्याण व्यय	1.01	14.03	0.67	8.72
iii) मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	0.10		0.07	
- मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.05		0.14	
- अन्य	1.09	1.24	0.58	0.79
iv) प्रशासन एवं अन्य व्यय				
- किराया	1.06		0.46	
- यात्रा एवं वाहन	0.95		1.10	
- स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.18		0.14	
- बीमा	0.02		0.02	
- टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.16		0.07	
- विज्ञापन व प्रचार	0.23		0.13	
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.17		0.24	
- अन्य व्यय	0.63		1.03	
- सुरक्षा	0.16		-	
- बिजली	0.09		0.02	
- परामर्शी प्रभार	0.06	3.71	0.03	3.24
v) मूल्यह्रास		0.21		0.20
vi) ब्याज व वित्तीय प्रभार		1.56		0.01
vii) प्रावधान		2.97		-
viii) वर्तमान निर्माण कार्य				
- निर्माण संविदा	(6.72)		(2.97)	
- परामर्शी	(0.11)	(6.83)	-	(2.97)
कुल खर्च		**49.27**		**19.27**
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियाँ		0.68		1.09
वर्ष के दौरान कुल खर्च		**48.59**		**18.18**
पिछली अवधि के समायोजन		1.50		-
लाभ व हानि लेखे में ली गई कुल राशि		**50.09**		**18.18**

अनुसूची – 21 पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
आय					
i)	विद्युत की बिक्री	0.50		-	
ii)	मूल्यह्रास पश्च लेखन पर अग्रिम	88.85		-	
iii)	अन्य	2.00	91.35	0.08	0.08
व्यय					
i)	वेतन तथा मजदूरी	0.73		(0.14)	
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.38		0.31	
iii)	ब्याज	0.71		1.04	
iv)	अन्य	77.26		0.51	
v)	मूल्यह्रास	98.49	177.57	2.91	4.63
	जोड़		**86.22**		**4.55**
	घटाएं : ईआईडीसी में अन्तरित खर्च (अनुसूची 22ज देखें)				
	पिछली अवधि का खर्च	78.72		(0.80)	
	घटाएं : पिछली अवधि की आय	0.39		-	
	जोड़		**78.33**		**(0.80)**
	घटाएं : संविदा व परामर्शी खर्च में अंतरित खर्च (अनुसूची 20 देखें)		1.50		-
	लाभ व हानि खाते में कुल ली गई राशि		**6.39**		**5.35**

अनुसूची 22 – वर्ष में निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
क.	**कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ**				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते	279.05		207.13	
ii)	उपदान और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	45.08		49.14	
iii)	स्टाफ कल्याण खर्च	34.09		29.09	
	उप जोड़		358.22		285.36
ख.	**मरम्मत तथा अनुरक्षण**				
i)	भवन	4.02		3.93	
ii)	मशीनरी	6.09		3.49	
iii)	अन्य	12.91		13.79	
	उप जोड़		23.02		21.21
ग.	**प्रशासन और अन्य खर्च**				
i)	किराया	19.26		14.45	
ii)	दरें व कर	0.52		0.61	
iii)	बीमा	2.21		1.84	
iv)	सुरक्षा खर्च	21.25		18.47	
v)	विद्युत प्रभार	11.41		17.19	
vi)	यात्रा एवं वाहन	11.08		10.76	
vii)	स्टाफ कार पर व्यय	6.69		11.59	
viii)	टेलीफोन, टैलेक्स व डाक टिकट	5.29		4.39	
ix)	विज्ञापन और प्रचार	3.26		3.74	
x)	मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार पर खर्च	0.35		0.28	
xi)	मुद्रण और लेखन-सामग्री	4.09		3.63	
xii)	लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.53		0.27	

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2006		31 मार्च, 2005	
xiii)	डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार				
	- स्वदेशी	1.63		1.59	
	- विदेशी	0.38		-	
xiv)	प्रतिपूरक वृक्षारोपण पर खर्च	11.98		18.03	
xv)	भूमि पर खर्च जो निगम की नहीं है	13.44		16.92	
xvi)	भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	0.11		0.30	
xvii)	परिसम्पतियां/सामान बट्टे खाते पर हानि	0.34		1.13	
xviii)	परिसम्पतियों की बिक्री पर हानि	0.14		0.08	
xix)	अन्य सामान्य खर्च	10.06		10.47	
	उप जोड़		124.02		135.74
घ	**ब्याज और वित्त प्रभार**				
i)	निम्नांकित पर ब्याज				
	क) बाँड	24.64		24.64	
	ख) विदेशी ऋण	59.40		77.12	
	ग) सावधि ऋण	98.51		64.73	
	घ) नकदी ऋण सुविधाएँ/डब्ल्यूसीडीएल	-		0.03	
ii)	बाँड निर्गमित/सेवा प्रभार	0.30		0.74	
iii)	वचनबद्धता शुल्क	3.20		1.31	
iv)	ऋण पर गारंटी शुल्क	17.22		18.53	
v)	अन्य वित्त प्रभार	5.00		5.84	
	उप जोड़		208.27		192.94
ङ.	**विनिमय दर अन्तर (शुद्ध)**				
i)	विनिमय दर अन्तर (नामे शेष)	0.51		0.03	
ii)	घटाएं :				
	विनिमय दर अन्तर (जमा शेष)	25.06		13.22	
	उप जोड़		(24.55)		(13.19)
च.	**प्रावधान**	0.67		1.18	
	उप जोड़		0.67		1.18
छ.	**मूल्यह्रास**	35.65		30.48	
	उप जोड़		35.65		30.48
ज.	**पिछली अवधि के खर्च (शुद्ध)**				
i)	पिछली अवधि के खर्च	78.72		(0.80)	
ii)	घटाएं: पिछली अवधि की आय	0.39		-	
	उप जोड़		78.33		(0.80)
	कुल खर्च		**803.63**		**652.92**
झ.	**घटाएं: प्राप्तियां और वसूलियाँ**				
i)	विद्युत उत्पादन - संचालन पूर्व से आय		5.04		0.14
ii)	ऋण व अग्रिम पर ब्याज	48.98		28.55	
iii)	विविध प्राप्तियाँ	11.04		37.02	
iv)	परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	0.47		0.24	
v)	पश्च लेखन अपेक्षित नहीं - प्रावधान	0.77		0.04	
vi)	संयत्र व मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट टर्न	0.46	61.72	0.52	6.37
	कुल प्राप्तियां और वसूलियाँ		**66.76**		66.51
	योग [(क से ज) झ] (अनुसूची 6 को अंतरित)		**736.87**		**586.41**

अनुसूची – 23 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परम्पराएं

निगम के लेखे लेखाकरण के संभूति विधि का प्रयोग करते हुए पारम्परिक लागत के अनुसार तैयार किए जाते हैं, कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर किए गए व्यय को छोड़कर, जिसे उपयोग किए गए वर्ष में माना जाता है।

2. अचल परिसम्पत्तियां

2.1 अचल परिसम्पत्तियों का उल्लेख अर्जन/निर्माण आधार पर किया जाता है। जिन मामलों में संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, किन्तु परिसंपत्ति पूर्ण तथा प्रयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है, जिसमें मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान से प्रत्युत्पन्न समायोजन शामिल है।

2.2 निगम के स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित अचल परिसम्पत्तियों को अचल परिसंपत्तियों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

2.3 परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत खर्च को, उन मामलों में जहाँ न तो भूमि और न ही परिसम्पत्ति निगम के स्वामित्व में है, कार्य पूर्ण होने तक निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के रूप में अलग से दर्शाया गया है, उसके बाद उसे अचल परिसम्पत्ति में दिखाया जाएगा।

2.4 भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत माना जाता है।

2.5 राज्य सरकार से प्रयोग के लिए ली गई भूमि (हकदारिता के अंतरण के बिना) तथा भू-विस्थापितों हेतु राहत एवं पुनर्वास अथवा आप्लावन के अधीन आने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज में वैकल्पिक सुविधाओं के सृजन पर हुआ व्यय तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का सृजन परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उपगत व्यय भूमि-अवर्गीकृत के रूप में लेखे में लिया जाता है जिसे परियोजना की उपयोगी अवधि, जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रारम्भ की तिथि से 35 वर्ष मानी गई है, में परिशोधित किया जाएगा।

2.6 सहायतानुदान/अभिकरण या जमा आधार पर परियोजनाओं में अधिप्राप्त/सृजित परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्वामित्व कॉरपोरेशन के पास नहीं है।

2.7 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों का मूल्य, बही मूल्य तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कलपुर्जे

3.1(क) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए मशीनरी कल-पुर्जे और जिनका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है, उन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है। **यदि कलपुर्जों की लागत ज्ञात होती है** तो संबद्ध संयंत्र और मशीनरी के अवशेष उपयोगी जीवन पर्यन्त तक पूर्णतः मूल्यह्रास करते हुए निर्धारण किया जाता है। **जिन कलपुर्जों की लागत ज्ञात नहीं होती,** विशेषकर जहाँ ये मुख्य संयंत्र के साथ खरीद गए थे, उन्हें मुख्य संयंत्र के साथ पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास का निर्धारण किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो की डब्ल्यू.डी.वी. उस वर्ष में राजस्व में डाली जाती है जिस वर्ष में उनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे कलपुर्जो का मूल्य उसी वर्ष राजस्व में डाला जाता है जिस वर्ष वे खरीदे और उपयोग में लाए जाते हैं।

(ग) **जब संबंधित अचल परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है या वह सक्रिय उपयोग में नहीं रह जाती,** ऐसे कलपुर्जो का मूल्य शुद्ध अंकित मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य-जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, यदि **अप्रयुक्त परिसम्पत्तियों की जगह और परिसम्पतियाँ नहीं खरीदी** जातीं तो संबद्ध कलपुर्जो की डब्ल्यू.डी.वी. निपटान योग्य मूल्य घटाकर बट्टे खाते डाल दी जाती है।

3.2 अन्य कलपुर्जे भण्डार व कलपुर्जे के रूप माने जाते हैं जो सामान सूची का अंग होते हैं और जब जारी किए जाते हैं, खर्च में डाले जाते हैं।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 संचालनाधीन परियोजनाओं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत आधार पर लिया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, निर्माण के दौरान प्रयुक्त नियत परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के भाग के रूप में लिया जाता है जिसका आबंटन परियोजना के संचालन पर भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर वृहत् अचल परियोजना परिसम्पत्तियों को किया जाना है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय' में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ अधिसूचित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों के मामले में, जहां सीईआरसी के विनियमों द्वारा दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, सिवाए कम्प्यूटरों और सम्बद्ध सामग्री के, जहां कंपनी द्वारा यथा-आंकलित दरों को अपनाया गया है।

5.2 मूल्यह्रास का प्रावधान उस वर्ष में आनुपातिक आधार पर किया जाता है, जिस वर्ष में परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

5.3 वर्ष के प्रारंभ में 5,000/- रुपए या उससे कम परन्तु 750/- रुपए से अधिक कीमत की परिसंपत्ति तथा ऐसी मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर), जिनका लिखित मूल्य 5,000/- रुपए या उससे कम है, का वर्ष के दौरान 1/- रुपया शेष मूल्य रखकर पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

5.4 कम मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक होता है को पूंजीबद्ध नहीं किया जाता और राजस्व पर प्रभारित किया गया है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर व्यय को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है जिनका परिशोधन तीन वर्षों में किया जाता है।

5.6 वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी होने से जहां मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन होता है, वहां ऐसी अपरिशोधित शेष परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दर के आधार पर मूल्यह्रास व्यवस्था परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी काल के लिए प्रत्याशित रूप से की जाती है।

5.7 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय को उस वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है जिस वर्ष संबंधित परियोजना की पहली यूनिट का व्यावसायिक संचालन शुरु किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष से जब संबंधित परिसंपत्ति उपयोग में लाई जाती है।

6. निवेश

निवेश दीर्घ अवधि के लिए और लागत पर आधारित होते हैं।

7. वस्तु सूचियां

7.1 (क) अधिशेष निर्माण उपस्करों के स्क्रैप एवं अतिरिक्त पूर्जो के अलावा भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जो का मूल्यांकन भारित औसत लागत आधार पर किया जाता है।

(ख) स्क्रैप का मूल्य निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपस्करों के लिए अतिरिक्त पुर्जो का मूल्यनिर्धारण लागत से कम तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा करके पहचान किए गए ठीक न हो सकने योग्य और अप्रचलित भंडार तथा कलपुर्जो के संबंध में हानि का प्रावधन लेखे में किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान निर्गत खुले औजारों को खपत लेखे में प्रभारित किया जाता है जहां पृथक मदों की लागत 5,000/- रुपए या इससे कम है तथा अन्य मामलों में 5 वर्षीय समान किस्तों में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

7.4 पावर स्टेशनों में प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए निर्गत परन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर प्रयोग न किए गए भंडारों का मूल्यांकन इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर किया जाता है तथा उन्हें भंडारों के रूप में माना जाता है।

8. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

8.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन को उसी तिथि को प्रवृत्त विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्गित मौद्रिक मदों को लेखाकरण वर्ष के अंतिम दिन प्रवृत्त विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

8.2 नियत परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न विनियम अंतर को संबंधित अचल संपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य के वर्तमान मूल्य में समायोजित किया जाता है।

8.3 भारत से बाहर प्राप्त की गई नियत परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न विनियम अंतर को संबंधित अचल संपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य के वर्तमान मूल्य में समायोजित किया जाता है।

8.4 अन्य विनियम अंतरों की पहचान जिस अवधि में वे हुए हैं उस अवधि हेतु आय तथा व्यय के रूप में की जाती है और ये प्रचालनात्मक स्टेशनों के मामले में लाभ तथा हानि लेखे और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में आईईडीसी में दर्शाये जाते हैं।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान, अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

10. राजस्व

10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। उन पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वे महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में बिक्री में शामिल की जाने वाली आस्थागित आय माना जाता है।

10.2 (क) निर्माण संविदा कार्यों से राजस्व को समापन विधि की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से मान्य किया जाता है:-

अनुमानित संविदा लागत के अनुसार कार्य प्रगति	राजस्व मान्यता
(i) 66.67 प्रतिशत तक	लागत की उस सीमा तक जहाँ तक उसकी वसूली की संभावना है।
(ii) 66.67 से अधिक	पूर्णता की स्थिति के अनुसार

संविदाओं में प्रत्याशित सहित हानियों को तत्काल मान्य किया जाता है। ऐसे मामलों में तथा यथावश्यक समझी जाने वाली सीमा तक देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्हीं दावों के लिए आकस्मिकता हेतु व्यवस्था की जाती है।

(ख) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व को करार की शर्तों तथा संविदा के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर मान्य किया जाता है।

10.3 निवेशों पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की जाती है।

10.4 ग्राहकों से वसूल किया गया ब्याज/अधिप्रभार प्राप्ति पर या जब उसकी प्राप्ति की निश्चितता होती हैं, तब उसे आय के रूप में माना जाता है।

11. निगम मुख्यालय के व्ययों का आवंटन

निगम मुख्यालय के व्ययों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है-

(क) पावर स्टेशन पर कर तथा शुल्कों को निकाल कर वर्ष में ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को प्रदान किए गए तथा उसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान उपगत परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत की दर से। सिवाय ग्रामीण विद्युतीकरण और पीएमजीएसवाई के संविदा मामलों के, जहाँ समर्पित प्रभाग के संबंध में आवंटन प्रदत्त सेवाओं के आधार पर किया जाता है।

(ग) शेष व्यय का आवंटन निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजीगत व्यय के अनुपात में किया जाता है।

12. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशनों के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर "स्व बीमा राजस्व" में अन्तरित किया जाता है, जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं हेतु परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है।

13. विविध

13.1 पारगमन में वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों, किन्तु जो प्रमाणित नहीं हैं, के लिए देयताओं की व्यवस्था निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति के लंबित होने तक नहीं की जाती है।

13.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पावर स्टेशनों से आपूरित विद्युत पर सामान्य टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाया जाता है।

13.3 50,000/- रुपए तथा उससे कम राशि को मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्यय/आय को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

13.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

13.5 अनुग्रह राशि के भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत नोटिस वेतन पर खर्च को राजस्व को उस वर्ष प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष वह खर्च होता है।

14. उधार लागत

निर्माण/नवीकरण और आधुनिकीकरण के दौरान अचल परिसम्पत्तियों पर आने वाली उधार लागत को पूंजीकृत किया जाता है। अन्य उधार लागत को उस अवधि में खर्च के रूप में माना जाता है, जिस अवधि में वह वास्तव में खर्च होती है।

15. आय पर कर

वर्तमान अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर को आय राशि और कर-योग्य आय के बीच समय अन्तर के रूप में माना जाता है और मात्रा का निर्धारण तुलनपत्र की तिथि को कर दरों और निर्मित कानूनों या बाद में बनाए गए कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का निर्धारण और अग्रानयन उस सीमा तक किया जाता है, जहां तक यह निश्चितता होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिस पर ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ वसूली जा सकेंगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखा उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है, जिस सीमा तक वास्तविक भुगतान आधार पर आगामी वर्षों में लाभभोक्ताओं से कर खर्च वसूल किया जा सकता है।

अनुसूची - 24 लेखों पर टिप्पणियां

1. (क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं:- (करोड़ रुपए में)

विवरण	1.4.2005 को अद्य शेष	31.3.2006 को अन्तिम शेष
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हे निम्न के संबंध में ऋण नहीं स्वीकार किया गया है-		
- पूंजीगत कार्य	904.23	1257.56
- भूमि मुआवजा मामले	50.80	19.33
- अन्य	114.68	125.98
विवादित आय कर मांग	18.60	14.79
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	0.15	0.15
विवादित बिक्री कर मांग	2090.72	2075.25
अन्य (इसमें 30.21 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 15.64 करोड़ रुपए) के बांड शामिल हैं, जिन्हें निगम द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था)	51.91	54.59
कुल	**3231.09**	**3547.65**

(ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों तथा अन्य के संबंध में लंबित मामलों के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं, जहां राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

(ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं और किसी प्रतिपूर्ति की संभावना, सिवाय 22.61 करोड़ रुपए के (पिछले वर्ष 0.04 करोड़ रु.) अतिरिक्त, को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

2. पूंजी लेखे पर निष्पादित होने वाली संविदा संबंधी शेष अनुमानित राशि तथा जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 8359.26 करोड़ रुपए बनती है (पिछले वर्ष 6183.37 करोड़ रुपए)।

3. (क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.1989 तथा 12.7.1991 के पत्र संख्या 4/1/78-डीओ (एनएचपीसी) के अनुसार सलाल पावर स्टेशन (चरण-I) नवम्बर, 1987 से निगम को हस्तांतरित कर दिया था। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी मत के आधार पर इस परियोजना की परिसंपत्तियां व देयताएं निगम के लेखों में उन्हीं नियमों व शर्तों पर नियमित की गई हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार 331.60 करोड़ रुपए (जिसमें 297.60 करोड़ रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत के तथा 34.00 करोड़ रुपए निर्माण के दौरान ब्याज के 50 प्रतिशत के हैं) की राशि को भारत सरकार से निवेश के तौर पर तथा इक्विटी में समोयाजन के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर गणना की गई है।

(ख) भारत सरकार से स्वीकृति लम्बित होने के कारण निर्माण के दौरान भारत सरकार ऋण पर 8.83 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 17.16 करोड़ रुपए) की राशि के उपचित ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को टनकपुर पावर स्टेशन के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समंजनीय दर्शाया गया है। आगामी समायोजन, यदि कोई होंगे, भारत सरकार के अनुमोदन की प्राप्ति पर किए जाएंगे।

4. (क) 2049 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2728 हेक्टेयर) क्षेत्र में, 60.37 करोड़ रुपए की राशि की (विगत वर्ष 32.48 करोड़ रुपए) कुछ परियोजनाओं/यूनिटों की भूमि के संबंध में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी आदि पर व्यय को, जब व जैसे खर्च होगा, लेखे में दर्ज किया जाएगा।

(ख) जम्मू व कश्मीर की कुछ यूनिटों में लीज़ डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है, सिवाए कुछ मामलों के, जहां यह 30 अथवा 40 वर्ष रखी गई है, जैसा भी मामला हो, तदनुसार परिशोधित की गई है।

(ग) भूमि में एसएसबी से 1/- रुपए प्रति वर्ष के कल्पित किराए पर 99 वर्ष की अवधि हेतु ली गई भूमि शामिल नहीं है।

5. (क) बिक्री में (-)8.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10.23 करोड़ रुपए एफईआरवी सहित) का ऐसा प्रभार शामिल है, जिसको अभी आयकर हेतु लाभार्थियों के बिल में डाला जाना है, जो कि वर्ष की समाप्ति पर डाला जाएगा। इसी प्रकार, सलाल एवं उड़ी पावर स्टेशनों के संबंध में टैरिफ अवधि 2004-09 के लिए दिनांक 09.05.2006 के टैरिफ आदेश की अधिसूचना जारी होने के बाद (-) 204.95 करोड़ रुपए के बिलिंग को वर्तमान वर्ष में लंबित बिल उगाही के रहते, लेखे में लिया गया है।

(ख) 2004-09 की अवधि हेतु प्रभार का निर्धारण लंबित होने के कारण बिलों को सीईआरसी आदेश संख्या एल-7/25(7)/2004-विधिक दिनांक 30.4.2004, जिसे दिनांक 01.10.2004, 14.03.2005 और 07.10.2005 के सीईआरसी आदेश के साथ पढ़ा जाता है, की शर्तों के अनुसार वर्ष 2003-04 हेतु टैरिफ पर वसूल किया गया है, सिवाय सलाल, उड़ी, चमेरा-II व धौलीगंगा पावर स्टेशनों के, जहाँ टैरिफ में कमी की समस्याओं को देखते हुए 51.80 करोड़ रुपए का उचित प्रावधान किया गया है।

(ग) चमेरा-II और धोलीगंगा पावर स्टेशनों के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अनंतिम टैरिफ के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

6. (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अन्तर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं को अग्रिम, विविध ऋणदाताओं और संविदाकर्ताओं की जमा/पेशगी राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

(ख) प्रबंधन की राय में व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली के बाद चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य तुलनपत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा। तथापि, अभ्यर्पण मूल्य की अनुपस्थिति में उपदान निधि को भारतीय बीमा निगम द्वारा प्रमाणित मूल्य पर जारी रखा जा रहा है।

(ग) चूंकि मैसर्स डीटीएल को प्रोत्साहन राशि के भुगतान का मामला अभी निपटाया नहीं गया है 'निवेश पर उपचित ब्याज' (अनुसूची-9) और 'अन्य देयताएं' (अनुसूची-10) के अंतर्गत 32.97 करोड़ रुपए का प्रावधान जारी रखा है।

(घ) वसूली योग्य दावों में जेएंडके पीडीसी से भारत सरकार के आदेशानुसार उनको सौंपी गई बगलिहार परियोजना के लिए देय 16.65 करोड़ रुपए शामिल हैं। सावलकोट परियोजना के संबंध में परियोजना को अंतिम रूप से सौंपे जाने का काम लंबित रहने के कारण कुल 10.26 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय निगम की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में बना हुआ है जबकि इस परियोजना के लिए जेएंडके पीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रुपए का तदर्थ अग्रिम "चालू देयताएं" के अन्तर्गत दर्शाया गया है और लेखा के अंतिम परिशोधन के उपरांत इसको समायोजित किया जाएगा।

7. (क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सियांग (13600 मेगावाट), सुबानसिरी (5600 मेगावाट) और दिवांग बहुउद्देशीय परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित कर दी गई हैं। हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखे का परिशोधन कार्य लंबित होने के कारण तथा अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ सभी योजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर होने तक इन परियोजनाओं की परिसंपत्तियों और देयता राशि को निगम द्वारा उपगत राशि की सीमा तक दर्ज किया गया।

(ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में निगम ने जेएंडके पीडीसी से उड़ी-II, किशनगंगा, पकलदुल, सेवा-II, बरसर, निम्मो-बाजगो, चुटक परियोजनाएं अधिगृहीत कर ली हैं, जिनके लिए जेएंडके पीडीसी ने 84.89 करोड़ रुपए की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत कर लेने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त निगम ने सेवा-II परियोजना के लिए हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों की जांच और जेएंडके पीडीसी लेखा के समाधान के आधार पर 33.66 करोड़ रुपए का कुल व्यय दर्ज किया है, जबकि उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपए का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रुपए में से 26 करोड़ रुपए निस्तारित किए जा चुके हैं। जेएंडके पीडीसी द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखों के अंतिम समाधान के उपरांत दर्ज किया जाएगा।

(ग) एनएचपीसी द्वारा 1 नवम्बर, 2003 को उत्तरांचल सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना को एनएचपीसी को सौंप दिया गया था। एनएचपीसी को दिए जाने से पूर्व उत्तरांचल सरकार द्वारा इस पर व्यय की गई 246.86 करोड़ रुपए की राशि को लेखाबहियों में समाहित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु क्रियान्वयन समझौते पर उत्तरांचल सरकार के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) कांमबांग लघु जल विद्युत परियोजना के संबंध में 25.03.2005 को अचानक बाढ़ के कारण इन्टेक, चैनल, बाइ पास चैनल तथा गाद हटाने वाला टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षति को अब पूरा कर दिया गया है। 0.46 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी राशियों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

8 (क) कोयलकारो व बाव I परियोजना पर खर्च को बट्टे खाते डालने के लिए चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते में 53.76 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। कोयलकारो से संबंधित 24.55 करोड़ रुपए के शेष खर्च को 'समायोजन की प्रतीक्षा में खर्च' के रूप में अनुसूची 11 में दर्शाया गया है, जिसे समान राशि की शेयर पूंजी में कमी करने की प्रक्रिया पूरी होने पर समायोजित किया जाएगा।

(ख) सुबानसिरि अपर एवं सुबानसिरि मिडिल का परियोजना कार्य आईएएस 966 और 1012 पर माननीय उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के कारण बंद हैं, जिसमें सुबानसिरि नदी पर अपस्ट्रीम बाँध बनने पर रोक लगाई गई है। तथापि अरूणाचल प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण के लिए आई ए सं. 1362-63 दर्ज की है। निगम ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना उत्तर पेश किया है। मामले पर सुनवाई की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है।

(ग) अरूणाचल प्रदेश सरकार ने सिओम (सियांग मिडिल) एवं सियांग लोअर परियोजना निजी डेवलपरों को आवंटित कर दी हैं और निगम से उचित खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। निगम ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मामले को उठाया है क्योंकि एनएचपीसी ने भारत सरकार के निर्णय, उपर्युक्त टिप्पणी 7(क) में उल्लिखित, के अनुसार ब्रह्मपुत्र बोर्ड से परियोजनाएं लेने के बाद इन परियोजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अन्वेषण किया है। भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण क्रमश: 43.06 करोड़ एवं 33.54 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

(घ) अरूणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर लंबित होने के कारण, सियांग अपर परियोजना के संबंध में 27.79 करोड़ रु. के खर्च को, जिसका सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्य एनएचपीसी को सौंपा गया था, पूंजीगत चालू कार्य में दिखाया जा रहा है।

(ङ) लोकतक डाउन स्ट्रीम परियोजना निष्पादित करने का मामला अभी भारत सरकार के विचाराधीन है; इसलिए इस परियोजना पर खर्च किए गए 28.69 करोड़ रुपए को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दिखाया जा रहा है।

9. कंपनी ने 534.70 करोड़ जेपीवाई के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देय तिथियों को अर्थात् 9 जनवरी तथा 9 जुलाई को ब्याज भुगतान तथा साथ ही 5 वर्षों के अंत में मूलधन की संभावित अदायगी के लिए भी सुरक्षात्मक करार किए हैं। भारत में किसी विशिष्ट लेखाकरण मानक के अभाव में तथा 'तुलनपत्र से परे मद' होने के कारण तुलनपत्र की तिथि अनुसार किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं समझी गई है। करार से प्रत्युत्पन्न लाभ या हानि का लेखाकरण देय तिथियों को निपटान पर किया जाएगा।

10. कार्यपालकों के संबंध में 1 जनवरी 1997 से वेतन ढाँचे में संशोधन लागू होने के कारण खातों में 73.11 करोड़ का वेतन संशोधन बकाया राशि का प्रावधान किया गया है। वर्ष में लाभ पर इसका प्रभाव 15.28 करोड़ है।

11. (क) वर्ष के दौरान विदेशी विनियम में हुए उतार-चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

	वर्ष 2005-06 के लिए	वर्ष 2004-05 के लिए
i) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित राशि	(-) 3.10	0.32
ii) निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय पर प्रभारित राशि	(-) 24.56	(-) 12.82
iii) चल रहे पूंजीगत कार्य पर प्रभारित राशि	(-) 102.31	4.01
iv) अचल परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढ़ोत्तरी करके समायोजित की गई राशि	29.42	38.84
v) मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी करके समायोजित की गई राशि	0.05	(-) 0.39

(ख) इस वर्ष के दौरान 'निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय' में अंतरित की गई ऋण लागत की राशि 202.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 186.79 करोड़ रुपए) है।

12. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी सेवाएं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं और इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

(ग) निगम द्वारा अर्जित 'ब्याज' आय आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए उनके द्वारा देय ऋणों के परिसमापन में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निगम को जारी किए गए बांड/दीर्घावधिक अग्रिमों के संबंध में है और यह उत्पादन संबंधी कार्यकलाप के लिए है। इसी प्रकार, लाभानुभोगी राज्यों से प्राप्त विलंबित भुगतान और अधिभार उत्पादन गतिविधि को आरोप्य है।

13. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास निगम की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 5 (अनुसूची-23) के अनुसार प्रभारित किया जाता है। भारत सरकार दिनांक 6 जनवरी 2006 के संकल्प सं. 23/2/2005 आर एंड आर (खण्ड-III) के पैरा 5.3 के उप पैरा (ग) के द्वारा पहले यह अधिसूचित कर चुकी है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें ही टैरिफ और लेखाकरण के संबंध में भी लागू होंगी। जहां तक लाभ व हानि खाते का संबंध है, इस वर्ष मूल्यह्रास प्रभार कंपनी अधिनियम 1956 में निर्धारित दरों की तुलना में 217.86 करोड़ रुपए कम है।

14. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण लाभ पर प्रभाव निम्नानुसार है

करोड़ रुपए

नीति	वर्ष में लाभ पर प्रभाव
उस भूमि पर पूंजीगत खर्च के संबंध में जो निगम की नहीं है, नीति सं. 2.3 शामिल करना।	कोई प्रभाव नही
मशीनरी कलपुर्जे के संबंध में चाहे वे मुख्य संयंत्र के साथ खरीदे गए हों या बाद में, अलग से पूंजीकरण करने तथा मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति 3.1 में संशोधन।	(-) 26.34
उस भूमि पर पूंजीगत खर्च का परिशोधन करने संबंध में, जो निगम की नहीं है, नीति सं. 5.7 शामिल करना।	कोई प्रभाव नहीं
जहां खर्च आस्थगित किया जाना था, विविध खर्च पर पूर्व लेखांकन नीति 8 हटाना। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए	(-)0.87
गेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद मैडिकल हैल्थ स्कीम के लिए प्रावधान करने हेतु **बीमांकक मूल्यांकन की तारीख तक** सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में लेखांकन नीति सं. 9 में संशोधन करना।	कोई प्रभाव नहीं
निर्माण संविदा से राजस्व की मान्यता के संबंध में लेखांकन नीति सं. 10 में संशोधन	कोई प्रभाव नहीं
प्रदत्त सेवाओं के आधार पर समर्पित प्रभाग पर खर्च की सीमा तक आर.ई. एवं पी.एम.जी.एस.वाई. कार्य के सी ओ खर्चों के आवंटन के संबंध में लेखांकन नीति सं. 11 में संशोधन।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि परंपरा को नीति में परिवर्तित किया गया है।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च को राजस्व में प्रभारित करने के संबंध में लेखांकन नीति सं. 13.5 शामिल करना।	(-)2.77

15. चूंकि भारत सरकार ने उस अवधि और उस प्रयोज्य दर, जिस पर कंपनी अधिनियम की धारा 441ए के अन्तर्गत बिक्री पर उपकर देय है, को निर्दिष्ट करते हुए समुचित अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए निगम ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।

16. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर कर का लेखाकरण" संबंधी लेखा मानक-22 के अनुपालन में 187.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 34.32 करोड़ रुपए) की आस्थगित कर देयता का प्रावधान चालू वर्ष के दौरान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

		31.03.2006	31.03.2005
	आस्थागित कर देयता		
i)	मूल्यह्रास	2082.77	1901.03
	घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
ii)	संचित असमाहित मूल्यह्रास	145.38	173.81
iii)	कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	129.95	129.95
iv)	संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बांड) हेतु प्रावधान	150.05	136.89
v)	कर्मचारी लाभ योजना हेतु प्रावधान	56.01	46.90
vi)	एमएटी का क्रेडिट		
	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**1601.38**	**1413.48**

17. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है:-

(क) पूर्णकालिक निदेशक:

श्री एस. के गर्ग	निदेशक (वित्त) 1.10.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
श्री एस.के. चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक)
श्री एस.पी. सेन	निदेशक (तकनीकी) 4.8.2005 को कार्यभार ग्रहण किया
श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक (परियोजनाएं) 03.08.2005 तक और 01.05.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.09.2005 को अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्त।)
श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.4.2005 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हुए)

(ख) संबंध

संयुक्त उद्यम कंपनियां	शून्य

(ग) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पार्टियों के साथ किए गए कारोबार का ब्यौरा

(i) उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	शून्य
(ii) उपर्युक्त मद (ख) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	लागू नहीं

18. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु विचार किए गए तत्व निम्नानुसार हैं-

	वर्ष 2005-06 के लिए	वर्ष 2004-05 के लिए
गणक के तौर पर उपयोग किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)	742.75	684.58
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - आधारभूत	98972844	88816419
डिनॉमीनेटर के रूप में उपयोग की गई - कम किया गया	102411137	92304045
प्रति शेयर अर्जन (रुपए) - आधारभूत	75.05	77.08
- कम किया गया	72.53	74.17
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	1000	1000

19. प्रबंधन का यह मत है कि लेखांकन मानक के (एएस-28) प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च 2006 को हानिकरण का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

20. (क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक (करोड़ रुपए)

	वर्ष 2005-06 के लिए	2004-05 के लिए
(i) वेतन एवं भत्ते	0.42	0.34
(ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.04	0.03
(iii) रिहायशी आवास के लिए किराया	0.08	0.07
(iv) अन्य लाभ	0.03	0.03
(v) सिटिंग शुल्क	-	-

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और वित्त वर्ष में भुगतान पर 12000 कि.मी. तक निजी यात्रा के लिए कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति भी थी, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

	गैरवातानुकूलित कार	वातानुकूलित कार
16 एचपी तक	325 रुपए प्रति महीना	520 रुपए प्रति महीना
16 एचपी से अधिक	490 रुपए प्रति महीना	780 रुपए प्रति महीना

21. सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

(करोड़ रुपए)

	वर्ष **2005-06** के लिए	वर्ष **2004-05** के लिए
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.20	0.13
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.04	0.04
लेखापरीक्षा व्यय	0.32	0.22
अन्य मामले	0.01	0.06
लागत परीक्षक		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.05	–
लेखा परीक्षा खर्च	0.01	–

22. उत्पादन की गई और बेची गई ऊर्जा से संबंधित परिमाणात्मक ब्यौरे:

	वर्ष **2005-06** के लिए	वर्ष **2004-05** के लिए
(i) लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) संस्थापित क्षमता (मेगावाट)***	2729.20	2,449.20
(iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट में)*	12567.15	11286.43
(iv) वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट में)**	10787.46	9758.62

* अस्थिर विद्युत सहित

** गृह राज्यों को नि:शुल्क विद्युत को छोड़कर

*** लोकतक पावर स्टेशन की क्षमता 4-4-2006 से 105 मेगावाट से 90 मेगावाट की गई

23

(करोड़ रुपए)

	वर्ष **2005-06** के लिए	वर्ष **2004-05** के लिए
क)* सीआईएफ आधार पर आयातित संयंत्र, मशीनरी और कल-पुर्जों का मूल्य	2.27	20.22
ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) जानकारी	1.19	0.28
ii) ब्याज	108.47	116.75
iii) अन्य विविध मामले	335.24	311.37
ग)* प्रचालनात्मक यूनिटों में उपयोग में आए कलपुर्जों एवं घटकों का मूल्य		
i) आयातित	5.12 (35%)	5.38 (77%)
ii) स्वदेशी	9.54 (65%)	1.60 (23%)
घ)** विदेशी मुद्रा में आय i) ब्याज ii) अन्य	–	–

* संभूति आधार

** नकद आधार

24. नकद एवं बैंक अधिशेषों में दिनांक 30.03.2006 के स्वीकृति आदेश सं. 11/12/2005 डी ओ (एनएचपीसी)के तहत इक्विटी के संबंध में विद्युत मंत्रालय से हाथ में प्राप्त 20.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 158.89 करोड़ रुपए) की चैक राशि शामिल है।

25. पिछले वर्ष के आंकड़ों/इतिशेष को, आवश्यकतानुसार यथासंभव नए लेखा वर्गीकरण करने सहित पुन: वर्गीकृत/पुन: निर्धारित किया गया है। मूल्यह्रास पर अग्रिम को नया लेखा चार्ट शुरु करने के कारण चमेरा I और उड़ी पावर स्टेशन के संबंध में 99.03 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभाव को समायोजित करने के उद्देश्य से पूर्व अवधि की बिक्री के रूप में 88.85 करोड़ रुपए की राशि को प्रत्यावर्तित किया गया है।

विजय गुप्ता	**एस. पी. सेन**	**एस. के. गर्ग**
कम्पनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

तुलन-पत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण संख्या: 3 2 5 6 4

राज्य कोड: 0 5

तुलन-पत्र की तिथि: 3 1 | 0 3 | 2 0 0 6

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(करोड़ रुपए में)**

सार्वजनिक निर्गम: शू न्य

राइट निर्गम: शू न्य

बॉण्ड निर्गम: शू न्य

निजी नियोजन*: 6 4 2 . 8 2

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमाराशि शामिल है

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति **(करोड़ रुपए में)**

कुल देयताएं: 2 5 1 0 5 . 6 1

कुल परिसंपत्तियां: 2 5 1 0 5 . 6 1

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #: 1 0 5 7 6 . 0 9

आरक्षित तथा अधिशेष $: 5 7 4 0 . 0 7

संरक्षित ऋण: 3 9 7 3 . 5 0

असंरक्षित ऋण: 3 1 9 3 . 1 9

इसमें 20.38 रु. की शेयर पूंजी जमा तथा ईक्विटी में समायोजन-योग्य भारत सरकार की निधि के 340.43 करोड़ रु. शामिल हैं।

$ इसमें मूल्यहृास के प्रति अग्रिम के लिए प्राप्त 1030.18 करोड़ रु. की राशि की आय भी शामिल है।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां: 1 9 8 5 0 . 8 3 @

निवेश: 3 8 3 2 . 8 1

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: (-) 2 2 5 . 3 4

विविध व्यय: 2 4 . 5 5

संचित हानि: शू न्य

@ इसमें 8844.19 करोड़ रुपए के चालू पूंजीगत कार्य और 778.95 करोड़ रुपए के निर्माण भंडार व अग्रिम शामिल हैं।

IV **कंपनी का कार्य निष्पादन (करोड़ रुपए में)**

कारोबार

1	6	6	2	.	9	2

**

कुल व्यय

1	1	6	1	.	5	0

कर-पूर्व लाभ

8	1	2	.	1	6

कर पश्चात लाभ

7	4	2	.	7	5

प्रति शेयर अर्जन रुपए में

7	5	-	0	5

लाभांश राशि

2	2	3	.	0	0

** इसमें 310.73 करोड रुपए की अन्य आय शामिल नहीं है।

V **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम**

i) उत्पाद विवरण

वि	द्यु	त		का		उ	त्पा	द	न									

मद कोड संख्या

–	–	–

ii) उत्पाद विवरण

नि	र्मा	ण		सं	वि	दा	एं											

मद कोड संख्या

–	–	–

iii) उत्पाद विवरण

प	रा	म	र्शी		से	वा	एं											

मद कोड संख्या

–	–	–

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

एस.पी.सेन
निदेशक (तकनीकी)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र के साथ संलग्न कैश फ्लो विवरण

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2006 को		31 मार्च, 2005 को	
क. प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर-पूर्व शुद्ध लाभ एवं असाधारण मदें		812.16		777.53
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	366.55		252.09	
टैरिफ समायोजन	51.80		86.54	
प्रदत्त ब्याज	291.82		329.14	
स्वबीमा	52.93		48.86	
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय	0.02		0.80	
माल सूचियों के मूल्य में कमी	0.15		0.11	
बट्टे खाते डाले गए/प्रावधानित परियोजना व्यय	53.76			
प्रावधानें	11.43		25.58	
संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	0.08			
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.13		4.23	
विनिमय दर अंतर	(3.10)		0.32	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	(40.97)		131.75	
घटाएं	784.60		879.42	
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	0.71		3.12	
आस्थगित राजस्व व्यय	(1.15)		1.26	
ग्राहकों को दी गई छूट	31.26		30.06	
आधिक्य प्रावधान एवं देयताएं लेखे में ली गई	1.97		102.85	
लाभांश आय	4.47	747.34	2.26	739.87
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालनात्मक गतिविधियों से कैश फ्लो		1559.50		1517.40
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	(7.66)		0.14	
संविदात्मक चालू कार्य में (वृद्धि)/कमी	(50.30)		(16.29)	
प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	187.08		174.23	
कारोबार एवं अन्य संदेयों में (वृद्धि)/कमी	106.60	235.72	203.42	361.50
प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व कैश फ्लो		1795.22		1878.90
घटाएं : कर		84.89		80.86
प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व कैश फ्लो (क)		**1710.33**		**1798.04**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
नियत परिसंपत्तियों के क्रय एवं निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय सहित)		(1995.88)		(2476.77)
नियत आस्तियों के निपटान पर बिक्री प्राप्तियां		383.24		59.06
सहायक कंपनियों एवं अन्यों के		(30.00)		(83.16)
शेयरों में निवेश प्राप्त लाभांश		4.47		2.26
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**(1638.17)**		**(2498.61)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लों				
अंश पूंजी निर्गम से प्राप्तियां		622.44		1145.35
अंश पूंजी जमाराशि		20.38		158.89
प्रदत्त लाभंश एवं लाभांश कर		(164.20)		(143.37)
उधारों पर प्राप्तियां (शुद्ध)		147.99		173.70
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		(468.25)		(496.69)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)		**158.36**		**837.88**
नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध (वृद्धि)/कमी (क+ख+ग)		**230.52**		**137.31**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		311.68		174.37
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		542.20		311.68

कैश फ्लो विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकद एवं नकद समतुल्यों में विद्यमान नकद तथा विद्यमान चैकों ड्राफ्टों सहित बैंक शेष शामिल हैं।
2. ऋणों के निर्वहन एवं उन पर अर्जित ब्याज के लिए आवंटित बांड जो कोर उत्पादन गतिविधि से संबद्ध हैं, को प्रचालन गतिविधियों से नकद का भाग माना गया है।
3. नियत परिसम्पत्तियों एवं चालू निर्माण कार्यों में निवेश में 208.18 करोड़ रुपए का पूंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय प्रभार शामिल नहीं है।
4. विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन: समूहबद्ध/पुन: व्यवस्थित/पुन: तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल.बत्रा)
भागीदारी
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

एस.पी.सेन
निदेशक (तकनीकी)

एस.के.गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31 मई, 2006

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

	टिप्पणियाँ	प्रबन्धन का उत्तर
क.	**तुलन-पत्र**	
	चालू पूंजीगत कार्य (अनुसूची-6) - 8844.19 करोड़ रुपए	
	पार्वती-II, तीस्ता-V तथा सेवा-II परियोजनाओं में इलैक्ट्रो-मैकेनिकल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल मदों की आपूर्ति के संबंध में शेष भुगतान हेतु देयताओं के गैर-लेखांकन के कारण उक्त को 30.82 करोड़ रुपए से कम बताया गया है । यह वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों (अनुसूची-10) को भी 30.82 करोड़ रुपए से कम बताए जाने में परिणत हुआ है ।	नोट कर लिया गया है ।
ख.	**लाभ एवं हानि लेखा**	
	कर पश्चात लाभ - 742.75 करोड़ रुपए	
	कम्पनी के लाभ को निम्नलिखित कारणों से 1.75 करोड़ रुपए अधिक बताया गया है -	
(i)	अक्तूबर, 2005 माह हेतु गारण्टी शुल्क को धौलीगंगा परियोजना के संबंध में प्रचालन तथा अनुरक्षण अवधि और निर्माण अवधि के मध्य सही प्रकार से आवंटित नहीं किया गया है । यह अचल परिसंपत्तियों (निवल ब्लाक) को 76 लाख रुपए और वर्ष हेतु लाभ को 76 लाख रुपए अधिक बताए जाने में परिणत हुआ ।	76 लाख रुपए की राशि प्रचालन तथा अनुरक्षण और निर्माण अवधि के दौरान गारण्टी शुल्क के आवंटन हेतु भिन्न पद्धतियों को अपनाने के कारण उत्पन्न हुई है। तथापि, इस स्थिति की 2006-07 के दौरान समीक्षा की जाएगी ।
(ii)	रंगित पावर स्टेशन में मंद और स्थिर मदों के संबंध में 53 लाख रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है। यह वर्ष हेतु माल सूची तथा लाभ को 53 लाख रुपए अधिक बताए जाने में परिणत हुआ ।	नोट कर लिया गया है
(iii)	कंबाग लघु परियोजना में इंटेक चैनल, बाई-पास चैनल और डीसिल्टिंग टैंक को क्षति के कारण 46 लाख रुपए की अनुमानित हानि के संबंध में प्रावधान न किए जाने वाली लेखे पर टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 7 (डी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । चूंकि अरूणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पुनरूद्धार लागत कम्पनी द्वारा वहन की जाएगी, अनुमानित हानि का प्रावधान न किया जाना संविदाओं तथा परामर्शी व्यय को कम बताए जाने और वर्ष हेतु लाभ को 46 लाख रुपए से अधिक बताए जाने में परिणत हुआ ।	निगम ने तथ्यों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है और आगामी कार्रवाई 2006-07 के दौरान की जाएगी जोकि समिति की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर निर्भर करती है ।
ग.	**लेखे पर टिप्पणियां (अनुसूची-24)**	
(i)	**आकस्मिक देयता (टिप्पणी संख्या -1)- 3547.65 करोड़ रुपए**	
	सुबानसिरी लोअर परियोजना के संबंध में मुआवजे के प्रति लाइगी गांव के वासियों द्वारा किए गए 50.39 करोड़ रुपए के दावे को शामिल न किए जाने के कारण इसे कम बताया गया है ।	नोट कर लिया गया है
(ii)	**पूंजीगत लेखे पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया (टिप्पणी संख्या-2) 8359.26 करोड़ रुपए ।**	
	उक्त को अन्य एजेंसियों की ओर से निर्माण संविदाओं के संबंध में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की राशि के 142.92 करोड़ रुपए को शामिल न किए जाने के कारण अधिक बताया गया है ।	नोट कर लिया गया है

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से

हस्ता/-	हस्ता/-
(मीरा स्वरूप)	(एस.के.गर्ग)
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
स्थान : नई दिल्ली	स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 18 जुलाई, 2006	दिनांक : 28 जुलाई, 2006

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद, के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

नोट - लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अहर्यताओं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रुपए)

देयताएं	2003-2004	2004-2005	2005-2006
क) प्रदत्त पूंजी			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	8629.03	9933.27	10576.09
ii) अन्य			
ख) आरक्षित व अधिशेष			
i) आरक्षित व अधिशेष	3338.40	3863.77	4352.24
ii) आरक्षित पूंजी	0.06	0.06	0.06
iii) स्व बीमा	255.81	304.66	357.59
ग) उधार			
i) वित्तीय संस्थानों से	3143.19	3076.26	3073.50
ii) विदेशी मुद्रा ऋण	2606.43	2917.54	3093.19
iii) नकद उधार/अल्प अवधि ऋण	42.16	0.00	0.00
iv) अन्य	1056.00	1028.00	1000.00
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	1130.54	1142.05	1406.55
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	155.94	183.91	216.21
च) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	.	.	.
छ) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	939.40	1071.15	1030.18
कुल	**21296.96**	**23520.67**	**25105.61**
परिसंपत्तियां			
ज) सकल ब्लॉक	10342.71	10876.28	12755.52
झ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	1882.95	2148.20	2527.83
ट) शुद्ध ब्लॉक	8459.76	8728.08	10227.69
ठ) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य	7781.38	9557.33	9623.14
ड) निवेश	3660.87	3769.43	3832.81
ढ़) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	1394.24	1464.65	1397.42
त) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	0.71	1.18	24.55
कुल	**21296.96**	**23520.67**	**25105.61**

थ) कार्यकारी पूंजी (ट-घ(i))	263.70	322.60	09.13
द) नियोजित पूंजी (ट+थ)	8723.46	9050.68	10218.56
ध) नियत मूल्य (क ख (i)-त)	11966.72	13795.86	14903.78
न) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए शुद्ध मूल्य (रुपए में)	1.39	1.39	1.41

2. निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्ष के दौरान 2261.24 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गई और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

	(करोड़ रुपए)
निधियों के स्रोत	**2005-2006**
संचालन से प्राप्त निधियाँ	
क) वर्ष के लिए लाभ	742.75
जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	379.63
जोड़े : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि	52.93
कुल (क)	1175.31
ख) प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	642.82
ग) उधार निधियों में वृद्धि	144.89
घ) ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	32.30
च) कार्यकारी पूंजी में कमी	252.62
छ) चालू पूंजी में कमी	13.30
कुल	**2261.24**
निधियों का उपयोग	
क) स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	1879.24
ख) मूल्यह्रास के बदले पेशगी में कमी	40.97
ग) प्रदत्त लाभांश	254.28
घ) बट्टे खाते में डाला गया विविध खर्च	23.37
च) निवेश	63.38
कुल	**2261.24**

3. कार्यकारी परिणाम

31मार्च, 2006 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	**2004-2005**	**2005-2006**
i) बिक्री	1276.09	1449.98	1614.11
ii) अन्य या विविध आय	551.69	393.80	359.55
iii) कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	641.30	782.88	818.55
iv) पूर्व अवधि समायोजन	2.18	-5.35	-6.39
v) कर पूर्व लाभ	643.48	777.53	812.16
vi) कर के लिए प्रावधान	22.10	92.95	69.41
vii) कर के बाद लाभ	621.38	684.58	742.75
viii) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	135.38	159.21	254.28

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2006 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

(प्रतिशत में)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
क) लिक्विडिटी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ट/घ(i)}	1.23	1.28	0.99
ख) डेबिट इक्विटी अनुपात	0.57	0.51	0.48
दीर्घ अवधि डेबिट शुद्ध मूल्य के लिए {ग(i से iv तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर)/घ}			
ग) लाभ अनुपात			
निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
(i) नियोजित पूंजी	7.38	8.59	7.95
(ii) निवल मूल्य	5.38	5.64	5.45
(iii) बिक्री	50.43	53.62	50.32
(iv) इक्विटी	7.46	7.83	7.68
घ) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	74.57	77.08	75.05

5. वस्तुसूची स्तर

31 मार्च, 2006 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तुसूची स्तर नीचे दिए अनुसार है :

(करोड़ रुपए)

	2003-2004	2004-2005	2005-2006
भंडार, पुर्जे एवं लूज टूल्स	53.79	49.52	51.80

6. विविध देनदार

31 मार्च, 2006 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	विविध देनदार			बिक्री	प्रतिशत में
31 मार्च को	कंसीडर्ड गुड	संदेहजनक माना गया	कुल	(उत्पाद शुल्क के सहित)	बिक्री के विविध देनदार
2004	498.96	84.75	583.71	1276.09	45.74
2005	450.87	77.56	528.43	1449.98	36.44
2006	161.56	77.07	238.63	1614.11	14.78

वर्ष 2005-2006 की समाप्ति पर विविध देनदारों का अवधि के अनुसार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

6 महीने से कम के लिए बकाया देनदार	26.99
6 महीने से 1 वर्ष के लिए	7.87
1 वर्ष से 3 वर्ष के लिए	3.32
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	200.45
कुल	**238.63**

ह/-

(मीरा स्वरूप)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा, बोर्ड-III , नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई, 2006

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कंपनी का नाम एवं पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, होटल लेक व्यू अशोका के पास, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31.03.2006
3.	नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित सहायक कंपनी का अंश	
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000/- रु. प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 100,24,200 इक्विटी शेयर
	(ख) धारण की सीमा	जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित हैं।
4.	सहायक कंपनी की शुद्ध सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में **नहीं दर्शाया** गया है।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष	(क) तुलन-पत्र में अग्रेनीत 81.91 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 41.77 करोड़ रुपए लाभ के रूप में (ख) 10.82 करोड़ रुपए का लाभांश जो 21.22 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र से अग्रेनीत 35.92 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 18.32 करोड़ रुपए लाभ के रूप में।
5.	सहायक कंपनी की शुद्ध सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष	शून्य
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	4.69 करोड़ रुपए का लाभांश, जो 9.20 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।
6.	सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए सहायक कंपनी की नियत परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन	शून्य

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

विजय गुप्ता	**एस. पी. सेन**	**एस. के. गर्ग**
कम्पनी सचिव	निदेशक (तकनीकी)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

1000 मेगावाट इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश)-पावर हाउस

एन एच डी सी

NHDC

तमसो मा ज्योतिर्गमय

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपकी कम्पनी की छठी वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखापरीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है ।

वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	2005-06	2004-05*
विद्युत की बिक्री	33598	17767
मूल्यह्रास, ब्याज (वित्तीय प्रभार सहित) तथा कर से पूर्व लाभ	29855	14699
मूल्यह्रास	6013	3820
मूल्यह्रास के पश्चात और ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	23842	10879
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	12020	7099
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	11822	3780
कर	1212	385
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	10610	3395
पहले के वर्षो के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	3592	966
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**14202**	**4361**

पुन: समूहबद्ध किए अनुसार

विनियोजन

प्रस्तावित लाभांश	2122	680
आय कर के लिए प्रावधान (लाभांश पर)	297	89
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित बकाया लाभ	11783	3592

वर्ष 2005-06 के दौरान निगम का कारोबार (टर्न ओवर) **335.98 करोड़ रुपए** था और कर पश्चात निवल लाभ **106.10 करोड़** रुपए था जबकि पिछले यह क्रमश: **177.67 करोड़ रूपए** और **33.95 करोड़ रूपए** था और इस प्रकार इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 212.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । वर्ष 2005-06 के दौरान इन्दिरा सागर परियोजना से पिछले वर्ष की 1331.85 मिलियन यूनिट की तुलना में **2573.36 मि.यू.** ऊर्जा उत्पादित की गई । एनएचडीसी ने लाभग्राही को इस ऊर्जा की बिक्री से **223.55 करोड़ रूपए** की राशि वसूल की है।

लाभांश

कम्पनी ने वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान **335.98 करोड़ रुपए** का राजस्व अर्जित किया है। कम्पनी की **106.10 करोड़ रूपए** की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान के लिए कम्पनी की इक्विटी पर लाभ के **20 प्रतिशत को लाभांश** के रूप में देने की सिफारिश की है, जोकि शेयरधारकों की आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन प्राप्त किए जाने की शर्त के अधीन है ।

कार्यो की प्रगति

इन्दिरा सागर परियोजना (आईएसपी)

इन्दिरा सागर परियोजना (1000 मेगावाट) की सभी 8 इकाइयां पहले से ही चालू हो चुकी थी और इस परियोजना को 2 जून, 2006 को माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया । परियोजना ने कमी वाले मध्य प्रदेश को पूरी क्षमता से विद्युत देना प्रारम्भ कर दिया है और चालू होने से अब तक 4415 मि.यू. विद्युत मुहैया कराई जा चुकी है।

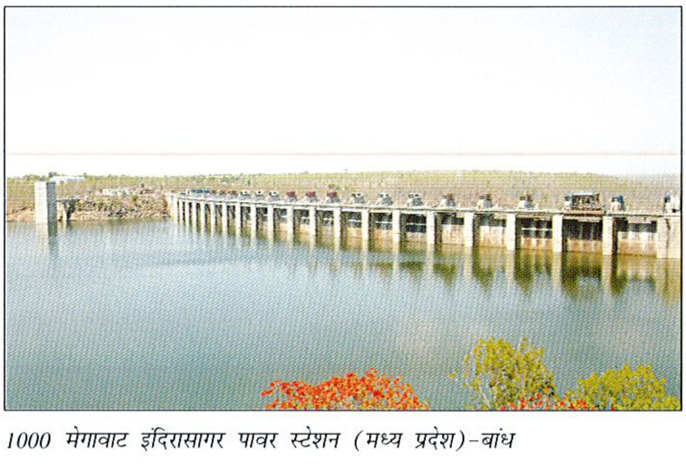

1000 मेगावाट इंदिरासागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश)-बांध

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्य

इन्दिरा सागर परियोजना के निर्माण के कारण 249 गांव डूबने वाले क्षेत्र में आते है । जिसमें से केवल 38 गांवों में केवल सरकारी भूमि ही डूबने वाले क्षेत्र में आएगी । पुनर्वास किए जाने वाले कुल 39178 परियोजना प्रभावित परिवारों में से जून, 2006 तक 39081 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है ।

520 मेगावाट ओंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश)-निर्माणाधीन बांध

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी)

ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर मंदिर के निकट इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में नर्मदा नदी पर स्थित है और यह निर्माण के अंतिम चरण में है । 520 मेगावाट (8 x 65 मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाली ओकारेश्वर परियोजना एक बहुउददेशीय परियोजना है जिससे प्रारम्भिक चरण में 1166 मि.यू. वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और 1.47 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र (सीसीए) पर 2.83 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की जाएगी । चूंकि ओएसपी से विद्युत उत्पादन इन्दिरा सागर परियोजना से विनियमित जल की निकासी पर निर्भर करेगा इसलिए यह आईएसपी से लाभांवित परियोजनाओं में से एक होगी । बांध की कंक्रीटिंग, विद्युतगृह, एचआरसी तथा स्विचयार्ड का कार्य तेजी से चल रहा है और यह निर्धारित कार्यक्रम से आगे है । 9 रेडियल गेट, स्पाइरल केसिंग की 8 इकाइयों की खुदाई और 33 स्विचयार्ड टावर भी पूरे हो चुके हैं । हाइड्रोलिक हाइस्ट, पावर पैक, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ड्राफ्ट टयूब गेट, इनटेक गेट, स्टॉपलॉग आदि के स्थापन का कार्य प्रगति पर है । मई, 2006 के अंत तक परियोजना पर 2224.73 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तुलना में 1402.84 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है ।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्य

कुल 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से केवल 3 गांवों में ही सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है । पुनर्वास किए जाने वाले सभी 27 गांवों के लिए धारा 4 तथा 6 जारी की जा चुकी है । सभी 27 गांवों हेतु कार्य दिया जा चुका है । स्थानांतरित किए जाने वाले कुल 4319 परियोजना प्रभावित परिवारों में से जून, 2006 तक 1415 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूरा किया जा चुका है ।

नई परियोजनाएं

एनएचडीसी को मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर आईएसपी के अपस्ट्रीम में 3 नई परियोजनाओं नामत: बौरास (55 मेगावाट), होशंगाबाद (60 मेगावाट) और हण्डिया (51 मेगावाट) की डीपीआर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है । नए स्थलों पर सर्वेक्षण तथा ड्रिलिंग का कार्य प्रगति पर है । मध्य प्रदेश सरकार के साथ इन नई परियोजनाओं हेतु समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

पर्यावरण तथा वन

पर्यावरणीय पहलुओं हेतु निगमित दायित्वों को पूर्णत: मानते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सभी शर्तो का अनुपालन सही रूप में किया जा रहा है । 86043 हेक्टेयर के कुल लक्ष्य (नए क्षेत्र के 4587 हेक्टेयर सहित) की तुलना में 85818 हेक्टेयर के क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण हो चुका है । इसी प्रकार, 62975 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र पर वन तथा गैर-वन क्षेत्रों में जलग्राहय क्षेत्र उपचार कार्य लगभग पूरा हो चुका है ।

पुरातत्व रूप से महत्वपूर्ण स्मारकों के स्थान बदलने/पुनरूद्धार से संबंधित कार्य आईएसपी हेतु पूरा हो चुका है और ओएसपी हेतु यह लगभग पूरा होने को हैं । संत सिंहाजी की समाधि के पुनर्स्थापन का कार्य चल रहा है । जोगा किले की सुरक्षा दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है । इसके अतिरिक्त, वन्यजीव हेतु प्रवास की क्षति को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय पार्क तथा 2 अभ्यारण्य भी स्थापित किए जा रहे हैं ।

सतर्कता क्रियाकलाप

एनएचडीसी का सतर्कता विभाग आम अनियमितताओं/ चूक को रोकने के लिए परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यो तथा रिकार्डो की समय-समय पर नियमित/औचक रूप से जाँच करके बिना किसी बाधा के कार्य कर रहा है ।

निवारात्मक सतर्कता के एक हिस्से के तौर पर कर्मचारियों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना स्तर पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं ।

राजभाषा क्रियान्वयन रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने राजभाषा क्रियाकलापों तथा इसके क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए सभी प्रयास किए । इस दिशा में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान/कार्यनिष्पादन हेतु निम्नलिखित सम्मान/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।

- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भोपाल से एक 'विशेष पुरस्कार' ।
- अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा विकास सम्मेलन, गाजियाबाद द्वारा सीईडी, एनएचडीसी को 'राजभाषा शिखर सम्मान' ।
- पांडिचेरी में हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 'प्रशस्ति सम्मान' से सम्मानित।
- गाजियाबाद में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन द्वारा एनएचडीसी की 'आरोहण' पत्रिका (राजभाषा स्मारिका) को सांत्वना पुरस्कार ।

राजभाषा क्रियाकलापों को एक नया आयाम देने और राजभाषा के प्रोत्साहन के लिए एक अंतर परियोजना वृहद हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई है जिसे विभिन्न मंचों पर काफी सराहा गया । इसके अतिरिक्त, समय-समय पर संबंधित क्रियाकलापों के आयोजन के अलावा हिंदी पखवाड़ा/दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं/क्रियाकलाप आयोजित किए गए ।

मानव संसाधन विकास और सामाजिक विकास

मानव संसाधन विकास समूह पर्यवेक्षकीयं, प्रबंधकीय तथा तकनीकी कौशलों के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है । अधिकारियों तथा स्टॉफ को नियमित रूप से तकनीकी तथा प्रबंधकीय विषयों के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों /कार्यशालाओं / पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाता है । एक व्यवस्थित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाता है ताकि प्रत्येक कर्मचारी को उचित प्रशिक्षण प्राप्त हो। प्रबंधकीय तथा तकनीकी कौशलों के सतत उन्नयन को प्राप्त करने के लिए आंतरिक व्यावसायिक सत्र भी आयोजित किए जाते हैं । अन्य संस्थानों के विद्वानों को भी उनकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए आंमत्रित किया जाता है । हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है ।

पदाधिकारियों ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य योग आदि पर नियमित रूप से पाठयक्रमों में भाग लिया है । एनएचडीसी की आध्यात्मिक समिति, कारपोरेट कार्यालय, आईएसपी तथा ओएसपी में ध्यान हेतु नियमित सत्र आयोजित करती रहती है । इन आध्यात्मिक क्रियाकलापों से निगम के कर्मचारियों की कार्यदक्षता में काफी वृद्धि हुई है ।

एनएचडीसी अपने परियोजना स्थलों पर आधुनिक कार्यालयों और अतिथि गृह, विद्यालय, पार्क, क्लब, सामुदायिक केन्द्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ सुसज्जित कालोनी स्थापित कर रही है । परियोजना स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं । इन्दिरा सागर परियोजना के नर्मदा नगर में 12वीं कक्षा तक का केन्द्रीय विद्यालय भी सफलतापूर्वक चल रहा है ।

वर्ष के दौरान कल्याण संस्था के माध्यम से नियमित सामाजिक विकास के क्रियाकलाप आयोजित किए गए । एनएचडीसी अब कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु नीतियां बनाने के लिए भी कार्य कर रहा है क्योंकि यह श्रमशक्ति और उनके परिवारों तथा साथ ही व्यापक पैमाने पर स्थानीय समुदाय तथा सामाजिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके नैतिक व्यवहार करने तथा आर्थिक विकास में योगदान देकर व्यापार करने की इसकी सतत प्रतिबद्धता के अनुसार है ।

औद्योगिक संबंध

समूचे वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी भी श्रमदिवस की कोई हानि नहीं हुई है।

अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अ.पि.व. हेतु आरक्षण

निगम की सेवा में अनु.जा./अनु.जन.जाति / अ.पि.व. हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन किया गया ।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्योरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध - 'क' में दी गई है ।

लेखा परीक्षक

वर्ष 2005-06 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स ओ.पी. टोटला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, इन्दौर को 'सांविधिक लेखा परीक्षक' नियुक्त किया गया था ।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निगम की अनुसूची-24 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख करती है, जो स्वत: स्पष्ट है । लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर को अनुबंध- 'ख' में दिया गया है । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध-'ग' के रूप में संलग्न किए गए हैं ।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण, कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2एए) अपेक्षा के अनुपालन में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि -

(i) 31 मार्च, 2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने में लेखाकरण के लिए लागू मानकों का अनुपालन किया गया और साथ ही वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं ।

(ii) यह कि कंपनी ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं तथा अनुमान लगाए हैं जो कि तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यो की स्थिति और उस अवधि हेतु कम्पनी के लाभ का एक वास्तविक तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं;

(iii) यह कि कम्पनी ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डो के अनुरक्षण पर उचित तथा पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु लेखे 'निरंतर संबंध' आधार पर तैयार किए गए हैं ।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में श्री एस.के.डोडेजा, मुख्य कार्यपालक .निदेशक, श्री आई.सी. जैन, सदस्य (विद्युत), एन.वी.डी.ए और श्री राजेश डोंगरे, निदेशक शामिल हैं । उक्त लेखा परीक्षा समिति ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अंतर्गत यथापेक्षित बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय सारणियों की समीक्षा की है ।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए ।

निदेशकों के ब्यौरे

बोर्ड के संघटन में 6 अन्य निदेशकों के साथ 01 अक्तूबर, 2005 से श्री एस.के.गर्ग, कम्पनी के सीएमडी के रूप में हैं ।

मध्य प्रदेश सरकार ने अब एनवीडीए के बोर्ड में श्री उदय कुमारन वर्मा, प्रधान सचिव, एनवीडीडी तथा उपाध्यक्ष, एनवीडीए और श्री आई.सी जैन, सदस्य (विद्युत), एनवीडीए को क्रमश: 22.4.2006 तथा 9.1.2006 से बोर्ड में नामित किया है ।

श्री रणबीर सिंह, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, एनवीडीडी, जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं हैं ।

श्री ए.के. गंगोपाध्याय 30 सितम्बर, 2005 को अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर एनएचडीसी के सीएमडी नहीं रहे ।

एनएचपीसी ने 2 नवम्बर, 2005 से एनएचडीसी के बोर्ड में श्री टी.एन. गोपालकृष्ण, जोकि अब कम्पनी के निदेशक नहीं रहे हैं, के स्थान पर श्री आर.के.तनेजा को नामित किया है ।

यह बोर्ड, कम्पनी से सेवानिवृत्त हुए निदेशकों के योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करता है ।

आभार

बोर्ड विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्य के विभिन्न स्तर पर दिए गए मार्ग-दर्शन तथा सहयोग के लिए कृतज्ञता पूर्ण आभार व्यक्त करता है ।

बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों, बैंकरों एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सहयोग की सराहना करता है ।

साथ ही बोर्ड, निगम के उन सभी समर्पित कर्मचारियों को भी इस अवसर पर धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग के बिना कम्पनी की उपलब्धियां संभव नहीं हो पाती ।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 07.07.2006
स्थान : दिल्ली

ऊर्जा संरक्षण

क्रम सं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
क.	किए गए और किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण उपाय	(1) ऊर्जा उपभोग में कमी हेतु एनएचडीसी कार्यालय भवन में सीएफएल स्थापित किए गए हैं। (2) ऊर्जा संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढाने हेतु कार्यालय/परियोजना में रोशनी प्रणाली तथा अन्य विद्युत उपकरणों में ऊर्जा बचत हेतु सामान्य दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं ।
ख. ग.	ऊर्जा की खपत के लिए किए जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो। ऊर्जा उपभोग की कमी हेतु उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर उल्लिखित उपायों का प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप सामान के उत्पादन की लागत पर प्रभाव;	वर्तमान में एनएचडीसी द्वारा में प्रत्यक्ष निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह ऊर्जा उपभोग में कमी करने में सहायता करेगा।
घ.	तत्संबंधी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में तत्संबंधी अनुबंध के फार्म -क के अनुसार कुल ऊर्जा उपभोग और उत्पादन की प्रति यूनिट पर ऊर्जा की खपत।	एनएचडीसी इस अनुसूची में उल्लखित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है ।

फार्म -बी

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1.	विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किया गया।	आईएसपी में सहायक प्रणाली का नियंत्रण विद्युत गृह एससीएडीए के साथ जोड़ा गया है।
2.	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ।	आईएसपी में विद्युत गृह का आसानी से प्रचालन तथा रख-रखाव।
3.	भविष्य की कार्रवाई योजना।	अनुसंधान और विकास कार्य आन्तरिक विशेषज्ञता और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श करके किया जाएगा।
4.	अनुसंधान और विकास पर व्यय (क) पूंजी (ख) आवृत्ति (ग) कुल (घ) कुल टर्न-ओवर के प्रतिशत के तौर पर अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय	वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर कोई व्यय नही किया गया है। यह प्रत्याशा है कि अनुसंधान और विकास पर व्यय आने वाले वर्षो में किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अपनाना और नवीनीकरण करना।

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	उत्तर
1. 2.	संक्षेप में प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने, अपनाने और नवीनीकरण की ओर किए गए प्रयास। उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।	ओंकारश्वर परियोजना में कंक्रीटिंग करने के लिए अमेरिका से लाई गई रोटेक प्रणाली को अपनाया गया है। रोटेक प्रणाली प्रारम्भ की गई जिससे कंक्रीट को बिना किसी बाधा के रखा जा सका था जो कंक्रीट के रिकार्ड प्रतिस्थापन में परिणत हुआ । यह प्रत्याशा है कि परियोजना निर्धारित समय के भीतर/इससे पहले पूरी हो जाएगी ।
पिछले पांच वर्षो के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी		**शून्य**
विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय		
क्र.सं.	**मांगी गई सूचना**	**उत्तर**
1. 2.	निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप; निर्यात को बढाने के लिए की गई पहल; उत्पादों तथा सेवाओं हेतु नए निर्यात बाजारों का विकास; और निर्यात योजनाएं । कुल विदेशी मुद्रा अर्जन कुल विदेशी मुद्रा व्यय	लागू नहीं शून्य 14537 लाख रुपए

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

हमने **नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल** के 31 मार्च, 2006 के संलग्न तुलन पत्र और साथ ही उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के तहत अपेक्षित है तथा हमारे द्वारा समुचित समझी जाने वाली जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी पर यथाप्रयोज्य सीमा तक एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

हम निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हैं-

i) **कंपनी ने टिप्पणी 8(ख) में मूलत: एनवीडीए से वसूली योग्य राजस्व व्यय के रूप में लिए 2.86 करोड़ रु. की राशि को अब पूंजीकृत किया है क्योंकि कंपनी ने अपने खातों का निपटान करते समय दावे को रद्द कर दिया है। हमारे विचार में जब वर्ष 2003-04 में एक बार कोई व्यय राजस्व व्यय के रूप में दर्शा दिया गया है उसे केवल इस कारण से कि एनवीडीए खर्च के बारे में अपने दायित्व से मुकर गई है, पूंजीकृत व्यय में नहीं बदला जा सकता। इस प्रकार लाभ तथा आरक्षित को 2.86 करोड़ रुपए अधिक दर्शाया गया है।**

प्रबंधन का उत्तर

i) एन वी डी ए, मध्यप्रदेश सरकार से एनएचडीसी द्वारा परियोजना को सौंपे जानें एवं ग्रहण किए जाने के प्रारंभिक अवधि के दौरान कोई भी दिशा-निर्देश/आपसी करार के अभाव में एनवीडीए द्वारा खपत किए गए इलैक्ट्रिसिटी बिलों एवं परियोजना निर्माण के लिए बुनियादी सुविधा समानुपातिक प्रयोग जिसमें बुनियादी उपयोगी वस्तु/सुविधाएं शामिल है, पर आधारित था। यह राशि अस्थाई तौर पर नवंबर, 2000 से फरवरी, 2003 तक की अवधि हेतु 5.65 करोड़ रुपए होना था बाद में, सामुहिक विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से तथा वास्तविक प्रयोग के सिद्धांत पर यह राशि 2.79 करोड़ रुपए वसूली योग्य होना पता लगा जिसे वसूल किया गया। 2.86 करोड़ रुपए का अंतर मुख्य रूप से

ii) **टिप्पणी सं. 15(क) के अनुसार बिजली की बिक्री अस्थाई दरों पर की गई है तथा 48.18 करोड़ रुपए के गौण प्रभार के बिल भी जारी किए गए हैं। इन सब पर सीईआरसी का अंतिम निर्णय अपेक्षित है। यदि कोई अंतर होता है, तो उसका अभी पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए लाभ/आरक्षित पर उसका प्रभाव का पता नहीं है।**

ऊपर उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि

i) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर आवश्यक समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि कंपनी की इन बहियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप है।

v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के तहत जारी परिपत्र के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि निदेशकों के अपात्र होने के संबंध में उक्त अधिनियम की धार 274 की उप-धारा(1) का खंड (ज) किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होगा। अत: हमारी राय में इस खंड की अपेक्षा इस कंपनी पर भी प्रयोज्य नहीं है।

vi) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उन पर दी गई तथा संलग्न टिप्पणियों सहित, निम्न के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथाअपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से दी गई है तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं:-

बुनियादी उपयोगी वस्तु/सुविधाएं जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, वन, स्ट्रीट लाइट इत्यादि के लिए खपत किए गए इलैक्ट्रिसिटी के आधार पर थी जिसे अधिक ब्याज पर भी परियोजना द्वारा वहन करने पर सहमति दी गई तथा तदनुसार एएस-5 में प्रावधान के शर्तों पर पूर्व अवधि मदों के तौर पर आईईडीसी को प्रभारित किया गया।

ii) निगम के महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संदर्भ (अनुसूची-23 लेखों के फॉर्मेटिंग पार्ट के राजस्व पर नीति सं.11.1 (क) देखें)। बिजली की बिक्री को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के आधार पर लेखाकृत किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधि सूचित नहीं है, बिक्री को अस्थाई तौर पर बिलिंग किया जाता है जिसका विनियोजित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए पैरामीटरों एवं पद्धति पर आधारित हल निकाला जाता है।

(क) 31 मार्च, 2006 तक निगम के क्रियाकलापों की स्थिति के संदर्भ में तुलन-पत्र के मामले में,

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में तथा

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण के कैश-फ्लो मामले में।

कृते ओ.पी. टोटला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(ओ.पी. टोटला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2006

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार सत्यापन की आवृति युक्तिसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान वास्तविक सत्यापन की गई नियत परिसंपतियों के मामले में बही रिकार्डो की तुलना में कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू कंपनी आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करना लेखों को प्रभावित नहीं करता है ।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भण्डार की वस्तुसूची, कलपुर्जों, इस्पात तथा सीमेंट सिवाय उसके जो संविदाकर्ताओं के पास अथवा परिवहन में है, का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ऐसे सत्यापन की आवधिकता युक्तिसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं युक्तिसंगत एवं पर्याप्त हैं।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी वस्तुसूची के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक स्टॉकों तथा वस्तुसूची के अभिलेखों के बीच सत्यापन पर कोई भौतिक कमी नहीं पाई गई।

(iii) हमारे द्वारा लागू की गई लेखा परीक्षा कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं लिए हैं/दिए हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वस्तुसूची क्रय, नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में, विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। फिर भी, आगे इसे मजबुत करने की आवश्यकता है।

(v) हमारे द्वारा अपने श्रेष्ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लागू की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने के लिए उल्लिखित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं की प्रविष्टि उसमें की गई है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का जनता से स्वीकृत धनराशि के संबंध में अनुपालन किया है।

(vii) कंपनी का एक अंत:गृह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसे हमारी राय में व्यवसाय गतिविधियों के स्वरूप तथा आकार के समनुरूप और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

(viii) हमने कंपनी अधिनियम की धारा 209(1) (घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डो के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखबहियों का मोटे तौर पर पुनरीक्षण किया है तथा हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टिया निर्धारित लेखे तथा रिकार्ड बनाए गए हैं तथा अनुरक्षित किए गए हैं/तथापि, हमने इस उद्देश्य से कि वे सही अथवा पूर्ण हैं इन रिकार्डो का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं जिन्हें नियमित रूप से प्राधिकारियों के पास जमा कराना होता है, उन्हें सामान्यत: उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा देती है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी

पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2005 को ऊपर वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क संपत्तिकर, उत्पाद शुल्क, उपकर के संबंध में कोई जमा न कराई गई राशि के मामले नहीं है।

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानियां नहीं हैं। कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष तथा इस वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष के दौरान कोई नकद हानियां नहीं हुई है।

(xi) रिकार्डों के प्रमाणीकरण के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था/ बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयताओं की पुनर्अदायगी में चूक नहीं की है।

(xii) हमें दी गई सुचना तथा जानकारी के अनुसार, कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रखकर ऋण तथा अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

(xiii) & (xiv) वर्ष के दौरान कंपनी की कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के पैरा 4 के प्रावधान (XIII) और (XIV) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें उपलब्ध सभी माध्यमों पर सावधि ऋण तथा संबद्ध जानकारी से संबंधित फंड के उपयोग की समीक्षा के आधार पर कंपनी ने इस उद्देश्य के लिए सावधिक ऋण हेतु आवेदन दिया है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच, हमें उपलब्ध कराई गई संगत सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर हम सूचित करते हैं कि सामान्यत: अल्पावधि आधार पर जुटाए गए ऋणों का प्रयोग दीर्घावधिक निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किए हैं, इसलिए उस संबंध में प्रतिभूति अथवा प्रभार बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गमों द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए सार्वजनिक निर्गमों द्वारा जुटायी गई राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(xxi) हमें दी गई सुचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तीन बच्चों को 93.000 रुपए प्रत्येक के नाम से धोखा पूर्वक आवार्ड संबंधी 2.79 लाख रुपए की राशि के लिए खंडवा में इंदिरा सागर परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यालय में धोखाधड़ी का मामला पाया गया है और इस अपराधिक मामले पर वसूली करने संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

कृते ओ.पी. टोटला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(ओ.पी. टोटला)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2006

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
लाभ एवं हानि लेखा **कर हेतु प्रावधान -वर्तमान कर - 12.12 करोड़ रुपए** उक्त में वित्त अधिनियम, 2005 के प्रावधान के अनुसार कम्पनी द्वारा सीमांत लाभ के कारण अदा किए गए 56.38 लाख रुपए शामिल हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 में अपेक्षानुसार उक्त को पृथक रूप से दर्शाया जाना चाहिए था।	नोट कर लिया है।

हस्ता/-
मीरा स्वरूप
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई, 2006

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचडीसी के लेखे की समीक्षा ।

नोट - लेखे की इस समीक्षा को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में विहित टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखते हुए तैयार किया गया है ।

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत कम्पनी की वित्तीय स्थिति के सार को प्रस्तुत करती है -

(करोड़ रुपए में)

	2003-04	2004-05	2005-06
देयताएं			
(क) प्रदत्त पूंजी			
(1) सरकार			
(2) अन्य	1687.61	1932.58	1962.58
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	-	-	-
(1) मुफ्त आरक्षित तथा अधिशेष	9.66	35.92	117.83
(2) शेयर प्रीमियम खाता	-	-	-
(3) आरक्षित पूँजी	605.96	829.68	1101.70
(4) आकस्मिकताओं हेतु स्व-बीमा	1.82	12.82	32.55
(ग) ऋण			
(1) भारत सरकार	-	-	-
(2) वित्तीय संस्थानों से	1430.00	2124.25	2314.74
(3) विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
(4) नकद ऋण	-	-	-
(5) अन्य	-	-	-
(6) प्रोदभूत तथा देय ब्याज	-	-	-
(घ)(1) वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	186.12	258.95	243.04
(2) उपदान हेतु प्रावधान	0.12	0.25	0.41
(ड़) आस्थगित कर देयता	5.97	16.62	76.33
कुल	**3927.26**	**5211.10**	**5849.18**
परिसंपत्तियां			
(च) सकल ब्लाक	1715.49	3328.40	3971.89
(छ) घटाएं - मूल्यह्रास	16.08	57.71	134.37
(ज) निवल ब्लाक	1699.41	3270.69	3837.52
(झ) चालू पूंजीगत कार्य तथा निर्माण भण्डार तथा अग्रिम	1529.25	1168.05	1368.72
(ञ) निवेश	-	-	-
(ट) वर्तमान परिसंपत्ति ऋण तथा अग्रिम	690.79	754.10	565.17
(ठ) विलंबित कर परिसंपत्तियां	5.97	16.62	76.33
(ड) बटटेखाते में नहीं डाले गए विविध व्यय	1.84	1.64	1.44
कुल	**3927.26**	**5211.10**	**5849.18**
(ढ) कार्यशील पूंजी (ट-घ(1))	504.67	495.15	322.13
(ण) नियोजित पूंजी(ज+ढ)	2204.08	3765.84	4159.65
(त) निवल मूल्य (क+ख(1) +ख(2)-ड)	1695.43	1966.86	2078.97
(थ) प्रदत्त पूंजी के प्रति रुपए पर निवल मूल्य (रूपए में)	1.00	1.02	1.06

2. निधियों का स्रोत तथा उपयोग –

वर्ष के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आंतरिक तथा बाहरी स्रोतों से 838.43 करोड़ रुपए की राशि वसूली तथा उपयोग की गई :

		2003-04	2004-05	2005-06
	निधियों के स्रोत			
	प्रचालनों से निधियां			
(क)	कर पश्चात निवल लाभ	9.66	26.26	81.91
	जोड़ें मूल्यह्रास	3.80	38.20	60.13
	जोड़े बटटेखाते में डाला गया विविध व्यय	0.21	0.20	0.20
	जोड़ें आकस्मिकताओं हेतु स्व-बीमा में वृद्धि	1.82	11.03	19.70
(ख)	शेयर पूंजी तथा आरक्षित में वृद्धि	516.01	468.69	302.02
(ग)	ऋण में वृद्धि	975.10	694.25	190.49
(घ)	बटटेखाते में डाला गया विविध व्यय	–	–	–
(ड)	चालू पूंजीगत कार्य तथा निर्माण भण्डार में कमी	539.28	364.64	0.00
(च)	उपदान हेतु प्रावधान में वृद्धि	0.06	0.13	0.16
(छ)	अचल परिसंपत्तियों में कमी			
(ज)	उपदान के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी में कमी		9.51	183.82
	कुल	**2045.94**	**1612.91**	**838.43**
निधियों का उपयोग				
(क)	अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	1690.74	1612.91	643.49
(ख)	अदा किया गया लाभांश	–	–	–
(ग)	अदा किया गया लाभांश कर (प्रस्तावित लाभांश तथा उस पर लाभांश कर के अतिरिक्त)		–	–
(घ)	उपदान के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी में वृद्धि	355.20	–	–
(ड)	चालू पूंजीगत कार्य तथा निर्माण भण्डार में वृद्धि	0.00	0.00	194.94
(च)	ऋण में कमी	0	00	0
	कुल	**2045.94**	**1612.91**	**838.43**

3. कार्य परिणाम

31 मार्च, 2006 को समाप्त गत 3 वर्षों हेतु कम्पनी के कार्य परिणाम नीचे दिए गए हैं :

		2003-04	2004-05	2005-06
(1)	बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	27.34	177.67	335.98
(2)	घटाएं उत्पाद शुल्क	–	–	–
(3)	निवल बिक्री	27.34	177.67	335.98
(4)	अन्य अथवा विविध आय	0.76	2.69	6.93
(5)	कर पूर्व लाभ	13.55	37.80	118.22
(6)	कर हेतु प्रावधान	1.18	3.85	12.12
(7)	कर पश्चात लाभ	12.37	33.95	106.1
(8)	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	2.71	7.69	24.19

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2006 को समाप्त गत तीन वर्षों के अंत में कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्यप्रणाली पर कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात निम्नानुसार हैं -

		2003-04	2004-05	2005-06
(क)	नकदी अनुपात			
	वर्तमान अनुपात = उपदान के प्रावधान के अतिरिक्त			
	वर्तमान परिसंपत्तियों की तुलना में वर्तमान देयताएं	3.71	2.91	2.32
(ख)	ऋण इक्विटी अनुपात	0.46	0.76	1.11
	निवल मूल्य की तुलना में दीर्घावधि ऋण	0.46	0.76	1.11
(ग)	लाभप्रदत्ता अनुपात कर पूर्व लाभ के प्रति			
(1)	नियोजित पूंजी	0.01	0.01	0.03
(2)	निवल मूल्य	0.01	0.02	0.06
(3)	बिक्री	0.50	0.21	0.35
(4)	इक्विटी	0.01	0.02	0.06
(घ)	प्रति शेयर अर्जन	7.33	20.80	54.87

5. माल-सूची स्तर

मार्च, 2006 को समाप्त गत तीन वर्षों के अंत में माल-सूची स्तर निम्नानुसार थें -

		2003-04	2004-05	2005-06
(क)	भण्डार, कलपुर्जे, कच्चे पदार्थ का स्टॉक (ट्रांजिट में शामिल)	0.51	0.25	0.12

6. विविध देनदार

31 मार्च, 2006 को समाप्त गत तीन वर्षों में विविध देनदार तथा बिक्री निम्नानुसार हैं -

31 मार्च को	कंसीडर्ड गुड	संदेहास्पद माना गया	कुल	बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	प्रतिशत में बिक्री के देनदार
2004	5.14	-	5.14	27.34	18.80%
2005	47.22	-	47.22	177.67	26.58%
2006	159.65	-	159.65	335.98	47.52%

31 मार्च, 2006 के अंत में विविध देनदारों का समय-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं -

के लिए बकाया देनदार	करोड़ रूपए में
6 माह से कम	115.42
6 माह से एक वर्ष	44.23
1 वर्ष से 3 वर्ष	-

हस्ता/-
मीरा स्वरूप
प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 6 जुलाई, 2006

वार्षिक लेखे

1000 मेगावाट इंदिरा सागर पावर स्टेशन (मध्य प्रदेश)-ट्रांसफार्मर यार्ड व पावर हाउस का रात्रि दृश्य

31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च 2006 को			31 मार्च 2005 को		
निधियों के स्त्रोत							
क. अंशधारकों की निधि							
हिस्सा पूंजी	1		196258			163235	
हिस्सा पूंजी जमाराशि	1ए		-			30023	
आरक्षित तथा अधिशेष	2		121953	318211		86560	279818
ख. ऋण निधियां							
i) आरक्षित ऋण	3		216474			150000	
ii) अनारक्षित ऋण	4		15000	231474		62425	212425
ग. आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा				3255			1285
घ मूल्यह्रास पर अग्रिम के व्यय में पेशगी प्राप्त आय				-			-
च. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			7633		1662		
घटाएं-आस्थगित वसूलनीय कर			7633	-	1662		-
जोड़				**552940**			**493528**
निधियों का अनुप्रयोग							
क. अचल पूंजीगत व्यय							
i) अचल परिसंपत्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		397189			332840		
घटाएं : मूल्यह्रास		13437			5771		
ख) शुद्ध ब्लॉक			383752			327069	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		131061			102139	
iii) निर्माण भंडार तथा अग्रिम	7		5811	520624		13586	442794
ख. निवेश	8			-			-
ग. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	9						
i) निवेश पर उपचित ब्याज		-			-		
ii) सामान सूची		121			12		
iii) चालू संविदा कार्य		-			-		
iv) विविध देनदार		15965			4722		
v) नकद एवं बैंक शेष		35059			66152		
vi) अन्य चालू परिसंपत्तियां		1605			2529		
vii) ऋण एवं अग्रिम		3767	56517		3075	76490	
घटाएं - चालू देयताएं एवं प्रावधान	10						
i) देयताएं		19757			24555		
ii) प्रावधान		4588	24345		1365	25920	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				32172			50570
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)	11			144			164
जोड़				**552940**			**493528**
नकदी प्रवाह विवरण	22						
लेखाकरण नीतियां	23						
लेखा टिप्पणियां तथा आकस्मिक देयताएं	24						

अनुसूची 1 से 24 लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते ओ. पी. टोटला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. तनेजा
निदेशक

एस. के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ओ. पी. टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम. डब्ल्यू. खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2006

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए		
आय							
बिक्री	12		33598			17767	
घटाएं: टैरिफ समायोजन			-			-	
घटाएं: मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम			-	33598		-	17767
संविदाएं एवं परामर्श	13			-			-
पावर बाँड पर ब्याज				-			-
दीर्घावधि पेशगियों पर ब्याज				-			-
अन्य आय	14			693			269
कुल आय				34291			18036
व्यय							
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	15			3643			2437
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हित लाभ	16			737			431
मूल्यह्रास	17			6013			3820
ब्याज एवं वित्त प्रभार	18			12020			7099
प्रावधान	19			41			-
संविदा एवं परामर्शी खर्च	20			-			-
लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				-			-
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	21			15			469
कुल व्यय				22469			14256
वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)				**11822**			**3780**
कराधान के लिए प्रावधान							
i) वर्तमान कर			1212			385	
ii) पूर्व वर्षों के संबंध में समायोजन			–			–	
iii) आस्थगित कर		5971			1065		
घटाएं: आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन		5971	-	1212	1065	-	385
कर पश्चात लाभ				**10610**			**3395**
पिछले वर्ष के खाते से आगे लाई गई शेष राशि				3592			966
निपटान योग्य लाभ				**14202**			**4361**
विनियोजन							
(i) अंतरिम लाभांश			-			-	
(ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश			2122			680	
(iii) कारपोरेट लाभांश कर			297			89	
(iv) लाभ से आरक्षित में विनियोजन			–			–	
(v) आरक्षित से पश्चलिखित राशि			-	2419		-	769
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ				**11783**			**3592**
मूल ई पी एस (प्रति शेयर रु.)				54.87			20.80
डाइलूटिड ई पी एस (प्रति शेयर रु.)				54.25			19.63
नकदी प्रवाह विवरण	22						
लेखाकरण नीतियां	23						
लेखा टिप्पणियां तथा आकस्मिक देयताएं	24						

अनुसूची 1 से 24 लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते ओ. पी. टोटला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. तनेजा
निदेशक

एस. के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ओ. पी. टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम. डब्ल्यू खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2006

अनुसूची-1 हिस्सा पूंजी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को	31 मार्च 2005 को
प्राधिकृत		
1000 रुपए प्रत्येक के 3000000 इक्विटी शेयर	300000	300000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त	196258	163235
1000 रुपए प्रत्येक के पूर्णत: प्रदत्त 1,96,25,800 (विगत वर्ष 163,23,529) इक्विटी शेयर। उपरोक्त में से 100,24,200 (विगत वर्ष 83,40,000) शेयर धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को तथा 96,01,600 (विगत वर्ष 79,83,529) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं।		
टिप्पणी : उक्त में से 74,83,528 (विगत वर्ष 74,83,528 इक्विटी शेयर एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्णत: प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए थे।		
जोड़	196258	163235

अनुसूची-1क हिस्सा पूंजी जमा खाता

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को	31 मार्च 2005 को
1 एनएचपीसी (धारक कंपनी) से	-	13842
2 एनवीडीए लेखे से	-	16181
जोड़	-	30023

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रुपए)

विवरण	1 अप्रैल 2005 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2006 को
आरक्षित पूंजी				
1. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए अनुदान के रूप में आनुपातिक अंशदान	34025	769	576	34218
2. एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के लिए अंतरित आनुपातिक सबवेंशन	43503	957	736	43724
3. आई एस पी के आर व आर के लिए मध्य प्रदेश करार का अशंदान	-	20400	214	20186
4. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए आनुपातिक अंशदान अनुदान के रूप में	5440	6602	-	12042
अधिशेष				
1. लाभ तथा हानि खाता	3592	10610	2419	11783
जोड़	86560	39338	3945	121953

अनुसूची-3 ऋण निधियां - संरक्षित

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को	31 मार्च 2005 को
दीर्घ अवधि ऋण		
क. इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना		
1 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	20000	20000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
2 जम्मू एवं कश्मीर बैंक	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
3 बैंक ऑफ इंडिया	35000	35000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
4 आंध्रा बैंक	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
5 केनरा बैंक	15000	15000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
6 देना बैंक	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
7 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
8 पंजाब एंड सिंध बैंक	5000	5000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
9 सिडबी	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10000	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
11 पजाब नैशनल बैंक	27500	10000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
12 इंडियन ओवरसीज बैंक	5000	5000
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
13 बैंक ऑफ बड़ौदा	1500	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.12.07 से 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
उप जोड़ (क)	169000	150000

अनुसूची-3 ऋण निधियां - संरक्षित

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को	31 मार्च 2005 को
दीर्घ अवधि ऋण		
ख. ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना		
1 **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**	10777	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
2 **इंडियन ओवरसीज बैंक**	1794	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
3 **कॉरपोरेशन बैंक**	3594	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
4 **केनरा बैंक**	3734	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
5 **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**	4957	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
6 **पंजाब नैशनल बैंक**	5192	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
7 **सिडबी**	1256	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
8 **यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**	2697	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
9 **सिंडीकेट बैंक**	2697	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
10 **आरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स**	5388	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
11 **इलाहाबाद बैंक**	5388	-
(एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपए)		
(31.03.09 से 10 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)		
टिप्पणी: उपर्युक्त सभी सावधि ऋण इंदिरा सागर/ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की सभी वर्तमान और भावी नियत परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार से आरक्षित हैं।		
उप जोड़ (ख)	**47474**	**0**
कुल (क+ख)	**216474**	**150000**

अनुसूची-4 ऋण निधियां - अनारक्षित

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च 2006 को	31 मार्च 2005 को
अल्पावधि ऋण			
1	**केनरा बैंक**	-	12500
2	**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** (एक वर्ष के भीतर देय 15000 लाख रुपए)	15000	49925
	जोड़	**15000**	**62425**

अनुसूची-5 नियत परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लाक	
	1.4.05 को	अन्तर इकाई अंतरण के कारण वर्धन/ समायोजन	अन्यों के कारण वर्धन/ समायोजन	अन्तर इकाई अंतरण के कारण कटौती/ समायोजन	अन्यों के कारण कटौती/ समायोजन	31.03.06 को	01.04.05 को	वर्ष के लिए	समायोजन *	31.03.06 को	31.03.06 को	31.3.05 को
	1	2क	2ख	3क	3ख	4	5	6	7	8	9	10
फ्री होल्ड भूमि	35	-	4	-	-	39	-	-	-	-	39	35
पट्टेवाली भूमि	149	-	12	-	-	161	-	5	1	6	155	149
भूमि प्रयोग को अधिकार	-	-	10	-	-	10	-	-	1	1	9	-
भवन	41108	-	2136	-	(12)	43232	1071	1080	1	2152	41080	40037
सड़कें व पुल	968	-	282	-	-	1250	149	23	2	174	1076	819
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	216595	-	59628	-	-	276223	2842	4437	-	7279	268944	213753
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	72674	-	1337	-	(12)	73999	1346	1944	11	3301	70698	71328
संयंत्र व मशीनरी- सब स्टेशन	59	-	478	-	-	537	2	7	-	9	528	57
संयंत्र व मशीनरी - पारेषण लाइनें	14	-	115	-	-	129	1	3	-	4	125	13
संयंत्र व मशीनरी - अन्य	237	-	2	-	-	239	0	15	5	20	219	237
निर्माण उपकरण	120	-	33	(1)	-	152	7	18	(1)	24	128	113
जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकास एवं मल निकासी	48	-	56	-	-	104	1	1	-	2	102	47
विद्युत संस्थापन	26	-	-	-	(10)	16	10	2	(7)	5	11	16
वाहन	126	-	1	-	-	127	61	19	-	80	47	65
एयरक्राफ्ट/नौकाएं	5	-	10	-	-	15	1	3	-	4	11	4
फर्नीचर, फिक्सचर	211	1	73	(1)	(1)	283	42	19	-	61	222	169
कम्प्यूटर	134	-	30	-	(1)	163	82	30	(2)	110	53	52
संचार उपस्कर	17	-	26	-	-	43	3	2	-	5	38	14
कार्यालय उपस्कर	108	1	93	-	(5)	197	21	11	(2)	30	167	87
अनुसंधान व विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
अन्य परिसम्पत्तियां	83	-	33	-	(1)	115	9	7	-	16	99	74
उन परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मामूली कीमत की नियत परिसम्पत्तियां > 750 और < 5000 रु.	123	-	31	-	-	154	123	31	-	154	-	-
अप्रचलित / अतिरिक्त परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	***332840***	***2***	***64391***	***(2)***	***(42)***	***397189***	***5771***	***7657***	***9***	***13437***	***383752***	***327069***
पिछले वर्ष	171549	6	161861	(5)	(571)	332840	1608	4735	(572)	5771	327069	169941

टिप्पणी

वर्ष हेतु मूल्यह्रास	7657
पी एंड एल के लिए चार्ज	6013
आई ई डी सी के लिए चार्ज	118
पूंजीगत आरक्षित के लिए चार्ज	1526

*** इसमें पिछली अवधि का (-) 1 लाख रु. का मूल्यह्रास शामिल है।**
कोष्ठक के भीतर के आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं।

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रुपए)

विवरण		1 अप्रैल 2005 को	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31 मार्च 2006 को
i)	भवन	7614	10015	(109)	(1814)	15706
ii)	सड़कें व पुल	247	96	(1)	(263)	79
iii)	रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
iv)	हाइड्रोलिक वर्क्स (बांध, जल संवाहक सिस्टम, हाइड्रो यांत्रिक गेट, सुरंग)	34574	35541	-	(16432)	53683
v)	जनरेटिंग संयंत्र एवं मशीनरी	17024	18137	-	(805)	34356
vi)	संयंत्र एवं मशीनरी- सब स्टेशन	751	719	-	(321)	1149
vii)	संयंत्र एवं मशीनरी- ट्रांसमिशन लाइनें	109	139	(138)	(101)	9
viii)	संयंत्र एवं मशीनरी-अन्य	-	-	-	-	-
ix)	निर्माण संयंत्र	-	-	-	-	-
x)	जल आपूर्ति सिस्टम/जल निकास/मल निकासी	1	23	-	(14)	10
xi)	उन परिस्थितियों पर पूंजीगत व्यय, जो एनएचडीसी की नहीं है	-	-	-	-	-
xii)	सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं परामर्श व पर्यवेक्षण प्रभार	1536	597	(15)	-	2118
xiii)	आर एंड आर व प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण पर खर्च	27472	20650	-	(36869)	11253
xiv)	निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय (आईईडीसी)	12811	5630	-	(5743)	12698
	जोड़	**102139**	**91547**	**(263)**	**(62362)**	**131061**
	पिछले वर्ष	134507	128386	(1)	(160753)	102139

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं।

अनुसूची 6 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
वेतन, मजदूरी भत्ते एवं लाभ	1673		1549	
उपदान व भविष्य निधि पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	202		161	
स्टाफ कल्याण व्यय	246	2121	207	1917
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	40		64	
संयंत्र एवं मशीनरी	9		17	
अन्य	124	173	302	383
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय				
किराया/किराया प्रभार	285		214	
दरें एवं कर	8		1	
बीमा	8		20	
सुरक्षा प्रभार	6		14	
विद्युत प्रभार	57		243	
यात्रा एवं वाहन	142		132	
स्टाफ कार पर व्यय	20		158	
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकट	50		41	
विज्ञापन एवं प्रचार	97		58	
आतिथ्य एवं सत्कार	8		5	
मुद्रण एवं स्टेशनरी	50		42	
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	5		6	
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार				
-स्वदेशी	200		232	
-विदेशी	-		-	
उस भूमि पर खर्च, जो निगम की नहीं हैं	163		-	
भूमि अधिग्रहण एव पुनर्वास	-		-	
बट्टे खाते डाली गई सामग्री/परसम्पत्तियों संबंधी हानि	5		-	
अन्य सामान्य खर्च	56		101	
वेतन, मजदूरी, प्रारंभिक व्यय, पौधा रोपण, रखरखाव एवं पर्यावरण पर एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय	-	1160	-	1267
ब्याज एवं वित्त प्रभार				
मियादी ऋण पर ब्याज	2635		6043	
ऋण पर गारंटी शुल्क	-		118	
अन्य वित्त प्रभार	507	3142	25	6186
प्रावधान		-		-
मूल्यह्रास		118		142
वर्ष के दौरान कुल व्यय		**6714**		**9895**
घटाएं: प्राप्तियां एवं वसूलियां				
संचालन पूर्व बिजली उत्पादन से आय	-		1	
जमा पर ब्याज	987		3305	
ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	22		28	
विविध प्राप्तियां एवं वसूलियां	59		248	
प्रावधान/देयताएं जिनका पश्च लेखन आवश्यक नहीं है	-		-	
परिसम्पतियों की बिक्री पर लाभ	-		-	
वर्ष के लिए कुल प्राप्तियां एवं वसूलियां		**1068**		**3582**
वर्ष के लिए शुद्ध व्यय		**5646**		**6313**
पूर्व अवधि के समायोजन				
मूल्यह्रास	(1)		24	
अन्य	309	308	157	181
शुद्ध व्यय		**5954**		**6494**
घटाएं: निगम मुख्यालय खर्च जो, संचालित यूनिटों/परियोजनाओं को आबंटित किए गए हैं।		324		174
पूंजीगत चालू कार्यों में अन्तरित राशि		5630		6320

अनुसूची-7 - निर्माण भंडार व अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को		31 मार्च 2005 को	
क) निर्माण भण्डार				
i) भंडार व कलपुर्जे	-		12	
ii) खुले औजार	-		-	
iii) स्क्रेप मालसूची	-	-		
iv) पारगमन/लंबित निरीक्षण-भण्डार	12		1	
v) ठेकेदार/निर्माता को जारी सामग्री	-		-	
घटाएं निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-	12	-	13
ख) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
i) संरक्षित - (कंसीडर्ड गुड)	-		6	
ii) असंरक्षित - बैंक गारंटी पर (कंसीडर्ड गुड)	5713		12975	
iii) असंरक्षित - अन्य (कंसीडर्ड गुड)	86		592	
iv) असंरक्षित - संदेहपूर्ण समझा गया	-	5799	-	13573
घटाएं: संदेहपूर्ण अग्रिम के लिए प्रावधान	-		-	
जोड़		5811		13586

अनुसूची 8 : निवेश

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2006 को	31 मार्च, 2005 को
दीर्घावधि		
क) निवेश - सहायक कम्पनी (ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर (अनुद्धृत)		
ख) निवेश - अन्य (ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर $		
ग) निवेश - अन्य (ट्रेड)		
बांड $		
एसईबी बांडों में निवेश		
घ) निवेश - सहायक कम्पनी (नॉन ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
ङ) निवेश - अन्य (नॉन ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
च) निवेश - अन्य (नॉन ट्रेड)		
बांड $		
एसईबी बांडों में निवेश		
छ) दीर्घावधि अग्रिम		
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड		
अल्पावधि		
क) निवेश - सहायक कम्पनी (ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
ख) निवेश - अन्य (ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
ग) निवेश - अन्य (ट्रेड)		
घ) निवेश - सहायक कम्पनी (नॉन ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
ङ) निवेश - अन्य (नॉन ट्रेड)		
ईक्विटी शेयर		
च) निवेश - अन्य (नॉन ट्रेड)		
बांड		
छ) विकास अधिभार आरक्षित से सम्बद्ध निवेश		
घटाएं: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		
जोड़	-	-

अनुसूची 9 : वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2006 को		31 मार्च, 2005 को	
1. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	–		–	
2. वस्तुसूचियां				
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे	105		-	
ii) खुले औजार	10		-	
iii) कबाड़ माल सूची	10		-	
iv) मार्गस्थ भंडार जिसका निरीक्षण नहीं हुआ	6		12	
v) निर्माण स्थल का सामान	-		-	
vi) ठेकेदारों/निर्माताओं को जारी किया गया सामान	-		-	
घटाएं : अप्रचलित भंडार और अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	(10)	121	-	12
3. चालू कार्य				
4. विविध देनदार (असंरक्षित)				-
i) छः माह से अधिक से देय ऋण				
- वसूली योग्य समझे गए	4423		112	
- संदिग्ध एवं प्रावधान युक्त	-		-	
ii) अन्य ऋण	-		-	
- वसूली योग्य समझे गए	11542		4610	
- संदिग्ध माने गए तथा प्रावधान युक्त	-		-	
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	15965	-	4722
5. नकद एवं बैंक शेष				
i) हाथ में नकदी				
(शून्य करोड़ रुपए के चैक, ड्राफ्ट, स्टैम्पस सहित				
विगत वर्ष शून्य करोड़ रुपए)	21		3	
ii) अनुसूचित बैंको में शेष				
- चालू खाता	6284		44539	
अल्पावधि जमा खाता				
(स्व बीमा आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित 3255 लाख रुपए सहित)	28754	35059	21610	66152
6. अन्य चालू परिसंपत्तियां				
i) जमाराशियों पर उपचित ब्याज	561		760	
ii) अन्य	318		619	
iii) विभिन्न एजेंसियों से वसूली योग्य दावे	757		1150	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	(31)	1605	-	2529
7. ऋण एवं अग्रिम				
क) ऋण				
कर्मचारियों को ऋण (संरक्षित)	447		291	
कर्मचारियों को ऋण (असंरक्षित - वयूली योग्य)	64		171	
कर्मचारियों को ऋण (असंरक्षित - संदिग्ध समझे गये)	-		-	
ख) अग्रिम				
(नकद या वस्तु रूप में वसूली योग्य प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
i) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	-		-	
संरक्षित	-		-	
असंरक्षित (कंसीडर्ड गुड):	-		8	
- बैंक गारंटी से सुरक्षित	-		500	
- अन्य	41		58	
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	-		-	
ii) कर्मचारी	-		-	
कर्मचारियों को अग्रिम (असंरक्षित कंसीडर्ड गुड)	12		8	
कर्मचारियों को अग्रिम (संदेहपूर्ण समझे गए)	-		3	
iii) अन्य अग्रिम				
असंरक्षित (कंसीडर्ड गुड):	-		20	
असंरक्षित (संदेहपूर्ण समझे गए)	-		-	
iv) जमा	-		-	
अग्रिम कर जमा और स्रोत पर काटा गया कर	3203	3767	2016	3075
जोड़		**56517**		**76490**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं

अनुसूची 10 : वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2006 को		31 मार्च, 2005 को	
क) देयताएं				
1 विविध ऋणदाता				
क) लघु औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देयताएं	-		-	
ख) अन्य	14514		20520	
2 जमा/एजेंसी की व्यय न की गई राशि	-		-	
3 जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि	2747		803	
4 ऋण पर उचित ब्याज किन्तु देय नहीं	-		-	
5 लंबित उपयोग-सरकारी सहायता अनुदान	1630		2641	
6 अन्य देयताएं	866		591	
कुल देयताएं (क)		19757		24555
ख) प्रावधान				
1 कराधान हेतु प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	504		118	
वर्ष के दौरान वर्धन	1212		386	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्त्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		1716		504
2 प्रस्तावित लाभांश का प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	680		240	
वर्ष के दौरान वर्धन	2122		680	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	680		240	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		2122		680
3 प्रस्तावित लाभांश पर कर प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	89		31	
वर्ष के दौरान वर्धन	297		89	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	89		31	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		297		89
4 वेतन संशोधन के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	160		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		160		-
5 प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	18		15	
वर्ष के दौरान वर्धन	123		18	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	18		15	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		123		18
6 छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	19		33	
वर्ष के दौरान वर्धन	52		5	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	2		19	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		69		19
7 ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	25		12	
वर्ष के दौरान वर्धन	16		14	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		1	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		41		25
8 सेवानिवृत कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	30		0	
वर्ष के दौरान वर्धन	27		30	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		57		30
9 सम्पदा कर के लिए प्रावधान				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वर्धन	3		-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-		-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-		-	
अंतिम शेष		3		-
कुल प्रावधान (ख)		4588		1365
जोड़ (क+ख)		24345		25920

अनुसूची-11 – विविध व्यय
(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित किया गया)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को		31 मार्च 2005 को	
प्रारंभिक व्यय				
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष	164		184	
घटाएं वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया 205 लाख रुपए का 1/10वां भाग	20	144	20	164
हानियां बट्टे खाते डालने की मंजूरी की प्रतीक्षा में	–		–	
घटाएं : प्रावधानित	–	–	–	–
जोड़		144		164

अनुसूची-12 – बिक्री

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत बिक्री	33598	17767
घटाएं : संचालन पूर्व विद्युत उत्पादन से आय	-	-
जोड़	33598	17767

अनुसूची-13 – संविदा एवं परामर्शी आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
जोड़े - चालू संविदा कार्य-अन्तिम	-	-
घटाएं : चालू संविदा कार्य - प्रारंभिक	-	-
परामर्शी सेवा से राजस्व	-	-
जोड़	-	-

अनुसूची-14 – अन्य आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पावधि से जमा आय	629	202
बांडों पर ब्याज	-	-
ऋण व अग्रिम पर ब्याज	8	10
अन्य से लाभांश आय		
लंबित भुगतान प्रभार		
परिसंपतियों की बिक्री से लाभ		
देयताएं/प्रावधान जिनका पश्च लेखन अपेक्षित नहीं हैं		
स्क्रैप से आय	-	-
मियादी ऋणों और बचत बैंक पर ब्याज	-	-
सहायक से ब्याज स्वरूप आय		
सार्वजनिक जमा खाते पर ब्याज		
अन्य विविध आय	56	57
विनिमय दर अन्तर		
सहायता अनुदान - राजस्व		
वास्तविक सत्यापन पर अधिक पाया		
जोड़	693	269

अनुसूची 15 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए	
भण्डारों एवं कलपुर्जो की खपत		13		-
मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	133		61	
- मशीनरी	148		71	
- अन्य	220	501	355	487
किराया/वाहनों का किराया		41		10
दरें और कर		2		0
बीमा		12		27
आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा		1970		1103
सुरक्षा व्यय		67		15
विद्युत प्रभार		502		372
यात्रा एवं वाहन		29		28
स्टाफ कार पर व्यय		47		67
टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें		18		10
विज्ञापन एवं प्रचार		8		7
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		2		1
दान		-		-
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		12		5
पुस्तकें व पत्रिकाएं		1		0
परामर्शी प्रभार		9		29
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्राह्य क्षेत्र सुधार पर खर्च		-		-
निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		-		-
बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		-		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		1		-
बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		-		-
बट्टे खाते डाला गया प्रारंभिक खर्च		20		20
बट्टे खाते डाला गया सर्वेक्षण एवं अन्वेषण व्यय		-		-
अशोध्य ऋण/अग्रिम/दावे बट्टे खाते डाले गए		-		-
भण्डार बट्टे खाते डाले गए		-		-
अचल परिसम्पतियां - बट्टे खाते डाले गए		-		-
अन्य सामान्य व्यय		63		82
विनिमय दर अंतर				
लेखा परीक्षा खर्च		1		-
निदेशक व्यय		-		-
अनुसंधान व विकास खर्च		-		-
सरकारी ड्यूटी से इतर वाहनों पर पीओएल		-		-
निगम मुख्यालय प्रबंधन व्यय		324		174
जोड़		3643		2437

अनुसूची 16 : कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी और भत्ते	616	352
उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान	55	36
(प्रशासन शुल्क सहित)	-	-
स्टाफ कल्याण व्यय	66	43
जोड़	737	431

अनुसूची 17 : मूल्यह्रास

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास		7657		4735
घटाएं				
i) आईईडीसी के अन्तर्गत मूल्यह्रास	118		142	
ii) संविदा व परामर्शी को अन्तरित मूल्यह्रास	-		-	
iii) पूंजीगत आरक्षित से अन्तरित (अनुदान बट्टे खाते डाला गया)	1526	1644	773	915
जोड़		6013		3820

अनुसूची 18 : ब्याज और वित्त प्रभार

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	–	–
बांडों पर ब्याज	–	–
विदेशी ऋणों पर ब्याज	–	–
मियाद ऋणों पर ब्याज	12009	6819
नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज	–	–
अन्य ब्याज प्रभार	–	–
बांड निर्गम/सेवा व्यय	–	–
ग्राहकों को छूट	–	–
प्रतिबद्धता शुल्क	–	–
ऋण पर गारंटी शुल्क	–	224
रायल्टी	–	–
बैंक प्रभार	4	6
अन्य वित्त प्रभार	7	50
जोड़	12020	7099

अनुसूची 19 : प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋण - प्रावधान युक्त	–	–
अशोध्य व संदिग्ध अग्रिम/जमा-प्रावधान युक्त	-	-
अशोध्य व संदेहास्पद दावे - प्रावधान युक्त	31	-
भंडार व कल पुर्जों के मूल्य में कमी	10	-
भंडार व कल पुर्जों में कमी - प्रावधान युक्त	-	-
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	-	-
निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
जोड़	41	-

अनुसूची 20 : संविदा एवं परामर्शी व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष व्यय		
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
- वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		
- उपदान तथा भविष्य निधि एवं पेंशन योजना में अंशदान		
- स्टॉफ कल्याण व्यय		
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन		
- मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर		
- अन्य		
प्रशासन एवं अन्य व्यय		
- किराया		
- यात्रा एवं वाहन		
- स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय		
- बीमा		
- टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें		
- विज्ञापन व प्रचार		
- मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
- लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक		
- अन्य व्यय		
- दरें और कर		
- सुरक्षा		
- बिजली		
- आकस्मिकताएं		
- परामर्शी प्रभार		
- ईआरवी		
मूल्यह्रास		
निर्माण संविदा की हानि		
प्रावधान		
परामर्शी कार्य प्रगति पर		
कुल खर्च		
घटाएं: प्राप्तियां व वसूलियाँ		
वर्ष के दौरान कुल खर्च		
पिछली अवधि के समायोजन		
कुल		-

-

अनुसूची 21 : पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	(469)
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिप्रभार	-	-
अन्य	1	-
	1	(469)
व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण	(2)	
ब्याज	-	-
अन्य (ग्राहकों को छूट)	-	-
मूल्यह्रास	18	-
	16	-
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	15	469

अनुसूची 22 : कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपए)

	विवरण	31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन कार्यकलापों से कैश फ्लो**				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें	11822		3780	
	जोड़ें मूल्यह्रास	6013		3820	
	बट्टे खाते डाला गया प्रारम्भिक खर्च	20		20	
	आकस्मिकताओं के लिए स्व: बीमा	1970		1103	
		19825		8723	
	ब्याज और वितीय प्रभार अलग से समझे गए	12020		7093	
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		31845		15816
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
	सामान सूची में वृद्धि	(109)		-	
	विविध देनदारो में वृद्धि	(11243)		(4208)	
	ऋण एवं अग्रिम में कमी	495		11	
	अन्य चालू परिसम्पतियों में कमी	924		(344)	
	चालू देयताओं और प्रावधानों में कमी	(4437)	(14370)	6412	1871
			17475		17687
	घटाएं: अग्रिम कर भुगतान		1187		1521
	प्रचालनों से प्राप्त नकदी (क)		**16288**		**16166**
ख.	**निवेशगत कार्यकलापों से कैश फ्लो**				
	अचल परिसंपत्ति	(1978)		(1110)	
	पूंजीगत चालू कार्य	(88024)		(122057)	
	निर्माण भण्डार एवं अग्रिम	7775		3753	
	निवेशगत कार्यकलापों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)		**(82227)**		**(119414)**
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से कैश फ्लो**				
	शेयर पूंजी निर्गम से प्राप्त आय	33023			
	शेयर पूंजी जमा की प्राप्तियां	(30023)		24497	
	उधार से प्राप्तियां	19049		69425	
	जीओएमपी से एसएसपी और सिंचाई घटक से प्राप्त निधि	28728		23145	
	लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	(769)		(271)	
	प्रदत्त ब्याज और वित्तीय प्रभार	(15162)		(13279)	
	वित्तीय कार्यकलापों से कैश फ्लो (ग)		**34846**		**103517**
	नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		**(31093)**		**269**
	नकदी और नकदी समकक्ष (अद्यशेष)		66152		65883
	नकदी और नकदी समकक्ष (इतिशेष)		35059		66152

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते ओ. पी. टोटला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. तनेजा
निदेशक

एस. के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ओ. पी. टोटला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम. डब्ल्यू खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई 2006

अनुसूची-23 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखांकन परंपराएं

निगम के लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखांकन की प्रोदभूत (एक्यूरल) पद्धति का उपयोग करते हुए तय किए जाते हैं, सिवाय कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर व्यय के मामले में, जिसकी पहचान प्रोदभूत में अनिश्चितताओं के कारण लिए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

2. नियत परिसंपत्तियां

2.1 नियत परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण की लागत आधार पर किया गया है। ऐसे मामलों में जहां संविदाकर्ता के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परंतु परिसंपत्ति पूर्ण हो चुकी है तथा उपयोग हेतु तैयार है, पूंजीकरण को अनुमानित आधार पर किया जाता है जो अंतिम निपटान के वर्ष (वर्षो) में मध्यस्थता/अदालत में निपटान से उत्पन्न होने वाले मामलों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित नियत परिसंपत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है, सिवाय उन परिसंपत्तियों को जिन्हें पुनर्वास/पुन:स्थापन के लिए सृजित किया गया है।

2.3 परियोजनाओं में सहायता-अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर अधिप्राप्त/सृजित की गई परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.4 अधिशेष घोषित किए गए निर्माण उपस्करों को बुक वैल्यु से कम और प्राप्त किए जा सकने वाले शुद्ध मूल्य पर दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कलपुर्जे

3.1(क) संयंत्र और मशीनरी के साथ या बाद में खरीदे गए मशीनरी कल-पुर्जे और जिनका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है, उन्हें अलग से पूंजीकृत किया जाता है। **यदि कलपुर्जो की लागत ज्ञात होती है** तो संबद्ध संयंत्र और मशीनरी के अवशेष उपयोगी जीवन पर्यन्त तक पूर्णत: मूल्यह्रास करते हुए निर्धारण किया जाता है। **यदि कलपुर्जों की लागत ज्ञात नहीं होती,** विशेषकर यदि ये मुख्य संयंत्र के साथ खरीद गए थे, उन्हें मुख्य संयंत्र के साथ पूंजीकृत किया जाता है और उनके मूल्यह्रास का निर्धारण किया जाता है।

(ख) कलपुर्जो की डब्ल्यू.डी.वी. उस वर्ष में राजस्व में डाली जाती है जिस वर्ष में उनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऐसे कलपुर्जो का मूल्य उसी वर्ष राजस्व में डाला जाता है जिस वर्ष वे खरीदे और उपयोग में लाए जाते हैं।

(ग) जब संबंधित **अचल परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है या वह सक्रिय उपयोग में नहीं रह जाती,** ऐसे कलपुर्जो का मूल्य शुद्ध अंकित मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य-जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, यदि अप्रयुक्त **परिसम्पत्तियों की जगह और परिसम्पतियाँ नहीं खरीदी जातीं** तो संबद्ध कलपुर्जो की डब्ल्यू.डी.वी. निपटान योग्य मूल्य घटाकर बट्टे खाते डाल दी जाती है।

3.2 अन्य कलपुर्जे ''भण्डार व कलपुर्जे' के रूप में माने जाते हैं जो सामान सूची का अंग होते हैं और जारी किए जाने पर, खर्च में डाले जाते हैं।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। निर्माण के अधीन परियोजनाओं के मामले में, निर्माण के दौरान प्रयोग में लाई जा रही स्थिर परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा अरोप्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय का भाग माना जाता है जिसे परियोजना के प्रारंभ होने पर भूमि तथा अंत: संरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन सुविधाओं के रख-रखाव, उन्नयन आदि पर व्यय को "निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय" पर प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

5.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य हेतु अधिसूचित दरों का अनुसरण करते हुए सीधी पद्धति से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में दर सीईआरसी के विनियमों द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हो, वहां मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारित दरों के सदृश दरों पर सीधी पद्धति से प्रदत्त किया जाता है, सिवाए कम्प्यूटरों तथा पेरीफिरलों के मामले में, जहां कंपनी द्वारा यथा निर्धारित दरें अपनाई जाती हैं।

5.2 मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध होने के वर्ष में यथानुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

5.3 5000 रुपए अथवा उससे कम किन्तु 750 रुपए से अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों और वर्ष के प्रारंभ में 5 हजार अथवा कम रुपए के पश्च लेखन मूल्य वाली सभी मदों (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) का एक रुपया शेष मूल्य रखकर वर्ष के प्रारंभ में पूर्णत: मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

5.4 निम्न मूल्य वाली मदें, जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750 रुपए तक होता है को पूंजीकृत नहीं किया जाता तथा राजस्व पर प्रभारित कर दिया जाता है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर व्यय की पहचान "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में की जाती है जिसका परिशोधन तीन वर्षों में किया जाएगा।

5.6 जहाँ मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत में वर्ष के दौरान विनिमय दर में परिवर्तन के कारण दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के चलते परिवर्तन हुआ है, ऐसी परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को मूल्यह्रास की दर के आधार पर निर्धारित शेषकाल पर संदर्शी रूप से मूल्यह्रास किया गया है।

6. निवेश

निवेश दीर्घावधि हेतु होते हैं और उन्हें लागत के आधार पर किया जाता है।

7. वस्तुसूची

7.1(क) बेकार माल तथा अधिशेष निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त भण्डार एवं कलपुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(ख) बेकार माल का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपकरणों हेतु कल पुर्जों का मूल्यांकन लागत से कम तथा शुद्ध प्राप्त मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा में चिन्हित ठीक न किए जा सकने वाले तथा अप्रचलित भंडारों तथा कलपुर्जों के प्रति हानि का प्रावधान लेखे में किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए खुले औजारों की लागत को, जहां एकल मद की लागत 5000/-रुपए या इससे कम है, खपत में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी किए गए परन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर अप्रयुक्त पड़े हुए भंडार का मूल्यांकन अभियांत्रिकी अनुमानों पर किया जाता है और उन्हें भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विविध व्यय

8.1 परियोजना के विविध व्यय को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

8.2 परियोजना के प्रारंभिक व्यय को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाएगा।

9. विदेशी मुद्रा परिवर्तन

9.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को उसी तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए मौद्रिक मदों को लेखांकन वर्ष के अंतिम दिवस को विद्यमान विनिमय दर में रूपांतरित किया जाता है।

9.2 1.4.2004 की अवधि से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न स्थिर परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित स्थिर परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की पूरा किए जाने की लागत में समायोजित किया जाता है।

9.3 1.4.2004 को अथवा उसके पश्चात भारत के बाहर से प्राप्त किए गए कारोबार से उत्पन्न स्थिर परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य की पूरा किए जाने की लागत में समायोजित किया जाता है।

9.4 अन्य विनिमय अंतर को जिस अवधि में वे उत्पन्न हो उसी में तथा व्यय के रूप में प्रचालनात्मक स्टेशन के मामले में लाभ तथा हानि लेखे और निर्माणाधीन परियोजना के मामले में आईईडीसी में डाला जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा स्वास्थ्य योजना का प्रावधान है।

11. राजस्व

11.1(क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है।

(कक) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदेय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वह महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की पुनर्अदायगी को सुगम बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

11.2 लागत जमा/टर्न-की आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व की, पूर्णता प्रतिशत पद्धति के रूप में निम्नानुसार पहचान की जाती है-

कार्य की प्रगति	राजस्व की पहचान
(क) 66.67% तक	शून्य
(ख) 66.67 से अधिक 90% तक	80%
(ग) 90% से अधिक	100%

संविदाओं में प्रत्याशित सहित हानियों की पहचान तुरंत की जाती है। ऐसे मामलों में आकस्मिकता हेतु प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जहाँ ऐसे किसी दावे को कवर करना आवश्यक समझा जाए जो त्रुटिपूर्ण देयता अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकता है।

11.3 परियोजना प्रबंधन/जमा/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व की पहचान समझौते की शर्तें और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर की जाती है।

11.4 निवेशों पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

11.5 ग्राहकों से प्रभारित ब्याज/अधिभार प्राप्त होने पर या जब उसकी प्राप्ति की निश्चितता हो, उसे आय के रूप में दिखाया जाता है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आवंटन

निगम मुख्यालय के व्यय निम्नानुसार आवंटित किए जाते हैं-

(क) विद्युत केन्द्र पर, करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष के लिए ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को दिए गए तथा इसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान वहन किए गए परियोजना व्यय के 5% की दर से।

(ग) शेष व्यय को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजी व्यय के अनुपात में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

13. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा के तौर पर माना जाता है, जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं हेतु परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है। निधि को विशेष प्रयोजन के लिए नियत किया जाएगा।

14. विविध

14.1 निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने के कारण मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

14.2 विद्युत स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को आपूर्ति की गई विद्युत को सामान्य प्रशुल्क के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

14.3 50,000/-रुपए और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/आय को स्वाभाविक लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित किया जाता है।

14.4 बीमा दावों का लेखांकन वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

15. उधार लागत

स्थिर परिसंपत्तियों के निर्माण/पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। अन्य उधार लेने की लागतों की पहचान जिस अवधि में वे व्यय की जाएं उसी अवधि में व्यय के रूप में की जाती हैं।

16. आय पर कर

16.1 चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

16.2 आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलनपत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य वर्तमान कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

17. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय

आप्लावित हो जाने वाली भूमि से संबंधित मुआवजों एवं अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किया गया भुगतान पुनर्वास तथा पुन:र्स्थापन व्यय माना जाता है जिसे बांध लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अनुसूची-24 लेखों पर टिप्पणियां

1. निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:-

विवरण		31.3.2006 को शेष (लाख रुपए)	31.3.2005 को शेष (लाख रुपए)
क.	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें निम्न के तौर पर स्वीकर नहीं किया गया है - पूंजीगत कार्य - भूमि मुआवजा मामले - अन्य	9664 8233 554	10,517 64 227
	कुल	**18451**	**10808**
ख.	किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को दर्शाना	यह प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि अनिश्चितताओं तथा राशि का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है।	
ग.	किसी प्रतिपूर्ति की संभावना		

2. (i) मैसर्स टेक्नोप्रोमेक्सपोर्ट, मास्को, रूस के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए 540 लाख रुपए (विगत वर्ष 835 लाख रुपए) के विदेशी साखपत्र। (एफ एल सी)।

   (ii) मैसर्स वायथ सीमन्स हाइड्रोक्राफवर्क स्टेकनिक गम्भ एंड कं. केजी, जर्मनी के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए 15100 लाख रुपए के विदेशी साख पत्र तथा मैसर्स वायथ सीमन्स हाइड्रो प्राईवेट लिमिटेड, भारत के पक्ष में 14607 लाख रुपए (पिछले वर्ष कुल 41020 लाख रुपए) का स्वदेशी साखपत्र।

3. (क) प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 48919 लाख रुपए (अग्रिमों का शुद्ध) (विगत वर्ष 98001 लाख रुपए)

   (ख) भूमि मुआवजे की अनुमानित राशि जिसके लिए अवार्ड कार्यवाही की जानी लंबित है और जिसके लिए 15800 लाख रुपए का प्रावधान नहीं किया गया है।

4. (क) वर्ष के दौरान एनवीडीए द्वारा सूचित विभिन्न खातों पर मध्य प्रदेश सरकार ने1003 लाख रुपए (विगत वर्ष 1366 लाख रुपए) की राशि का व्यय किया। इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में 31.03.06 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 120468 लाख रुपए (विगत वर्ष 119465 लाख रुपए) है।

   (ख) उपर्युक्त टिप्पणी 4 (क) में वर्णित समायोजन के परिणाम स्वरूप इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में एनवीडीए के खाते में 120468 लाख रुपए क्रेडिट किए गए और 31.3.06 तक प्राप्त 30475 लाख रुपए (विगत वर्ष 30475 लाख रुपए) निम्न प्रकार से समायोजित किए गए हैं-

   i) 31.03.2006 तक मध्य प्रदेश सरकार को 65,99,999 इक्विटी शेयर के आवंटन के लिए 66000 लाख रुपए।

   ii) पूंजी आरक्षित राशि में से इंदिरा सागर बांध के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनुपातिक अंशदान के रूप में 35161 लाख रुपए (विगत वर्ष 34392 लाख रुपए सहित) जिन्हें 36352 लाख रुपए के कुल अनुदान के प्रति अनुदान का भाग माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए मंजूरी के अनुसार है।

   iii) पूंजी आरक्षित राशि में सरदार सरोवर परियोजना के लिए आनुपातिक सबवेंशन के रूप में 44930 लाख रुपए (विगत वर्ष में 43973 लाख रुपए सहित) जिन्हें 46451 लाख रुपए के किए जाने वाले कुल अंशदान के प्रति आंशिक अनुदान माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए स्वीकृति के अनुसार है।

   iv) शेष 3308 लाख रुपए ओंकारेश्वर परियोजना के इक्विटी तथा सिंचाई घटकों के लिए समायोजित कर दिए गए हैं।

   v) 1265 लाख रुपए (विगत वर्ष 2267 लाख रुपए) को अनुदान के विरुद्ध अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है और उक्त का समायोजन बाद के वर्षों में सरदार सरोवर परियोजना तथा सिंचाई घटक के लिए किया जाएगा।

   vi) एनवीडीए से 279 लाख रु. (गत वर्ष शून्य रुपए) बिजली प्रभार के रूप में प्राप्त किए।

   (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने एनवीडीए द्वारा सूचित किए गए विभिन्न लेखों पर वर्ष के दौरान 498 लाख रुपए (विगत वर्ष 696 लाख रुपए) की राशि खर्च की है।

ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्यय के कारण निगम द्वारा समायोजित किया गया कुल व्यय 31.03.2006 तक 6520 लाख रुपए (विगत वर्ष 6022 लाख रुपए) है।

(घ) 31.3.2006 तक एनवीडीए से प्राप्त राशि 32595 लाख रुपए (विगत वर्ष 26500 लाख रुपए) एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय 6520 लाख रुपए (गत वर्ष 6022 लाख रुपए) और इंदिरा सागर परियोजना से समायोजित राशि 3308 लाख रुपए है जिसका कुल योग 42423 लाख रुपए (विगत वर्ष 35830 लाख रुपए) होता है, का लेखांकन निम्नानुसार है-

i. मध्य प्रदेश सरकार को 30,01,600 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए 30016 लाख रुपए।

ii. प्रारक्षित पूंजी में ओंकारेश्वर परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 12042 लाख रुपए (विगत वर्ष 5440 लाख रुपए सहित) का आनुपातिक अंशदान जिसे सीसीईए की दिनांक 29.05.2003 की संस्वीकृति के अनुसार 18280 लाख रुपए के कुल अनुदान में से आंशिक अनुदान माना गया है।

iii. 365 लाख रुपए (विगत वर्ष 374 लाख रुपए) को अनुदान के प्रति अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और इसे बाद के वर्षों में सिंचाई घटक के प्रति समायोजित किया जाएगा।

5. (क) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर 31.03.2006 तक किए गए व्यय में आप्लावित भूमि की लागत, सड़कों के निर्माण, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, कार्यालय भवन एवं अन्य संरचनात्मक कार्य, विद्युतीकरण आदि पर किया गया 153089 लाख रुपए (विगत वर्ष तक 133943 लाख रुपए) का व्यय पूंजीगत चालू कार्य शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) रेल ट्रैकों के विपथन के लिए किए गए 3 लाख रुपए की राशि के व्यय को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान आर एण्ड आर व्यय में समायोजित किया गया है और इसे वर्ष हेतु आर एण्ड आर व्यय माना गया है। इस प्रकार संचित आंकड़ा 28709 लाख रुपए (विगत वर्ष तक 28706 लाख रुपए) हो जाता है।

6. सीसीईए की दिनांक 28.03.2002 की अनुमति के अनुसार इंदिरा सागर परियोजना के पुनर्वास व पुनर्वास कार्य पर अधिक खर्च के अपने हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष के दौरान 20400 लाख रुपए (गत वर्ष शून्य रु.) दिए हैं। यह राशि इस कार्य पर हुए अधिक खर्च 41,000 लाख रु. (116000 लाख रु. के मूल लागत अनुमान और 157000 लाख रु. के संशोधित लागत अनुमान में अन्तर के कारण) का 50% है और इसे पूंजीगत आरक्षित राशि में डाला गया है।

7. (क) मध्य प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार से सिंचाई और सरदार सरोवर परियोजना घटक के रूप में प्राप्त अशंदान को पूंजीगत आरक्षित राशि में डाला गया है।

(ख) ऐसी पूंजीगत आरक्षित राशि में अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास को पूंजीगत आरक्षित राशि में प्रभारित किया गया है और वर्ष के लिए 1526 लाख रु. (गत वर्ष 773 लाख रु.) मूल्यह्रास से कम किए गए हैं।

8. (क) अन्य चालू परिसम्पतियों में 18 लाख रु. की राशि (गत वर्ष 52 लाख रु.) शामिल हैं जो टीडीएस पर विभिन्न भूमि बेदखलियों से वसूली योग्य है जिसे मुआवजे की अदायगी पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एल ए के अन्तर्गत नहीं काटा गया। इसके अतिरिक्त 13 लाख रु. की राशि दोबारा भूमि बेदखली को अदा कर दी गई है जिसकी वसूली संदेहपूर्ण है और इसलिए इसके लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) 286 लाख रु. की शेष राशि को (उपर्युक्त टिप्पणी 4 (ख)(vi) में यथा वर्णित 279 लाख रु. के समायोजन के बाद) जो पूर्व वर्षों में बिजली प्रभारों के लिए एनवीडीए से वसूली योग्य दर्शाए गए हैं, पूर्व अवधि समायोजन-अन्य (अनुसूची-6 का अनुबंध) के रूप में वर्ष में आईईडीसी को प्रभारित किया गया है।

9. लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण वर्ष के लेखे पर प्रभाव निम्नानुसार है-

नीति	वर्ष में लाभ पर प्रभाव (रु.)
मुख्य संयंत्र के साथ या बाद में खरीदे गए पूंजीगत कलपुर्जो में मूल्यह्रास करने और अलग से पूंजीकरण करने के संबंध में लेखांकन नीति सं. 3 में रुपांतरण	चूंकि ऐसे कलपुर्जों की लागत का पता नहीं है, लाभ पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता

10. अचल परिसम्पति पर मूल्यह्रास को सीईआरसी की 26 मार्च, 2001 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित दरों पर वसूली के प्रयोजन के लिए लागू दरों पर प्रभारित किया जाता रहा है। तथापि अब केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी दिनांक 6 जनवरी, 2006 के संकल्प सं. 23/2/2005 आर एण्ड आर (खण्ड III) के पैरा 5.3 के उप पैरा (ग) के तहत अधिसूचित किया गया है कि सीईआरसी द्वारा यथा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरें टैरिफ के साथ-साथ लेखांकन प्रयोजन के लिए भी लागू होगी। वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्धारित दरों की तुलना में 8611 लाख रु. कम (गत वर्ष 5614 लाख रु. कम) हैं।

11. एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के लाभों के संबंध में प्रावधान 31.03.2006 को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। एनएचपीसी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के संबंध में उक्त को एनएचपीसी से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

12. निगम के लेखे लेखांकन की प्रोदभूत पद्धति का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, सिवाय कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर व्यय के मामले में जिसकी पहचान प्रोदभूत में अनिश्चितताओं के कारण प्राप्त किए जाने के वर्ष में की जाती है।

13. (क) ठेकेदारों, वसूली योग्य दावों, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध देनदारों, ठेकेदारों को अग्रिम, विविध लेनदारों और ठेकेदारों से जमा/बकाया राशि पर जारी सामग्री के अन्तर्गत दिखाई गई शेष राशि समाधान/पुष्टि और तदनुसार समायोजन के अधीन है।

(ख) प्रबंधन के मतानुसार चालू परिसम्पतियों, ऋण व अग्रिम का मूल्य सामान्य कार्य-व्यापार में वसूली पर प्राप्त उस मूल्य से कम नहीं होगा जितना तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

14. प्रतिशेयर (मूल और डाइलूटेड) आय का परिकलन करने के लिए निम्नांकित आधार अपनाया गया है:-

विवरण	2005-06		2004-05	
	मूल ईपीएस	डाइलूटेड ईपीएस	मूल ईपीएस	डाइलूटेड ईपीएस
अंश के रूप में प्रयुक्त कर बाद शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	10610	10610	3395	3395
डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की औसत अधिमानत:	1,93,37,615	1,95,57,581	1,63,23,529	1,72,91,378
प्रतिशेयर आय (रु.)	54.87	54.25	20.80	19.63
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु.)	1000	1000	1000	1000

15. (क) मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को बिजली की बिक्री अनंतिम दरों पर की गई है। वर्ष के दौरान बिजली की बिक्री से आय में सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार गौण ऊर्जा प्रभार के 4818 लाख रु. भी शामिल हैं। इस पर सी ई आर सी का अनुमोदन अपेक्षित है जिसके समक्ष अन्तिम अनुमोदन के लिए याचिका लंबित है।

(ख) इस समय मौजूदा अनंतिम दरों में अन्तर्निहित मूल्यह्रास पर कोई अग्रिम अंश नहीं है।

16. मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 5.9.2005 के अपने पत्र सं. सी ई/एनवीडीए/2005/1575 के द्वारा एनएचडीसी को निर्धारित शर्तों के साथ नर्मदा नदी पर बोरास (55 मेगावाट), होसंगाबाद (60 मेगावाट) और हांडिया (51 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण, अन्वेषण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा है। अब तक निगम ने निम्नानुसार विभिन्न कार्यकलापों पर 62 लाख रु. खर्च किए हैं जिन्हें 'सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार-शीर्ष' के अन्तर्गत चालू पूंजीगत कार्य के रूप में अनुसूची-6 में शामिल किया गया है-

i) वेतन, भत्ते और लाभ .... 43 लाख रु.

ii) सर्वेक्षण कार्य .... 13 लाख रु.

iii) किराया .... - रु.

iv) वाहन किराया .... 6 लाख रु.

कुल .... 62 लाख रु.

17. (क) विद्युत उत्पादन निगम की मुख्य गतिविधि है। अन्य प्रचालन अर्थात् ब्याज आय और परामर्श सेवाएं "खंड रिपोर्टिंग" पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार सूचित किए जाने योग्य खंड नहीं होता है।

(ख) निगम का वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में इंदिरा सागर परियोजना में अवस्थित केवल एक विद्युत स्टेशन है। इसलिए, भौगोलिक खंड लागू नहीं होते।

18. भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-एएस-18 "संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. **संयुक्त उद्यम**

(क) यह निगम, नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) लि. तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी द्वारा किया गया निवेश 3000 लाख रुपए है (विगत वर्ष 8316 लाख रुपए)। एनएचपीसी का संचित निवेश 100242 लाख रुपए है (विगत वर्ष 97242 लाख रुपए)। एनएचपीसी को किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं-

		2005-2006	2004-2005
(क)	परामर्शी प्रभार	210 लाख रुपए	280 लाख रुपए
(ख)	गारंटी शुल्क	शून्य रुपए	342 लाख रुपए
(ग)	ऋणों पर ब्याज	शून्य	शून्य रुपए

(ख) विविध लेनदारों (अन्य) में धारक कंपनी एनएचपीसी लि. को देय 305 लाख रुपए (विगत वर्ष 130 लाख रुपए) शामिल हैं।

ii) (क) **निदेशक**-श्री एस. के. गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी तथा एनएचडीसी, श्री ए.के. कुट्टी, आई ए एस, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), भारत सरकार, श्री उदय कुमार वर्मा, आई ए एस, वीसी, एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार, श्री एस.के. डोडेजा, मुख्य कार्यपालक निदेशक, एनएचडीसी, श्री आई. सी. जैन, सदस्य (विद्युत), एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार, श्री आर के तनेजा और राजेश डोंगरे

(ख) निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक

(लाख रुपए)

	विवरण	**2005-2006**	**2004-2005**
(i)	वेतन तथा भत्ते	6	7
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	1	1
(iii)	आवासीय किराया	-	-
(iv)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-
(v)	बैठक शुल्क	-	-

(ग) वर्ष के अंत में पूर्णकालिक निदेशकों पर बकाया अग्रिम राशि शून्य रुपए (विगत वर्ष शून्य रुपए)

19. कंपनी ने विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय परिसर प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। इनकी अवधि सामान्यत: एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा इससे अधिक है एवं इन्हें प्राय: आपसी सहमति से दोनों पक्षों को स्वीकार्य शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। पट्टे किराया पर किए गए भुगतान को निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय पत्रक में अनुसूची-6 में किराया प्रभार लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखे के अंतर्गत अनुसूची-15 में किराया/किराया प्रभार के अंतर्गत डाला जाता है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी एएस-19 'लीज़ीस' के अनुसार यथापेक्षित यह जानकारी दी गई है।

20. सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया पारिश्रमिक

(लाख रुपए)

	विवरण	**2005-2006**	**2004-2005**
क)	लेखापरीक्षा शुल्क	3	2
ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क	1	1
ग)	प्रमाणन	-	-
घ)	अन्य मामले	-	-
ङ)	फुटकर खर्च	1	1

(जहां लागू है, सेवाकर छोड़कर)

21. (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के तहत यथाअपेक्षित, आयकर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) आईसीएआई द्वारा "आय पर कर के लिए लेखांकन" संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में वर्ष के लिए शुद्ध आस्थगित कर देयता के लिए निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है:-

(लाख रुपए)

	आस्थगित कर देयता/परिसम्पत्तियां	**31.03.2006 को**	**31.03.2005 को**
(i)	**आस्थगित कर देयता** :- मूल्यह्रास अंतर	29841	18001
(ii)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां:** अग्रेनीत किए जाने वाला असमाहित मूल्यह्रास	22208	16339
(iii)	**शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयता**	(7633)	(1662)

(ग) चूंकि किसी भी करों की राशि सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाभग्राहियों से वसूल की जा सकने वाली है इसलिए भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वसूले जाने को लगभग निश्चित माना गया है। परिणामस्वरूप आस्थगित कर संपत्तियों को अग्रेषित किए गए असमाहित मूल्यह्रास की कुल राशि हेतु सृजित किया गया है।

22. प्रमात्रात्मक ब्यौरे

विवरण	2005-2006	2004-2005
लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1000.00	1000.00
वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	2573.36	1331.85
बिक्री (मि.यू.) अस्थिर विद्युत सहित	2555.75	1318.10

23. विदेशी मुद्रा में व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	2005-2006	2004-2005
संविदा कार्यों के लिए	14510	16040
यात्रा	27	12
अन्य	-	4

24.

(लाख रुपए)

	2005-2006	2004-2005
सीआईएफ का आयात मूल्य	शून्य	शून्य

25.

(लाख रुपए)

	2005-2006	2004-2005
विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य

26. प्रचालन इकाइयों में उपयोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य-

(लाख रुपए)

	2005-2006	2004-2005
आयातित	शून्य	शून्य
स्वदेशी	8 लाख रुपए	शून्य

27. विगत वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

कृते ओ. पी. टोटला एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

आर. के. तनेजा
निदेशक

एस. के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ओ. पी. टोटला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम. डब्ल्यु. खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2006

तुलन-पत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

पंजीकरण विवरण

I पंजीकरण संख्या: 10 14337

राज्य कोड: 10

तुलन-पत्र की तिथि: 31 03 2006

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(लाख रुपए में)**

सार्वजनिक निर्गम: शून्य

राईट निर्गम: शून्य

बॉण्ड निर्गम: शून्य

निजी नियोजन*: 3000

* एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमाराशि शामिल है

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति **(लाख रुपए में)**

कुल देयताएं: 584918

कुल परिसंपत्तियां: 584918

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी: 196258

आरक्षित तथा अधिशेष $: 121953

आरक्षित ऋण: 216474

अनारक्षित ऋण: 15000

$ 3255 लाख रुपए की राशि का आकस्मिकता हेतु स्व बीमा शामिल है।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां: 520624

निवेश: शून्य

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां: 32172

विविध व्यय: 144

संचित हानि: शून्य

IV कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रुपए में)

कारोबार	कुल व्यय
3 3 5 9 8 @	2 2 4 6 9
कर-पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
1 1 8 2 2	1 0 6 1 0
प्रति शेयर अर्जन रुपए में	लाभांश राशि
5 4 . 8 7	2 1 2 2

@ इसमें 693 लाख रुपए की अन्य आय शामिल नहीं है।

V कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम

i) उत्पाद विवरण

ज	ल		वि	द्यु	त		का		उ	त्पा	द	न						

मद कोड संख्या

	–	

ii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	–	

iii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

	–	

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ. पी. टोटला एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

ओ. पी. टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

आर. के. तनेजा
निदेशक

एस. के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

एस. के. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
कंपनी सचिव

एम. डब्ल्यु. खान
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2006

280 मेगावाट धौलीगंगा पावर स्टेशन
(उत्तरांचल)-पावर हाउस

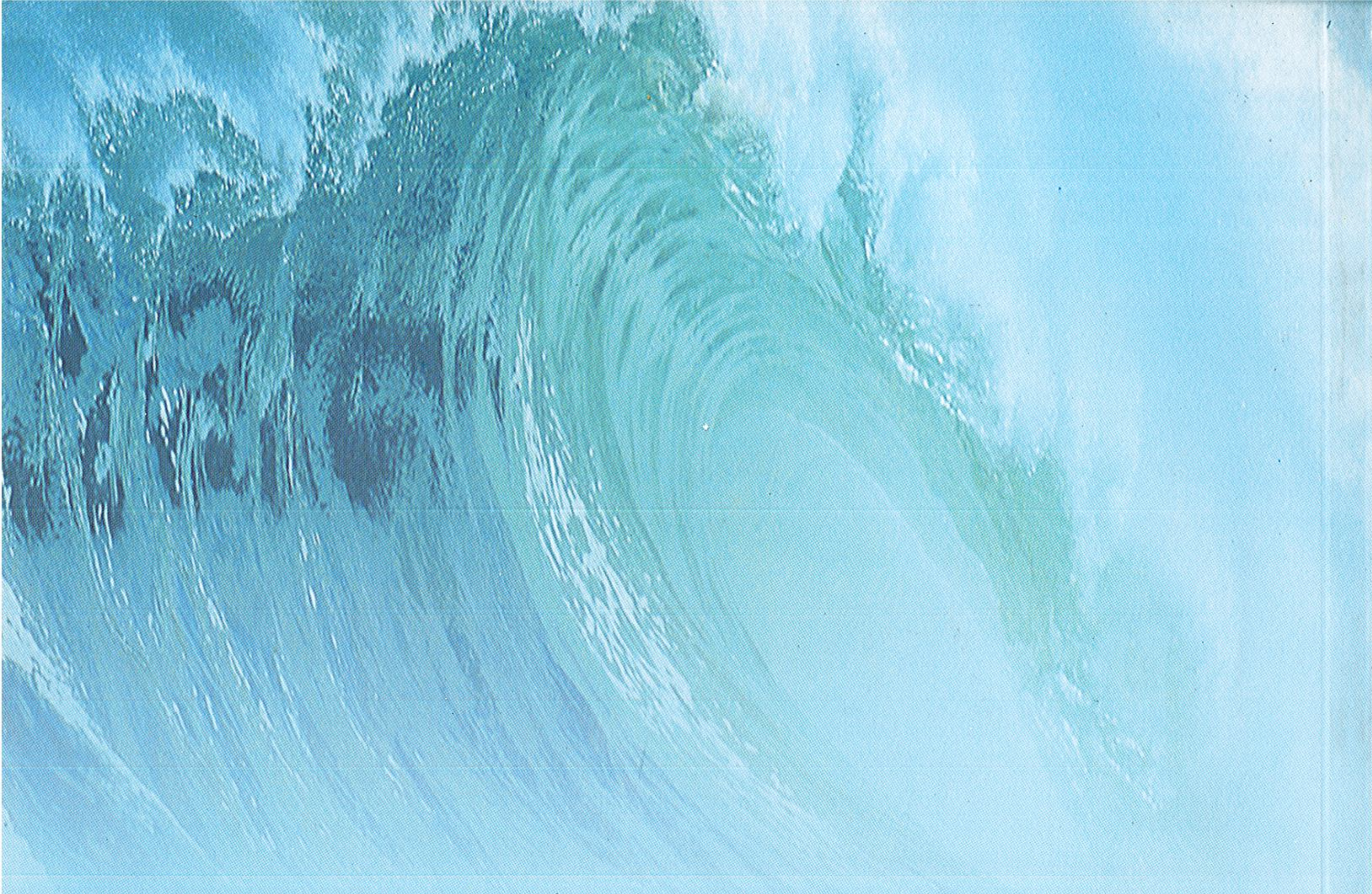

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर–33, फरीदाबाद–121 003 (हरियाणा)

वेबसाईट : http://www.nhpcindia.com

करन्ट एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0 द्वारा अभिकल्पित तथा न्यूटेक फोटोलिथोग्राफर्स द्वारा मुद्रित